राजस्थान विधान सभा

सत्रहवीं बैठक, दिनाङ्क १६ मार्च, १९५३

सदन का कार्य प्रातः ८ बजकर ७ मिनट पर प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ५१६ तथा ५१७

श्री अध्यक्ष—Questions. Question No. 516, Shri Bhairon Singh.

श्री जयनारायण व्यास—This question may be taken later on. The Industries Minister is not present at the moment. I do not know what has happened to him.

श्री अध्यक्ष—Question No. 517, Shri Chhitar Lal Sharma.

(विधि मन्त्री अनुपस्थित)

The same case. Question No. 518. Shri Bhairon Singh.

प्रश्न संख्या ५१८

श्री भैरूं सिंह (डि० नं० १२)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या सरकार को मालूम है, कि महाराजाज हाई स्कूल, जयपुर में अफीम, गांजा व सुल्फे का सरकारी गोदाम है ?

(ब) शिक्षणालय में इस तरह की नशीली चीजों का गोदाम रखने से विद्यार्थियों के जीवन पर बुरा असर पड़ने के कारण क्या उक्त हाई स्कूल के शिक्षकगण ने इस गोदाम को तुरन्त हटाने की मांग की है ?

(स) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की और क्या सरकार इस गोदाम को वहां रखना उचित समझती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—हां, ऐसा गोदाम है ।

(ब) इस गोदाम को उठाने के लिये कमिश्नर कस्टम्स व एक्साइज को हिदायत कर दी गई है और यह जल्द उठा लिया जायगा ।

(स) इसका उत्तर (ब) के उत्तर में आ गया ।

श्री जवानसिंह—यह हिदायत कब दी गई, क्या सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा--इस हिदायत को दिये एक महीना करीब हो गया है ।

श्री मोहब्बतसिंह--क्या गोदाम उठा दिया गया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा--गोदाम उठा दिया जायेगा ।

श्री कंवरलाल जेलिया--यह गोदाम कब तक उठा दिया जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा--जल्दी ही उठा दिया जायेगा ।

श्री कंवरलाल जेलिया--"जल्दी" का मतलब कब तक उठा लेने की उम्मीद करें ?

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)--मिनिस्टर ने जब गोदाम को एक महीने पहले हटाने की हिदायत कर दी तो अभी तक नहीं उठाना मिनिस्टर के हुक्म की अवहेलना नहीं है क्या ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५११

श्री प्रतापसिंह (डिविजन नम्बर ११७)--क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(अ) क्या यह सच है कि बीदासर गर्ल्स स्कूल के मकान में स्थान की तंगी से एवं लड़कियों की अधिक संख्या के कारण, उन्हें तथा अध्यापिकाओं को धूप व वर्षा में बैठना पड़ा है ?

(आ) अगर यह सच है तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(इ) क्या मकान मालिक गरीब होने के कारण और किराया न मिलने से मरम्मत नहीं करा सकता है और सांप-बिच्छुओं का बोलबाला है, यहां तक कि मकान गिरकर चोट लग जाने का भी भय है; इसलिये क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र उचित प्रबन्ध करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा--(अ) स्थान की कमी का प्रश्न एक आम प्रश्न है और ग्रामों की अधिकांश पाठशालाओं में वास्तव में यह कमी महसूस की जा रही है ।

(आ) कन्या पाठशाला के लिये दूसरा मकान इस ग्राम में उपलब्ध नहीं है । यदि कोई सज्जन अन्य मकान दिलवादें तो यह विभाग उसे उचित किराये पर ले सकता है ।

(इ) मकान मालिक से इस मकान का कोई किराया तय होना रेकर्ड से नहीं पाया जाता। मालिक मकान द्वारा कियरायानामा प्राप्त होने पर किराया शीघ्र चुका दिया जावेगा ।

एक सदस्य--क्या माननीय मन्त्री महोदय ने कभी इस कन्या पाठशाला का निरीक्षण किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा--नहीं ।

श्री मोहब्बतसिंह--क्या सरकार दूसरा मकान मिले तो उसका किराया देने को तैयार है?

श्री नाथूराम मिर्धा—इसका उत्तर मैं दे चुका हूं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार द्वारा मालिक मकान को किरायानामा बतलाने पर किराया शीघ्र चुका दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा—बड़ी खुशी से ।

श्री गुरुदयालसिंह—अगर किराया फॉर्म नहीं निकले तो क्या मकान मालिक को नुकसान उठाना पड़ेगा ?

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि स्कूल का मकान तबदील कर लिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—यह तो आप मुझे इनफॉर्मेशन देते हैं ।

श्री प्रतापसिंह—मेरे पूछने का मतलब यह है कि क्या सरकार को मालूम है कि मकान तबदील कर दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—मुझे इस बात का पता नहीं ।

श्री दलीपसिंह—पहले स्कूल के मेहतर को तनख्वाह नहीं मिली थी । क्या अभी तक उस मेहतर को तनख्वाह नहीं मिली जो बीदासर स्कूल में काम करता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा— यह एक दूसरा प्रश्न है ।

श्री हिम्मतसिंह—कितने वर्षों से यह गर्ल्स स्कूल जारी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—इसका ठीक समय तो मैं इस समय नहीं बता सकता, मालूम करके ही बता सकता हूं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह बात सच है कि स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिये आज से १० साल पहले मन्जूरी हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—१० साल पहले अगर मन्जूरी हुई भी थी तो वह अब कोई माने नहीं रखती ।

श्री कानसिंह—अगर स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिये सरकार के पास पैसे नहीं थे तो बीदासर कस्बा जो कि एक बहुत बड़ा और मालदार कस्बा है वहां से लोन्स लेकर, रुपये उधार लेकर स्कूल की बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई जाती ?

श्री नाथूराम मिर्धा—नहीं, लोन्स लेकर स्कूल बनाने की सरकार की नीति नहीं है ।

श्री एच. के. व्यास—क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने साल पहले की हुई मन्जूरी लेप्स नहीं होती ?

श्री नाथूराम मिर्धा—यह तो मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि जो मन्जूरी करेंट इयर की है और उसको अगले साल में ले लिया जाय तो ठीक है वरना लेप्स हो जाती है।

श्री प्रतापसिंह—उस स्कूल की बिल्डिंग बनाने की मन्जूरी हुई या नहीं, यह मन्त्री महोदय को मालूम है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—मुझे पिछले १० साल का स्कूलों का इतिहास मालूम नहीं है।

प्रश्न संख्या ५२१

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या न्याय मन्त्री यह बतलायेंगे:—

(१) बूंदी जिले में नेनवा के मुन्सिफ का स्थान चिरकाल से रिक्त होते हुए भी इसका अब तक प्रबन्ध सरकार क्यों नहीं कर रही है ?

(२) यदि प्रबन्ध करना चाहती है तो निश्चित समय बतलाया जावे।

(३) यदि नहीं करना चाहती है तो क्यों नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—नेनवा जिला बूंदी में मुन्सिफ का न्यायालय अन्तिम रूप से उत्सादित नहीं किया गया है लेकिन हाई कोर्ट द्वारा आस्थगित रखा गया है, क्योंकि उस न्यायालय में मुकदमों की संख्या इतनी कम है कि एक अधिकारी को पूरे समय के लिये कार्यरत नहीं रखा जा सकता। तथापि वादपत्र इत्यादि ग्रहण करने के लिये तथा उक्त न्यायालय के अभिलेखों को समारक्षण में रखने के लिये वहां न्यूनतम आवश्यक कर्मचारी-वर्ग रखा गया है। तथापि मुकदमों की निराशा-जनक संख्या के कारण सरकार न्यायालय का पूर्ण उत्सादन करने के लिये हाई कोर्ट के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस विषय पर निर्णय शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

प्रश्न संख्या ५२२

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या उद्योग मन्त्री यह बतलायेंगे:—

(१) बूंदी जिले के गांव बड़ोदिया में कांच की रेत जो निकलती है उसको वहीं पर काम में लेकर जिले की उन्नति के लिये सरकार कोई कारखाना खोलने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—सरकार कोई कांच का कारखाना खोलने का विचार नहीं रखती।

कांच के कारखाने राजस्थान में कई जगह हैं। सरकार के पास अपने निजी कांच के कारखाने खोलने के लिये पूंजी नहीं है। यह कोई ऐसा महत्वपूर्ण उद्योग नहीं है जिसको सरकार चलाये।

श्री छीतरलाल—क्या सरकार को मालूम है कि फॉमर बूंदी स्टेट में इस कारखाने को एक सेठ को दे दिया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—हो सकता है दे दिया गया हो।

प्रश्न संख्या ४२३

(श्री मंगल सिंह कछवाहा (प्रश्न कर्ता) की अनुपस्थित में श्री संतोषसिंह ने कहा कि प्रश्न-कर्ता ने उन्हें यह प्रश्न पूछने की लिखित अनुमति प्रदान की है परन्तु वह लिखित अनुमति वे अपने साथ नहीं ला सके हैं। इस पर श्री अध्यक्ष ने श्री संतोषसिंह को श्री मंगलसिंह की ओर से यह प्रश्न पूछने की आज्ञा प्रदान की।)

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, वे सदस्य जयपुर में ही तशरीफ नहीं लाये हैं।

श्री अध्यक्ष—आप जवाब दे दीजिये।

श्री संतोषसिंह (श्री मंगलसिंह की ओर से)—Will the Minister in-charge, Education kindly state:—

(*a*) Whether any theft was committed in Jodhpur at Inspector of Schools' office in the month of November, 1952. If so, of how much amount ?

(*b*) Is it a fact that Chaprasi taken into custody in the above connection contrived escape, and is at large now ?

(*c*) Why such a huge amount was kept in the Inspector's office, without a proper watch and ward ?

(*d*) Was the safe broken open ?

(*e*) What steps the Government have taken so far against those on account of whose negligence this incident happened ?

श्री नाथूराम मिर्धा—(*a*) Yes. A theft was committed in November, 1952, in the office of the Inspector of Schools, Jodhpur. It involved a sum of Rs. 7,898.

(*b*) The Accounts Chaprasi was taken into custody and was released on bail by the Police on the personal bond of the Chaprasi. The chowkidar was also handed over to the Police but he escaped later.

(*c*) This being a major Department, transactions in cash are carried on daily, and the amount of cash handled varies from time to time. The amount was large because the salaries of the staff and certain other amounts recently drawn were not disbursed in full. A chowkidar is provided to watch the office.

(*d*) The lock of the safe was removed and the cash was stolen.

(*e*) The case is still under investigation and until a final report is received, nothing can be said definitely in this respect. The theft is necessarily a result of the negligence.

श्री संतोषसिंह--क्या जो चौकीदार भाग गया है उसके भगाने में डिपार्टमेन्ट के आदमियों का कोई हाथ नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा--जी नहीं ।

श्री संतोषसिंह--पर वह पकड़ लिया गया था, तो फिर कैसे भाग गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा--मैंने कहा था कि उसे पुलिस को डिपार्टमेन्ट की ओर से सौंप दिया गया था और पुलिस ने उसका पर्सनल बोंड भरा लिया था; फिर वह गायब हो गया ।

श्री संतोषसिंह--यह आठ हजार की रकम वहां तिजोरी में हमेशा रहा करती थी या उसी वार रखी गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा--तनख्वाह बांटने के लिये यह रकम रखी गई थी । कुछ तनख्वाह बांट दी गई थी और कुछ तनख्वाह बांटनी बकाया थी ।

श्री मोहब्बतसिंह--यह पर्सनल बोंड क्यों लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा--यह मैं नहीं बता सकता ।

श्री खेतसिंह--किसकी नेग्लीजेंस से यह हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा--यह मैं नहीं बता सकता ।

श्री जवानसिंह--क्या इतनी बड़ी रकम होने पर भी बैंक में जमा नहीं कराई जाती जब कि वहां एक ही चौकीदार रहता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा--मैंने पहले अच्छी तरह से जवाब दिया है कि उस समय तनख्वाह देने का सवाल था, बहुत सी बंट चुकी थी और बहुत सी बंटनी वाकी थी ।

श्री जवानसिंह--जब इतनी बड़ी रकम थी तो पहरे का समुचित प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा--वहां कोई पुलिस का पहरा तो नहीं लगता, चौकीदार पहरे पर रहता है । वह पहरे पर था ही ।

श्री एच० के० व्यास--कौनसे रूल के माफिक ८०००) रुपये की बड़ी रकम की हिफाजत करने के लिये चौकीदार को पहरे पर लगाया गया ?

श्री अध्यक्ष--This is a separate question.

श्री एच. के. व्यास--No, Sir. The Hon'ble Minister replied that the Chowkidar was responsible for this negligence. Now I want to know under what rule the chowkidar has been asked for safe custody of this amount.

Page No.7

श्री अध्यक्ष—You are not here to ask for rules or law. You are here to seek information. He says that the Chowkidar was responsible for this negligence and due to that negligence the theft took place. But you are asking for rules of safe custody.

श्री एच. के. व्यास—No, Sir. I want information as to what rule applied in this case.

श्री अध्यक्ष—No. It is not relevant.

श्री जवानसिंह—क्या भविष्य में इतनी बड़ी रकम की रक्षा केलिये माननीय मंत्री जी माकूल इन्तजाम करेंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा—इतनी बड़ी रकम वहां हमेशा नहीं रखी जाती। समय समय पर अमाउन्ट, ट्रेजरी सेफ है, इसलिये रखी जाती है। उसमें हमेशा बड़ी रकम न तो रखी जाती है और न रखी ही जायगी। यह तो ऐसा ही मौका था कि तनख्वाह बंट रही थी, कुछ बंट चुकी थी और कुछ बंटनी बाकी थी। हमेशा इतनी बड़ी रकम रखने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आयन्दा तनख्वाह बांटने का प्रश्न नहीं आयेगा?

श्री नाथूराम मिर्धा—आयन्दा तनख्वाह का समय जरूर आयेगा, ज्यादा अमाउन्ट भी रह सकता है, चोरी भी हो सकती है; आयन्दा ऐसा नहीं होगा यह कैसे कहा जा सकता है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या ऐसा कोई प्लान बनाया हुआ है कि आगे भी चोरियें हुआ करेंगी?

श्री नाथूराम मिर्धा—यह तो माननीय सदस्य ही कह सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जोधपुर के अलावा क्या और कहीं भी चपरासी को इतनी बड़ी रकम की निगरानी की जिम्मेदारी दी जाती है?

श्री नाथूराम मिर्धा—चपरासी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। माननीय सदस्य के समझ में फेर पड़ रहा है। चपरासी की जिम्मेदारी का कोई सवाल नहीं है। चौकीदार की निगरानी में रखी जाती है और उसे, जिस मकान में रखी जाती है, उसके चारों तरफ घूम कर हिफाजत रखनी चाहिये। पुलिस ने उस चौकीदार पर शक किया। डिपार्टमेन्ट ने तो यह कहा था कि उस समय चौकीदार वहां था इसलिये उससे पूछा जाय।

श्री कानसिंह—क्या फर्स्ट इन्फॉरमेशन रिपोर्ट चपरासी के नाम से दी गई थी?

श्री नाथूराम मिर्धा—डिपार्टमेन्ट की तरफ से रिपोर्ट की गई थी।

श्री अध्यक्ष—Was chowkidar named in the first information report?

श्री नाथूराम मिर्धा—हमने यह कभी नहीं कहा कि चौकीदार ने चोरी की।

श्री कानसिंह—कहीं इन्सपेक्टर साहब ने तो रुपये हजम नहीं कर लिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा—इसका पता तो पुलिस लगायेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Who is responsible for this ?

श्री मोहब्बत सिंह—क्या वह चौकीदार किसी विशेष वर्ग का था ?

श्री नाथूराम मिर्धा—यह तो मैं नहीं बता सकता।

श्री सन्तोषसिंह—जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि चौकीदार उक्त चोरी का जिम्मेदार है। यदि वह चौकीदार नहीं मिला तो ८ हजार की रकम किससे वसूल की जायगी ? चौकीदार भाग गया है ऐसी सूरत में क्या मन्त्रीजी बतायेंगे कि यदि वह चौकीदार नहीं मिला तो यह रकम किससे वसूल की जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय सदस्य को क्रिमिनल लॉ का ज्ञान होना चाहिये।

श्री मोतीलाल—क्या वह चौकीदार कम्युनिस्टों से सम्बन्धित था ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह नहीं बतलाया कि सेफ कस्टडी के लिये कौन जिम्मेदार था ?

श्री अध्यक्ष—Who is responsible for safe custody of money ?

श्री नाथूराम मिर्धा—इन्सपेक्टोरेट में सबसे बड़ा अफसर इन्सपेक्टर होता है। जिम्मेदारी का क्या मतलब है ? सेफ कस्टडी की जिम्मेदारी डिपार्टमेन्ट के सारे आदमियों की, जो वहां मौजूद हैं, हो जाती है।

श्री हिम्मतसिंह—तनख्वाह की रकम चोरी चली गई थी, फिर उस माह की तनख्वाह कर्मचारियों को मिली या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—अवश्य मिली।

श्री कानसिंह—इस मामले में तहकीकात किस ओहदे का अफसर कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२४

श्री **अध्यक्ष**—श्री धर्मचन्द।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५२५

श्री मोतीलाल चौधरी--क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) इस वर्ष जोधपुर डिविजन में अकाल ग्रस्त इलाके की किन किन तहसीलों में कितने कितने रुपयों की आर्थिक सहायता देकर रिलीफ कार्य शुरू किया गया है ?

(२) नागौर जिले में अकाल सहायता कार्य कब से शुरू किया गया और कितनी रकम खर्च के लिये ग्रान्ट की गई तथा कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च अब तक हुआ है, तहसील वाइज़ बतलाने की कृपा करें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--तहसील वाइज़ रकम का बंटवारा किया गया, पर तहसील वाइज़ फिगर्स उपलब्ध न होने से जिलेवार सूचना पेश करता हूं:--

जोधपुर जिला--रिलीफ वर्क १,१६,७००), ग्रेचुटस रिलीफ २,०००), वाटर सप्लाई १०,०००), तकावी १०,०००);

बाड़मेर जिला--रिलीफ वर्क ४४ हजार, ग्रेचुटस रिलीफ १ हजार, वाटर सप्लाई २ हजार रुपये और तकावी ५ हजार रुपये ।

जैसलमेर जिला--रिलीफ वर्क २३ हजार ८०० रुपये ।

नागौर जिला--रिलीफ वर्क ६० हजार रुपया, ग्रेचुटस रिलीफ १ हजार रुपया, वाटर रिलीफ १५ हजार रुपया और तकावी १० हजार रुपया।

कमिश्नर के पास रिज़र्व में--रिलीफ वर्क ६ हजार, ग्रेचुटस रिलीफ १० हजार रुपया, वाटर वर्क्स १५ हजार रुपया, तकावी रिज़र्व २० हजार रुपया; इस प्रकार कुल ३,५१,५०० रुपया अकाल सहायतार्थ हुआ। नागौर जिले में ८६ हजार रुपया सेंक्शन किया गया है । इसमें से ४४ हजार रुपया नागौर और डीडवाना तहसील में खर्च किया जा चुका है । रिलीफ वर्क सन् १९५३ की जनवरी से शुरू किया गया है ।

श्री मोतीलाल--नवम्बर में ३० हजार रुपये जोधपुर डिविजन के लिये ग्रान्ट हुए थे क्या वे काम में नहीं आये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--काम जनवरी सन् १९५३ से शुरू किया गया है ।

श्री खेतसिंह--क्या मंत्रीजी इस रिलीफ सेंक्शन को नाकाफी समझ कर और इमदाद देंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--और इमदाद दी जा रही है। इसकी सूचना और तरीके से आपको ज्ञात हो चुकी है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या आपके ध्यान में यह बात है कि जनवरी ५३ तो अलग रहा, अब तक वहां पर रिलीफ काम चालू भी नहीं हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यदि काम चालू नहीं हुआ है तो ४४ हजार रुपया खर्च कैसे होता।

श्री हनवंतसिंह--२३८००) रुपये जैसलमेर के लिये दिये गये, यह आपने फरमाया था; क्या यह सच्ची बात है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--बिल्कुल सच्ची बात है।

श्री संतोषसिंह--क्या मंत्री जी को मालूम है कि बिलाड़ा तहसील में टिड्डियों ने नुकसान किया है इसलिये वहां अकाल पड़ा है; तो क्या वहां भी कुछ रिलीफ के लिये दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--अभी तक यह पता नहीं कि टिड्डियों के नुकसान से अकाल पड़ा है या नही।

श्री मोतीलाल--४४ हजार रुपये नागौर तहसील में ही खर्च हुए हैं या डीड़वाना तहसील में भी इसमें से कुछ खर्च किया गया है ?

श्री मोहलाल सुखाड़िया--तहसील वाइज आंकड़े तो प्राप्त नहीं कर सका पर यह काम नागौर जिले की दोनों ही तहसीलों में खर्च हुआ है।

श्री मोतीलाल--नागौर तहसील में काम हुआ है, डीडवाना तहसील में नहीं हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--दोनों ही तहसीलों में काम हो रहा है। छोटी खाटू से बड़ी खाटू, छोटी खाटू से तनसार, लाडनू से नींबी, जोधां, नागौर से बासनी की सड़कों का काम चल रहा है।

श्री भैरूंसिंह--क्या शेरगढ़ में रिलीफ वर्क के लिये चिलम भरने का कारखाना चालू किया गया है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६६

श्री छीतरलाल--क्या उद्योग मंत्री यह बतलायेंगे कि:--

बूंदी जिले में लोहा पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी सरकार उसके उपयोग के लिए कोई कारखाना नहीं खुलवा रही है, उसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास--बूंदी जिले में सरकार कोई लोहे का कारखाना नहीं खोल रही है इसका कारण यह है कि न तो वहां उत्तम लोहे की खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलती है, न कोई कोयला ही मिल सकता है। बिना पर्याप्त लोहे और कोयले की खनिजों के लोहे का कारखाना खोलना असम्भव है।

प्रश्न संख्या ४२७

श्री भैरूं सिंह--क्या न्याय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:--

(अ) सन् १९५०-५१, १९५१-५२, तथा १९५२-५३ में राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी मुकदमात की पैरवी में किन किन मुकदमों में किन किन वकीलों को मुकर्रर किया गया था?

(ब) उन वकीलों में प्रत्येक को क्या क्या मेहनताना दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास--सन् १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में सरकार द्वारा जिन जिन मुकदमों में जिन जिन वकीलों को पैरवी के निमित्त नियुक्त किया गया तथा उनमें जो जो फीस दी गई उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। सन् १९५२-५३ अभी चालू है अतः इस मास में बहुत से मुकदमों में फीस दी जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(तालिका बहुत लम्बी होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में सदस्यों के संगार्थ रख दी गई है)

(ब) इसका उत्तर उपरोक्त उत्तर में सम्मिलित है।

श्री हरिदेव जोशी--क्या इसकी सूचि ज्यादा लंबी है ?

श्री रामकिशोर व्यास--जी हां।

श्री हरिदेव जोशी--कितनी लम्बी है ?

श्री अध्यक्ष--The Question is whether an advance copy was given to the member concerned or not ?

श्री रामकिशोर व्यास--दी गई है। यदि हाउस सुनना चाहे तो मैं बता दूं।

श्री अध्यक्ष--आप बता दीजिए कि कितना नम्बर है ?

श्री रामकिशोर व्यास--Ten pages.

श्री अध्यक्ष--Not pages, but what is the number of cases ?

श्री राम किशोर व्यास (न्याय मंत्री)--साठ केसेज़ हैं।

श्री संतोषसिंह--क्या माननीय मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सोजत के चूने के भट्टे का जो कोर्ट में केस चल रहा था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप स्वयं ही लिस्ट से देख लीजिएगा। इस संबंध में आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका इससे संबंध नहीं मालूम होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जब एडवोकेट जनरल मौजूद हैं तो इन केसेज में दूसरे वकीलों को क्यों मुकर्रर किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)--क्रिमिनल केसेज़ में दूसरों को ही मुकर्रर किया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो क्या यह समझा जाय कि सरकार के वकील क्रिमिनल केसेज़ में अज्ञान रखते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)--उनके टर्म्स ऑफ अपोइन्टमेन्ट में ऐसी ही व्यवस्था है।

श्री संतोषसिंह--सोजत का केस क्रिमिनल है या सिविल ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)--आप खुद देख लीजिएगा।

श्री संतोषसिंह--मुझे नहीं मालूम हुआ है इसीलिए तो मैंने पूछा है।

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)--मुझे तो इस सबंध में जानकारी नहीं है। अगर आप इस संबंध में अलग से सवाल पूछें तो मैं जानकारी प्राप्त करके आपको बता सकता हूं।

श्री संतोषसिंह--अगर इस लिस्ट में दिया गया है तो इसमें ही बता दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--Not relevant.

श्री मोतीराम--सन् ५२-५३ में वकीलों को मेहनताने की रकम कितनी दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)--अभी यह मुकम्मिल नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या रिट केसेज़ में भी वकील मुकर्रर किए जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)--जरूर किए जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है कि सरकार के एडवोकेट जनरल को छोड़ कर दूसरे वकीलों को नियुक्त किया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)--इस प्रश्न के साथ तो यह सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--What was the need for appointing special lawyers when the Government has already personnel for the conduct of these cases ? That is the question.

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)--मुकदमे की जैसी इम्पोर्टेन्स होती है उसी के माफिक वकील को नियुक्त किया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो क्या यह समझा जाय कि वे अच्छे कानून के जानकार न होने पर भी उनको नौकर रख लिया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)--एक से एक अधिक जानकार होते हैं। नियुक्ति तो हाईयेस्ट मुकद्मे को देखकर ही की जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या मौजूदा जो हैं वे इसकी जानकारी नहीं रखते हैं, गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से भी तो बुलाया जा सकता है। फिर दूसरे लोगों को मुकर्रर करने की क्या आवश्यकता पड़ती है ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)--मैं आपको बता ही चुका हूं कि मुकद्मों की इम्पोर्टेंस के अनुसार ही आवश्यकता पड़ती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैं तो जानना चाहता था कि आवश्यकता क्यों पड़ती है ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२८

श्री अध्यक्ष--श्री धर्मचन्द।

(अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५२६

श्री भैरूं सिंह (डि० नं० १२)--क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:---

(अ) नम्बरदारों को उनकी सेवाओं के बदले क्या सरकार उन्हें वेतन स्वरूप रकम आय के अनुपात से देती है ?

(आ) यदि हां, तो वह किस अनुपात से ?

(इ) यदि नहीं, तो फिर और किस आधार पर देती है ?

(ई) उदयपुर डिविजन की किन किन तहसीलों में कितने वर्षों की ऐसी रकम अभी तक नहीं मिली है ?

(उ) यह बकाया रकम कब तक चुकाई जाने की आशा ह ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--(अ) वसूली के अनुपात से दी जाती है।

(आ) इसके विषय में हरएक युनिट्स के भिन्न भिन्न नियम हैं।

(इ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ई) इस विषय में कमिश्नर उदयपुर से सूचना मंगाई गई है, आने पर बता सकता हूं।

(उ) सूचना आने पर शीघ्र ही इसकी कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरू सिंह (केलवा)—मैं यह जानना चाहूंगा कि रकम कितने सालों से नम्बरदारों को नहीं दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—नम्बरदारों को प्रोपोर्शन के हिसाब से मिल रही है।

श्री भैरू सिंह (केलवा)—मैंने पूछा था कि नम्बरदारों को रकम मिली है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मुझे सूचना मिली है कि बराबर मिल रही है।

श्री भैरू सिंह (केलवा)—मेरे पास यह सूचना है कि कई तहसीलों में अब तक नहीं मिली है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—शायद कुछ तहसीलों में नहीं मिली हो। पहले राशमी, कपासन के हल्कों में नहीं मिली थी किन्तु कुछ महीनों से उन सब तहसीलों में बराबर मिलती जा रही है।

श्री भैरू सिंह (केलवा)—चार साल तक नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—हिसाबात का फैसला नहीं होने की वजह से नहीं मिली। अब सब रेग्युलराइज कर दिया गया है। ज्यों ज्यों हिसाबात तैयार होते जाते हैं त्यों त्यों रकम दिलादी जाती है।

श्री भैरू सिंह (केलवा)—एक ही तरह के नम्बरदार रहेंगे या अलग अलग तहसीलों में अलग अलग तरीके से।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके हैं, किन्तु नम्बरदारों को मुकर्रर करने का एक ही तरीका रहेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५३०

श्री श्यामलाल गोयल—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर में अस्पताल में माइक्रोस्कोप है या नहीं ?

(ख) अगर नहीं, तो क्या जनता ने माइक्रोस्कोप के लिये रुपया इकट्ठा करके अस्पताल गंगापुर में दिया है ?

(ग) अगर हां, तो कितना ?

(घ) सरकार कब तक माइक्रोस्कोप वहां भिजवाएगी ?

(ङ) अगर नहीं, तो क्या उन्होंने जो रुपये दिए हैं उनको वापिस कर दिया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर अस्पताल में माइक्रोस्कोप नहीं है क्योंकि यह एक डिस्पेन्सरी के सा रण इक्विपमेन्ट में शामिल नहीं है।

(ख) हां।

(ग) केवल ५८० रुपया।

(घ) माइक्रोस्कोप का मूल्य १६००) रुपयों के करीब है। न तो जनता ही स्वयं इस मूल्य के लिये चन्दा करने को प्रस्तुत है और न स्वास्थ्य विभाग के बजट से ही पूरा किया जा सकता है।

(ङ) विषय अभी विचाराधीन है और जो धन इस विभाग के पास आ गया है वह जयपुर बैंक, गंगापुर ब्रान्च, में सुरक्षित है। इस धन को पुनः लौटाने के लिये राज्य से स्वीकृति लेनी पड़ेगी जैसा कि 'घ' में वर्णन किया गया है और फिर वह लौटा दिया जायगा।

श्री संतोषसिंह—क्या बड़े शफाखाने में ही माइक्रोस्कोप रखने के लिये सरकार इसे बड़ा औजार समझती है ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—बहुतसी बातें हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह रुपया बैंक में रखा हुआ है या विभाग की तिजोरी में ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, नेक्स्ट।

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—बैंक में रखा हुआ है।

प्रश्न संख्या ५३१

श्यामलाल गोयल—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील नादोती, जिला सवाई माधोपुर में कोई अस्पताल है या नहीं ?

(२) अगर नहीं है तो खोलने का इरादा है या नहीं ?

(३) अगर हां, तो कब तक खोलने का इरादा है ?

मकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—(१) नादोती, जिला सवाई माधोपुर में कोई

आर्थिक स्थिति विषम होने के कारण अभी अस्पताल खोलने की सम्भावना

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५३२

श्री जगतसिंह--क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(अ) चित्तौड़ जिले में कितने व कहां कहां हाई स्कूल, मिडिल स्कूल व प्राइमरी स्कूलें हैं ?

(ब) सरकार के पास प्राइमरी स्कूलें खोली जाने के लिए कितने व कहां कहां के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए हैं ?

(स) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

(ड) अगले वर्ष कितने और कहां कहां नये प्राइमरी स्कूल खोलने की सरकार की योजना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)--(अ) चित्तौड़ जिले के हाई स्कूल, मिडल स्कूल व प्राइमरी स्कूल की लिस्ट सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(अ) इसका विवरण नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र राजस्थान के कोने कोने से प्रतिदिन प्राप्त होते रहते हैं और जो आवश्यक कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दिये जाते हैं। इन सबको मंगवाने में समय लगेगा ।

(स) आवश्यक कार्यवाही व जांच के लिये सम्बन्धित अधिकारी के पास भेज दिये गये ।

आगामी वर्ष का बजट प्राप्त होने पर तथा सरकार की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुए इस विषय पर विचार किया जावेगा ।

श्री जगतसिंह--इस जिले में एक हाई स्कूल, एक मिडिल स्कूल है तो क्या इनको ही काफी समझा जाता है ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५३३

श्री दलीपसिंह--Will the Minister Incharge, Famine Relief be pleased to state:—

(a) Are there no famine conditions in the followi[ng] Anida, Onkar, Ramaj, Kahiwali, Ranidugar in Vallabhnagar, Kurabar and Bhindar Tehsil

(b) If famine conditions do prevail, what relief wor[k] taken as yet and how much money has been spent ?

(अकाल सहायता मंत्री)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(a) There are no famine conditions in these villages. Scarcity conditions have been reported to some extent in few scattered fences in these Sub-Tehsils.

(b) The following relief works have been taken in hand in these Sub-Tehsils:—

1.	Nakwa Jagat Adwa Road	Rs.	9,000/-
2.	Akheri Tank	Rs.	5,000/-
3.	Umarda Tank	Rs.	50,000/-
4.	Bhinder Paned Road	Rs.	3,000/-
5.	Bhinder Bharbhora Road	Rs.	2,000/-
6.	Modi Aninda Road	Rs.	5,000/-
7.	Khedi Devli Nakawala Tank	Rs.	5,000/-
8.	Kurabad Bharbhor Road	Rs.	4,000/-

श्री हिम्मतसिंह—जहां जहां रिलीफ वर्क्स खोले गए हैं तो क्या वहां वहां पहले टेस्ट वर्क्स खोले गये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—जी नहीं ।

श्री हिम्मतसिंह—तो क्या बगैर टेस्ट वर्क्स खोले रिलीफ वर्क्स खोल दिये जाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां वहां टेस्ट वर्क्स शुरू कर दिये जाते हैं किन्तु अकाल की जहां स्थिति होती है वहां तो शीघ्र ही रिलीफ वर्क्स खोले जाते हैं ताकि उनको शीघ्र राहत मिल सके ।

श्री दलीपसिंह—तो क्या मोडी वगैरह में काम शुरू हो गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—काम चालू हो गया है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५३४

श्री श्यामलाल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) पागलखाने जयपुर में कितने पागल हैं ?

(२) पिछले दो सालों में कितने पागल दाखिल हुए और कितने अच्छे हुए ?

(३) हर पागल के खाने का रोजाना क्या खर्च है ?

(४) इलाज के लिये दवाइयों की क्या व्यवस्था है ?

(५) पागलों का नियमित रूप से वजन लिया जाता है या नहीं ?

(६) अगर हां, तो उनका वजन घटता है या क्या ?

श्री **रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)**--(१) इस समय १६ पुरुष और १४ स्त्रियां हैं।

(२) सन् १९५१ में ६१ रोगी भर्ती हुए उनमें से २८ अच्छे हुए।

सन् १९५२ में ६१ रोगी भर्ती हुए व उनमें से ३१ अच्छे हुए।

(३) लगभग साढ़े छ: आना प्रतिदिन।

(४) साधारण शारीरिक रोगों की औषधियों की उचित व्यवस्था है। इस वर्ष से बिजली की विशेष व्यवस्था का साधन भी हो गया है। मानसिक रोगियों की साधारणत: दवा की आवश्यकता कम होती है।

(५) वजन लिया जाता है।

(६) जब तक राशन १२ औंस प्रतिदिन रहा वजन घटता रहा। परन्तु नवम्बर सन् १९५२ से १६ औंस राशन होने के कारण कुछ बढ़ कर स्थायी सा हो गया है।

श्री **खेतसिंह**--क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दांता रामगढ़ और जमुआ रामगढ़ के कितने पागल आदमी इसमें हैं और कितनों को रिलीज कर दिया गया है?

(हंसी)

श्री **श्यामलाल गोयल**--वजन कब से बढ़ रहा है?

श्री **रामकिशोर व्यास**--जब से उनकी खुराक में वृद्धि की गई।

श्री **श्यामलाल गोयल**--मैं पूछता हूं ९ से १६ औंस कब से हो गया?

एक सदस्य--पागलों को चिलम भर कर पीने की भी सुविधा है या नहीं?

एक सदस्य--स्त्रियां ज्यादा पागल होती हैं?

श्री **खेतसिंह**--क्या माननीय मन्त्री जी ने उस पागलखाने का निरीक्षण किया है?

श्री **अध्यक्ष**--Yes, Mr. Goyal.

श्री **खेतसिंह**--मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला मुझे, साहब।

श्री **अध्यक्ष**--आॅर्डर! आॅर्डर! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५३५

श्री **श्यामलाल गोयल**--क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(१) ग्राम नारोली, सब-डिविजन करौली में जो राजकीय औषधालय व डिस्पेन्सरी है उनमें रोजाना मरीजों की हाजरी का पिछले दो सालों में क्या औसत रहा है?

Page No.19

(२) क्या सरकार की दृष्टि में दोनों, औषधालय व डिस्पेन्सरी एक जगह होने जरूरी हैं ?

(३) क्या यह सरकार के विचाराधीन है कि डिस्पेन्सरी वहां से हटा कर दूसरी जगह खोल दी जावे ?

श्री रामकिशोर व्यास--(१) ग्राम नाराणा के औषधालय एवं डिस्पेन्सरी की रोजाना मरीजों की हाजरी क्रमशः ८ एवं २३ सन् १९५१ में, २८ सन् १९५२ में रही है ।

(२) मरीजों की इस, औसतन हाजरी को देखते हुए उस स्थान पर एलोपेथिक एवं आयुर्वेदिक दोनों चिकित्सालयों को रखना उचित नहीं है ।

(३) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री श्यामलाल गोयल--क्या इनमें से एक को हटाने का सरकार का इरादा है ?

श्री रामकिशोर व्यास--हां ।

श्री श्यामलाल गोयल--कब तक ?

श्री रामकिशोर व्यास--जितना जल्दी सम्भव हो ।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट । श्री तेजपाल ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित--कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट । श्री दलीपसिंह ।

प्रश्न संख्या ५३७

श्री दलीपसिंह--Will the Minister Incharge, Famine Relief Department be pleased to state:—

(*a*) How many cheap grain shpos have been opened by the Government in the famine affected area in Vallabhnagar Tehsil.

(*b*) How many petitions from the villagers have been received by the Government to open relief work in the said Tehsil ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--Three cheap grain shops have been opened by the Government in Vallabhnagar Tehsil....

(*b*) No application for opening relief works in Tehsil Vallabhnagar is pending in the Collectorate at Udaipur.

श्री दलीपसिंह—वल्लभ नगर में आपने चीप ग्रेन शोप्स बताई, वह डेफिसिट एरिया से कितनी दूर है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह आपको और मुझे दोनों को मालूम है कि वहां से कानोड और भींडर कितनी दूर हैं, जो कि दोनों ही अफेक्टेड एरिया हैं।

श्री दलीपसिंह—मेरा मतलब अडिंदा से है जहां भूख के मारे लोग गाय तक मार कर खा गये हैं। इसके लिये पुलिस की भी रिपोर्ट है। वह वहां जांच करने गई थी। वहां भी कोई चीप ग्रेन शोप खोली गई है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी सूचना इस सदन में ही दी जाती है। इससे पहले हमें कोई स सम्बन्धी सूचना न मिलती है, न होती है। गाय मार कर खा गये भूख के मारे; न इसका कोई आधार है न हमें सूचना ही मिली है और इस तरह की स्थिति भी मैं समझता हूं अडिंदा की नहीं है और अडिंदा की तरफ नाज रखने की जरूरत है इसकी अडिंदा वालों की तरफ से कभी भी मांग नहीं रखी गई।

श्री दलीपसिंह—क्या कमिश्नर, उदयपुर को इस बारे में पुलिस की कोई रिपोर्ट नहीं मिली और वहां से आपको कोई ऐसी सूचना नहीं मिली ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री श्यामलाल गोयल।

प्रश्न संख्या ५३८

श्री श्यामलाल गोयल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में किन किन गैर सरकारी औषधालयों को आर्थिक सहायता दी जा रही है और कितनी ?

(२) इस सहायता का आधार क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इस प्रश्न के उत्तर में एक सूची तैयार है। आप इसे टेबुल पर देख सकेंगे। (कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष—इस सहायता का आधार क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास—ग्राण्ट इन एड उन्हीं को दी जाती है जो गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं।

श्री चन्दनमल वैद्य—क्या ऐसी सहायता चूरू जिले में भी दी गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—पहले तो नहीं दी गई, पर अब देंगे।

Page No.21

प्रश्न संख्या ५३६

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा—Will the Minister for Health be pleased to answer:—

How many deaths are caused yearly in the districts for want of skilled Midwifery system? Has he tried to improve conditions? What has been done upto this time for districts; especially Dausa Sub-division.

श्री रामकिशोर व्यास—राजस्थान में कोई अनिवार्य जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन कानून नहीं है। जन्म व मृत्यु का रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। हमारे यहां के आंकड़ों से यह नहीं बताया जा सकता कि विभिन्न रूप से मृत्युएं उचित मिडवाइफरी ढंग से न होने के कारण होती हैं। इस ढंग को प्रोत्साहन देने के लिये स्थान स्थान पर सूति-गृह खोलने का आयोजन किया गया था एवं एक वर्षीय योजना में ऐसे २५ प्रसूति-गृह खोलने का प्रस्ताव रखा गया था किन्तु अर्थाभाव के कारण केवल चार ही प्रसूति-गृह खोले एवं वे भी अर्थाभाव के कारण बन्द करने पड़े।

दौसा उप-विभाग में भी एक प्रसूति-गृह खोलने की योजना थी, किन्तु अर्थाभाव के कारण इस योजना को स्थगित करना पड़ा।

प्रश्न संख्या ५४०

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Tejpal.

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिय)

प्रश्न संख्या ५४१

श्री जगतसिंह—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) बड़ी सादड़ी तहसील में राजस्थान सरकार ने वसूली के अधिकार लिये जिसके बाद अब तक कुल माल हासिल कितना बकाया है?

(आ) क्या सरकार बकाया वसूली के लिये भविष्य में कोई उचित कार्यवाही करेगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होने पर जानकारी दे सकेंगे।

भविष्य के लिये जहां पर भी रकम बकाया होगी उसकी वसूली के लिये सख्त कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५४२

श्री प्रतापसिंह—क्या व्यापार तथा व्यवसाय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या सरकार ने बीदासर की पत्थर की खान की मुकर्रर रॉयल्टी की रेट राज-पत्र में छपा कर पब्लिक को उजर करने का मौका दिया था ?

(आ) अगर सरकार ने रॉयल्टी की दरें राज-पत्र में प्रकाशित नहीं की तो क्या यह ठेका उस हालत में नाजायज नहीं है ?

(इ) रॉयल्टी की जो दरें अभी मुकर्रर की गई हैं वे किस आधार और किस तरीके से की गई हैं ?

(ई) क्या सरकार को विदित है कि बीदासर खान की रॉयल्टी की दरें आस-पास की खानों की दरों से बहुत ज्यादा हैं ?

(उ) क्या सरकार को विदित है कि उपरोक्त समस्या की वजह से बीदासर में बहुत भारी बेकारी फैली हुई है ?

(ऊ) क्या उपरोक्त बेकारी की समस्या के बारे में जनता की तरफ से उनके पास दरख्वास्तें आई हैं ?

(ए) अगर आई हैं, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और अब तक समस्या हल हुई है या नहीं ?

(ऐ) अगर नहीं हुई है, तो कब तक हो जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—(अ) बीदासर पत्थर की खान की रॉयल्टी वसूल का ठेका एक वर्ष के लिए दिनांक ७-३-५२ को दिया गया जो राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित कराया गया और उसका प्रचार तमाम लोगों में भी कराया गया।

(आ) ठेका बाद प्रचार दिया गया है।

(इ) दरें जो कायम की गई हैं वे उस वक्त की मौजूदा स्थिति को निगाह में रखते हुए की गई हैं।

(ई, उ, ऊ, ए और ऐ) मजदूर वर्ग वगैरह की दरख्वास्तें इस विषय में प्राप्त हुई हैं जिन पर विचार किया जा रहा है और दरों में आइन्दा के ठेके के वक्त संशोधन किया जा सकेगा।

प्रश्न संख्या ५४३-५४७

श्री अध्यक्ष—नक्स्ट। श्री धर्मचन्द

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री तेजपाल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री धर्मचन्द् ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री धर्मचन्द् ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री तेजपाल ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये) ।

श्री जगतसिंह ।

प्रश्न संख्या ५४८

श्री गंगासिंह--Will the Law Minister be pleased to state:—

(*a*) How many officers were detected indulging in malpractices in the General Elections?

(*b*) In how many of such cases proper inquiries were held and with what results?

श्री रामकिशोर व्यास--इसका जवाब अभी तैयार नहीं हुआ है । कल पेश कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--श्री धर्मचन्द ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

श्री तेजपाल ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री जगतसिंह ।

प्रश्न संख्या ५५०

श्री जगतसिंह झाला--क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(अ) क्या सरकार द्वारा चित्तौड जिले में भी प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा विभाग खोला गया है ?

(आ) अगर (अ) का जवाब हां में है तो किन किन तहसीलों में कितनी कितनी रकम गत वर्ष इस कार्य के लिये दी जा चुकी है ?

(इ) इस विभाग द्वारा कौन कौन कर्मचारी किस किस तहसील में कार्य कर रहे हैं ?

(ई) उनके क्या क्या नाम हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा--(अ) हां, चित्तौड जिले में प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा केन्द्र खुले हुए हैं ।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

(आ) तहसील कपासन में एक समाज शिक्षा केन्द्र और तहसील बेगूं व प्रतापगढ़ में एक एक महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं। तहसील कपासन में समाज शिक्षा पर ९००) रुपये खर्च हुए तथा तहसील बेगूं में २९०) रुपये खर्च हुए हैं।

(इ) तहसील कपासन में एक समाज शिक्षा संयोजक नियुक्त है, और शेष दोनों तहसीलों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर स्थानीय अध्यापिकायें उप वेतन पर कार्य करती हैं।

(ई) संयोजक कपासन : श्री मनोहर लाल सोमानी

प्रौढ़ शिक्षा संचालिका बेगूं : शान्ति देवी

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालिका प्रतापगढ़ : शुगम देवी

श्री जगतसिंह--क्या इनके सिवाय भी और शिक्षा केन्द्र इस जिले में सरकार खोलने का इरादा कर रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा--यह अगले साल की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है।

प्रश्न संख्या ५५१

श्री मुक्तिलाल मोदी--क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान सरकार ने खादी व ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये अब तक क्या क्या कार्य किया है ?

(२) अभी तक सरकारी विभागों में कितनी खादी खरीदी गई है ?

(३) क्या सरकार को पता है कि गांवों के उद्योग धन्धे सरकार के संरक्षण के अभाव में खत्म हो रहे हैं, जैसे तेल घानी, चमड़े का उद्योग ?

(४) उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास--राजस्थान सरकार ने खादी संघ को रु० २,५०,०००) (ढाई लाख) रुपये की माली सहायता देकर खादी उत्पादन को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया है। खादी की बिक्री बढ़ाने का यत्न किया जा रहा है और इस के आवागमन पर कस्टम ड्यूटी की छूट प्रदान की है। इसके अतिरिक्त प्रदर्शन करने वाली ऐसी पार्टियों का निर्माण किया गया है जो ग्रामीण बुनकरों को आधुनिक ढंग के करघे तथा नवीनतम डिजायन और पक्की रंगाई की, गांव गांव घूमकर, शिक्षा देती हैं।

२. अलग अलग सरकारी विभागों में खरीदी गई खादी के कुल आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इसके लिये काफी समय चाहिये। अस्पताल, पुलिस और दूसरे विभाग अपनी चादरों, पट्टियों, साड़ियों, झाड़नों, वर्दियों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जयपुर, जोधपुर, और बीकानेर में खुले हुए घरेलू उद्योग धंधों के क्रय-विक्रय केन्द्रों से सामान की बिक्री खरीदते हैं।

[श्री रामकिशोर व्यास]
इन संस्थाओं द्वारा पिछले ३ वर्ष में लगभग डेढ़ लाख रुपये के सामान की बिक्री स्थानीय केन्द्रों तथा प्रदर्शिनियों में जाकर हुई है।

३. ग्रामीण उद्योग-धंधों के संरक्षण के लिये सरकार हर संभव तरीके से प्रयत्नशील है; जैसे तेल की घानियों के संरक्षण के लिये विद्युत शक्ति से चलने वाली तेल की मिलों और तेल के कोल्हुओं के लिये नई स्वीकृति नहीं दी जा रही है। चमड़े के उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हमारे विभाग में ट्रेनिंग मास्टरों द्वारा और गांवों के प्रदर्शन करने वाली पार्टियों द्वारा नवीन ढंग से चमड़ा तैयार करने आदि की शिक्षा दी जाती है। सरकार द्वारा जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में खोले गये क्रय-विक्रय केन्द्रों का मुख्य ध्येय कुटीर उद्योग धंधों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--क्या सरकारी कर्मचारियों को जो यूनीफॉर्म दी जाती है वह क्या खादी की तैयार होती है?

श्री रामकिशोर व्यास--जी नहीं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि यूनीफॉर्म खादी की बनाई जाय?

श्री रामकिशोर व्यास--ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--क्या सरकार इस प्रकार के आदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री रामकिशोर व्यास--हां, सरकार विचार करेगी।

श्री भैंरूं सिंह--क्या यह सही है कि खादी को प्रोत्साहन देने वाले सरकार के मंत्रीगण खादी का प्रयोग नहीं करते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास--मैं तो खादी का प्रयोग करता हूं।

श्री मुक्तिलाल--ढाई लाख रुपये की जो मदद दी गई है वह किस रूप में दी गई?

श्री रामकिशोर व्यास--वह लोन के रूप में दी गई है।

श्री मुक्तिलाल मोदी--इस पर क्या क्या ब्याज दिया जाता है और रुपया किन २ शर्तों पर वापिस लिया जाता है?

श्री रामकिशोर व्यास--किश्तें जो मुकर्रर हैं उनके अनुसार किश्तों में रुपया लिया जाता है।

श्री रामदयाल उपाध्याय--क्या किश्तों के मुताबिक रुपया वापिस मिल रहा है?

Page No.26

श्री रामकिशोर व्यास--हां, मिल रहा है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी--जब सरकार रुपया वापिस लेती है तो जिस तरह दूसरे प्रान्त वाले मदद करते हैं क्या राजस्थान सरकार उस तरह की कोई मदद करने को तैयार नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास--सरकार एक खादी एक्ट बनाने का प्रॉपोजल तैयार कर रही है ।

श्री भीमसिंह--क्या खादी की वर्दी मिल के कपड़े से महँगी नहीं पड़ेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास--महँगी पड़ सकती है ।

श्री भीमसिंह--महँगी पड़ने के उपरान्त भी क्या सरकार खादी की युनिफोर्म बनाने का विचार रखती है ?

श्री रामकिशोर व्यास--विचार करने में कोई हर्ज नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंह--विचार करने में फिजूल समय क्यों वेस्ट किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--ऑर्डर !

प्रश्न संख्या ५५२

श्री जगतसिंह--क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(अ) जिला चित्तौड़ में किन किन तहसीलों में सरकारी हॉस्पिटल व आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

(आ) क्या सरकार केवल तहसीलों में ही हॉस्पिटल पर्याप्त समझती है ?

(इ) क्या तहसीलों के बड़े बड़े कस्बों व गांवों में भी खोलने का विचार है ?

(ई) अगर हां, तो कहां कहां व कब तक ?

श्री रामकिशोर व्यास--जिला चित्तौड़ में १८ हॉस्पिटल व डिस्पेन्सरियां हैं जो निम्नलिखित तहसीलों में हैं--

१. चित्तौड़गढ़
२. निम्बाहेड़ा
३. कपासन
४. राशमी
५. भदसर
६. डूंगला
७. बेगढ़

[श्री रामकिशोर व्यास]

८. छोटी सादड़ी

९. बड़ी सादड़ी

१०. लसाड़िया

११. बेगूं

१२. धमोतरा

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तहसीलों में आयुर्वेदिक औषधालय हैं:—

नाम तहसील	संख्या औषधालय
चित्तौड़	४
बेगूं	२
गंगरार	१
भैंसरोडगढ़	१
कुवाखेड़ा	१
बड़ी सादड़ी	१
अचनेरा	१
प्रतापगढ़	४
भक्सेर	१
कनेरा	१
	कुल १७ औषधालय हैं

(आ) ऐसा नहीं है।

(इ) बड़ी सादड़ी, बेगूं वगैरह तहसीलों के बड़े कस्बे में डिस्पेन्सरियाँ खोली हुई हैं परन्तु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण और डिस्पेन्सरियां अन्य तहसीलों के बड़े कस्बों में नहीं खोली जा सकीं।

(ई) आर्थिक स्थिति ठीक होने पर डिस्पेन्सरियाँ बढ़ाना संभव होगा और उस समय ५००० या इससे ज्यादा जनसंख्या वाले ग्रामों में डिस्पेन्सरियां खोलने का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रखा जावेगा।

प्रश्न संख्या ५५३

श्री तनसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बाड़मेर में केराडू और जूना नामक स्थानों पर १२ वीं शताब्दी की कला व संस्कृति के प्रतीक कुछ मन्दिरों के भग्नावशेष हैं?

[श्री तनसिंह]

(२) क्या राजस्थान बनने के पहले जोधपुर पुरातत्व विभाग की ओर से वहां कोई चौकीदार उनकी सुरक्षा के हेतु रहता था और कुछ जीर्णोद्धार का कार्य भी हुआ था ?

(३) क्या अब भी सरकार उसे सुरक्षित रखने के लिये प्रयत्नशील है? नहीं, तो क्यों ?

श्री **नाथूराम मिर्धा**--हां। जिला बाड़मेर में केराडू और जूना नामक स्थानों पर १२ वीं तथा १३ वीं शताब्दी की कला व संस्कृति के प्रतीक के कुछ भग्नावशेष हैं। राजस्थान बनने से पहले जोधपुर के पुरातत्व विभाग की ओर से कोई चौकीदार उनकी सुरक्षा के लिये नहीं रहता था ; जिस समय जीर्णोद्धार का कार्य नहीं हुआ था। मरम्मत का काम आज से ढाई वर्ष पूर्व कूओं तथा मन्दिरों में हुआ था, तब से एक चौकीदार मकान की देखरेख के लिये रहता था। राजस्थान सरकार सभी स्मारकों की सुरक्षा के लिये प्रयत्नशील है परन्तु जो ज्यादा जीर्णावस्था में हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। उनका नम्बर आने के बाद उनको भी सुरक्षित रखा जायगा।

श्री तनसिंह--क्या सरकार ने उन मन्दिरों की मरम्मत के बाद में किसी व्यक्ति को भेज कर जांच कराई है कि उनकी क्या हालत है ?

श्री नाथूराम मिर्धा--जांच से आपका क्या मतलब है ?

श्री तनसिंह--क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार जब तक उनकी मरम्मत करवाने के लिये तैयार होगी तब तक क्या वे मन्दिर नष्ट नहीं हो जायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा--बात यह है कि यह कार्य अर्थ व्यवस्था पर निर्भर करता है। ज्यों ज्यों पैसा अवेलेबल होता जायगा, जो काम पहले करना होगा उसको पहले किया जायगा।

श्री तनसिंह--क्या यह समझा जाय कि राजस्थान निर्माण होने के बाद ज़िला बाड़मेर के अंदर किसी मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिये पैसा नहीं दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा--आपने यह दूसरा सवाल किया है इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री देवीसिंह--इस वर्ष कितने पुराने स्मारकों की मरम्मत कर रहे है ?

श्री नाथूराम मिर्धा--यह तो बिल्कुल जुदा सवाल है।

श्री देवीसिंह--क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके लिये कितना व्यय किया गया है, कितनी तादाद में; संख्या बता दी जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, बाद में बता सकता हूं।

प्रश्न संख्या ५५४

श्री गंगासिंह-- Will the Law Minister be pleased to state:—

(a) Why the S.D.M. and Extra Magistrate & Munsif Courts, Nagaur were shifted from the Nagaur Fort to the building of the Collectorate?

(b) Is it not a fact that a great inconvenience is caused to the public and the bar by keeping these courts at the Collectorate?

(c) Is it not a fact that these courts have not got sufficient accommodation in the Collectorate building where they have been located for the present?

(d) Is it a fact that there are no water arrangements and there is no shed for clients to sit at the place where the courts are at present situated?

(e) What arrangements for the shed and water, the Government is going to make there?

(f) Looking to the hardship caused to the public and bar by shifting these courts to the Collectorate building and also the problem of accommodation, shed and water arising out of it, is the Government prepared to shift these courts again to the Fort?

श्री रामकिशोर व्यास--(a) Nagaur Fort is the personal property of H.H. the Maharajah of Jodhpur. When the District Administration Scheme in Jodhpur was introduced in 1949, the Court of the District and Sessions Judge also existed at Nagaur and was accommodated in the present Collectorate building and there was no accommodation for the Collectorate building.........

श्री मानसिंह—अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं देता।

श्री एच. के. व्यास—आवाज की खराबी नहीं, पान खा रखा है।

श्री रामकिशोर व्यास—आज पान नहीं खा रखा है। माइक्रोफोन डिफेक्टिव हो सकता है।

The offices of the Collector, Sub-Divisional Magistrate and the Extra Magistrate etc. were, therefore, accommodated in the Fort. This fort was given on lease for 10 years to locate these offices without doing any damage to the existing buildings and architecture. When the Court of the District and Sessions Judge was shifted to Merta, the office of the Collector was shifted from the Fort to the present building where the Sessions Court was located. The offices of the S.D.O. and Extra Magistrate remained very far. As a rule the Revenue Courts

[श्री रामकिशोर व्यास]

must be located at one place so that the Collector can have proper supervision over them and the Headquarter Sub-Divisional Officer be able to look after the work of the Collector, during his absence on tour. Besides, the premises occupied by these offices were required to be vacated after the period of lease was over, and again the question of new accommodation would have arisen. Taking all these factors into consideration, it was decided to shift the other Revenue Courts from the Fort to the present Collectorate building. Thereafter the court of the Munsiff was also shifted to the same building as the Bar Association had represented that all the Courts should be located in the same building as it was conducive to the convenience of the Bar as well as the litigant parties. The wishes of the Bar Association were met by the above arrangement.

(b) There is no inconvenience. It is rather more convenient to the public and the Bar to attend all the Courts at one place.

(c) At present there is just sufficient accommodation to meet their present requirements. The Bar has also been provided with a separate Bar room.

(d) There is no separate shed and the litigants sit in the verandahs outside the courts, under trees and in open space. There is no separate water Piao but water is supplied to the litigants by the waterman attached to each Court.

(e) Regarding shed and water arrangements, proposals are under consideration of the Government.

(f) This is not a question but a suggestion. It may, however, be stated that it is not intended to shift the Courts back to the Fort.

श्री गंगासिंह—तहसील फोर्ट और कलेक्टर कोर्ट में कितना फासला है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो मैं अर्ज नहीं कर सकता ।

श्री गंगासिंह—अगर इन दोनों के बीच फासला ज्यादा है तो कन्वीनियेन्स के हिसाब से क्या फोर्ट के अन्दर उन कोर्ट्स को लेजाने के लिये सरकार तैयार है ?

श्री रामकिशोर व्यास—वापिस कोर्ट के अन्दर ले जाने के लिये सरकार तयार नहीं है ।

श्री गंगासिंह—क्या कन्वीनियन्स को देखते हुए सरकार इन्क्वायरी करने के लिये तैयार है ?

श्री रामकिशोर व्यास—कोर्ट्स को एक जगह रखा जाना ज्यादा अच्छा है और ज्यादा से ज्यादा कोर्ट्स एक जगह रखी गई हैं ।

श्री गंगासिंह—जब तक एक जगह कोर्ट्स नहीं हो जायें तब तक कोर्ट्स के एकोमोडेशन के बारे में गवर्नमेन्ट कुछ करेगी ?

श्री **रामकिशोर व्यास**--मौजूदा जगह के लिये कोई खास शिकायत तो नहीं है।

श्री **गंगासिंह**--क्या यह सत्य है कि क्लर्क्स वगैरह वरान्डे में बैठते हैं ?

श्री **रामकिशोर व्यास**--हां, बैठ सकते हैं। वरान्डे में बैठना कोई गुनाह तो नहीं है।

श्री **गंगासिंह**--लेकिन वहां बरसात के लिये कोई बन्दोबस्त नहीं है।

श्री **रामकिशोर व्यास**--वरान्डे में तो हम और आप सभी बैठ सकते हैं।

श्री **गंगासिंह**--छाया के लिये टेन्ट्स कब तक बन जायेंगे ?

श्री **अध्यक्ष**--Next. Short Notice Question. Shri Hari Shanker Sidhant Shastri.

अल्पकाल-सूचना-प्रश्न

श्री **हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री**--क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सत्य है कि जिला टोंक के एक एम. एल. ए. के मकान पर ता० ८-३-५३ को दिन के ११ बजे कुछ गुण्डों ने हमला कर दिया था और मारपीट भी की थी ?

(२) यदि हां, तो क्या इस हमले में राज्य के कुछ कॉन्स्टेबल भी शामिल थे ?

(३) यदि हां, तो सरकार ने उनके प्रति अब तक क्या एक्शन लिया ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) क्या सरकार इस हमले की शीघ्रातिशीघ्र जांच करायेगी और अपराधियों को उचित दण्ड दिलाने का यत्न करेगी ?

श्री **टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)**--(१) लालूरामजी एम. एल. ए. के पिता श्री राम नारायण ने ८ मार्च, सन् १९५३, को एक रिपोर्ट थाना गूजर, उसकी मां, उसके बेटे और खेमा गूजर के खिलाफ पत्थर फेंकने और मकान पर हमला करने की। रामा, भोम काश और श्री लालूरामजी के चोट आई बतलाई गई थी।

(२) राज्य के कॉन्स्टेबिल का जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं था।

(३) उत्पन्न नहीं होता।

(४) उत्पन्न नहीं होता।

(५) इस मामले की शीघ्र जांच कराने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

Page No.32

श्री कँवरलाल जेलिया--क्या सरकार ने इसकी जांच करा ली ?

(हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--मैंने निवेदन किया कि जांच कराई जा रही है।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या हमला होने के दिन से अब तक जांच पूरी नहीं हुई ?

श्री कानसिंह--क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि एम. एल. ए. के लिये कोई खास प्रबन्ध है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--हाउस में उनकी रक्षा का पूरा प्रबन्ध है।

श्री कानसिंह--क्या साधारण नागरिकों के लिये प्रबन्ध होता है उतना ही या खास ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--जी नहीं। जितना साधारण लोगों के लिये होता है उतना ही।

श्री रामदयाल--क्या गृह मन्त्री को मालूम है कि उन एम. एल. ए. साहब ने सिपाहियों के नाम की रिपोर्ट की थी कि फलां सिपाही उसमें शामिल थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--मैंने निवेदन किया था कि इस मामले की फर्स्ट इन्फॉरमेशन रिपोर्ट जो लालूरामजी के पिता ने दर्ज कराई थी उस रिपोर्ट में कॉन्स्टेबल के होने का जिक्र नहीं था।

श्री रामदयाल--एक दूसरी रिपोर्ट उस सम्बन्ध में पेश की गई थी उसमें ऐसे सिपाहियों के बारे में रिपोर्ट है वह क्या आपके ध्यान में है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--फर्स्ट इनफॉर्मेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उसमें जितने वाकेआत आयेंगे वह देखेंगे।

श्री गंगासिंह--इस जांच में क्या पाया गया ?

श्री भैरूंसिंह (दाँता रामगढ़)--यह हमला करने का कारण क्या मालूम हुआ ?

(श्री पालीवाल के अधिक देर तक जवाब नहीं देने पर)

श्री भैरूंसिंह (दांतारामगढ़)--माननीय अध्यक्ष, जवाब तो मिलना चाहिये। यह रिलेवेन्ट सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन है ?

श्री अध्यक्ष (श्री पालीवाल को सँकेत करके)--जवाब दीजिये।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्यमंत्री)—कुछ आपसी घरेलू झगड़े ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री एच. के. व्यास—Sir, what about questions which were left over yesterday because of the absence of the Chief Minister?

श्री अध्यक्ष—When his next turn comes he will reply.

श्री एच. के. व्यास—They were postponed for today.

श्री अध्यक्ष—For the next day when his turn comes.

एक सदस्य—प्रश्न संख्या ५१६, ५१७ और ५१८ के जवाब नहीं आये हैं ।

श्री अध्यक्ष—We shall take them now. (After a pause) But the time is over.

श्री जसवन्तसिंह—Sir, we have noticed that the Ministers are very big personalities. But in the Assembly I regret to say that whether they are ordinary members or they are ministers they are all on equal footing and as such the House wishes to know as to why they were not present when required to answer the questions asked by Hon'ble Members.

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)—मुझे बड़ा खेद है कि मुझे ५-७ मिनिट की देरी हो गई । इसका कारण यह है कि मुझे समय का ख्याल ८॥ बजे का रह गया । ऐसा इस गलतफहमी की वजह से हुआ । ऐसे रोज के हिसाब से २० मिनिट पहले आया, लेकिन आज के हिसाब से ५ मिनिट की देरी होगई । इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय और सदन के सदस्यों से क्षमा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—That was taken into account.

प्रश्न संख्या ५१६

श्री भैरूंसिंह (डिवीजन नम्बर १२)—क्या व्यापार तथा व्यवसाय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) पहले अधिवेशन में सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि कुटीर व्यवसायों के लिये सरकार प्रयत्नशील है । इस तथ्य को ग्रहण करते हुए क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि क्या "मधुमक्खी पालन" के व्यवसाय को भी राजस्थान में कहीं प्रचलित किया गया है ?

(ब) यदि (अ) का उत्तर 'हां' में है तो—

(१) इस व्यवसाय को कहां तक शुरू किया गया ?

(२) इसके लिये सरकार ने क्या प्रोत्साहन दिया ?

(३) क्या यह व्यवसाय लाभप्रद सिद्ध हुआ ?

Page No.34

[श्री भैरूंसिंह]

(ख) यदि (अ) का उतर 'ना' में है तो क्या सरकार इस व्यवसाय को शुरू कर, किसानों को राहत पहुंचाने वाले इस साइड बिजनेस को बढ़ावा देगी ?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)--(अ) राजस्थान सरकार अपनी वित्तीय परिसीमा के अन्दर घरेलू उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये प्रत्येक कदम उठा रही है। सन् १९४४ में श्री शिवपुरी द्वारा अलवर में मधुमक्खी-पालन के सम्बन्ध में सफल प्रयोग किये गये थे जिससे यह सिद्ध हो गया कि यह सहायक उद्योग, राजस्थान में अच्छी वनस्पति के कुछ क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है।

सन् १९५२ में मधुमक्खी पालन के विषय में उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण के लिये एक अभ्यर्थी को को धन प्रदान किया गया था और उसने सफलता पूर्वक अपना शिक्षण पूर्ण कर लिया। उदयपुर में विद्या भवन सोसायटी ने मधुमक्खी-पालन के विनय में अपने प्रयोग आरंभ कर दिये हैं।

(ब) (१) राजस्थान के कुछ भागों में मधुमक्खी-पालन एक सहायक पेशा हो सकता है। वह विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर, द्वारा आरम्भ किया जा चुका है;

(२) सरकार मधुमक्खी-पालन के विषय में प्रशिक्षण की सुवि ायें प्रदान करन के सम्बन्ध में विचार कर रही है।

(३) हां, एक सहायक पेशे के रूप में।

(स) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १२)--क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी ऑफिसर को जानकारी हासिल करने के लिये बाहर भेजने का विचार किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास--हां।

श्री भीमसिंह--क्या सरकार ने कहीं पर मधुओं की शाला आरम्भ की है ?

श्री रामकिशोर व्यास--अभी तक नहीं की।

श्री भीमसिंह--क्या जल्दी ही ऐसी मधुशाला आरम्भ करने का विचार है ?

एक सदस्य--उदयपुर में ऐसी मधुशाला खोलने की कोई स्कीम है ?

श्री रामकिशोर व्यास--(अश्रव्य)

श्री भीमसिंह--मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री रामकिशोर व्यास--अभी तक कोई मधुशाला खो ी नहीं है।

Page No.35

श्री भैरूसिंह—क्या राजस्थान सरकार राजस्थान में मधुशाला शीघ्र खोलने का विचार कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—विचार कर तो नहीं रही है, विचार कर सकती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५१७

श्री छीतर लाल शर्मा—क्या न्याय मन्त्री यह बतलायेंगे कि:—

(१) सरकार द्वारा सभा की बैठक में तथा अन्य रूप में कई बार यह विश्वास दिला चुकी है कि शीघ्र ही जुडिशियरी को एक्जिक्युटिव से अलग कर दिया जायगा, परन्तु अभी तक इसे कार्यान्वित नहीं किया गया ; इसका क्या कारण है ?

(२) यदि अलग किया जाना निश्चित है तो किस समय तक अलग करने का सोचा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के सम्बन्ध में कदम उठाने में सरकार संविधान के अनुच्छेद ५० में दिये गये निर्देशक सिद्धान्त से बद्ध है। मामले की परीक्षा की जा रही है। इस दशा में प्रथम कदम के रूप में मावली कानोर, सवाई माधोपुर और भवानी मंडी के मुन्सिफों को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं तथा दण्ड प्रक्रिया संग्रह की धारा १९० के अन्तर्गत अपराधों में सीधे हस्तक्षेप करने की अतिरिक्त शक्ति भी उन्हें सौंप दी गई है। मुन्सिफों और मजिस्ट्रेटों के ऐसे संयुक्त और अधिक न्यायालय स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के न्यायालय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन होंगे और आगे कदम उठाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री हिम्मतसिंह—एग्जिक्युटिव और जुडिशियरी जैसे इम्पोरटेन्ट प्रश्न पर सरकार विलम्ब क्यों कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सरकार विलम्ब नहीं करती, यह तो आरम्भ भी हो गया है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—We now take the Motion of Privilege which has been raised by Shri H. K. Vyas. Before I accord my sanction I would like to read it out. The motion of privilege is:—

(विराम)

He has given the reasons also:—

"The House now proceed to discuss the breach of privileges of this House committed by Shri Mohan Lal Sukhadia, in having leaked out details of the Budget to the Press before it was presented to the House."

[श्री अध्यक्ष]

He has further requested that:—

"I invite your attention to a news-items published in the Hindustan Times yesterday. In the paper a report emanating from the Revenue Minister, Shri Mohan Lal Sukhadia has been published. That report says that so much we have provided in the budget for such and such item. This is a disclosure of the budget before it is presented to the Assembly. It is a breach of privilege of the House and I request you to refer this question to the Privileges Committee. Further I request you to permit me to make a motion in the House."

(Pointing to Shri M. L. Sukhadia.)

Have you any objection ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—No, Sir.

श्री अध्यक्ष—He has given his reasons.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Before that if he wants to say anything he can say.

श्री अध्यक्ष—(श्री व्यास को संकेत करते हुए) Do you want to say something ?

श्री एच. के. व्यास—About the admission of this ?

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री एच. के. व्यास—No, Sir. The question is that after the leave of the House is given to discuss this, I would like to say something. But, of course, unless you want me to say something on the admissibility of this question, I have nothing to say.

श्री अध्यक्ष—If you have to say on the admissibility, you can say.

श्री एच. के. व्यास—I will say.

श्री अध्यक्ष—Not on merits.

श्री एच. के. व्यास—Only on admissibility. I have raised a question which involves the privileges of this House.

माननीय अध्यक्ष, मैंने इस सदन के प्रिविलेज के सबंध में एक प्रश्न प्रस्तुत किया है। वे कौन से प्रिविलेजेज् हैं जिनको छोड़ दिया गया या जिनकी अवहेलना की गई। मेरे खयाल

Page No.37

[श्री एच. के. व्यास]

के मुताबिक वह यह है कि जब तक सदन के सामने बजट स्तुत नहीं कर दिया जाता तब तक बजट के बारे में अथवा बजट के किसी विशेष आंकड़ों के बारे में कोई भी इतला बाहर किसी भी व्यक्ति को दे देना अथवा उन्हें किसी प्रकार से प्रकाशित कराना सदन के प्रिविलेज का हनन है; यह ि विलेज का प्रश्न मैंने प्रस्तुत किया है। इस सिलसिले में मैं सदन के सामने इस प्रश्न पर कुछ फैसले भी हुए हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहला केस जिसका कि मैं जिक्र करूंगा वह हाउस ऑफ कॉमन्स में हुआ था। जब चान्सलर ऑफ एक्सचेकर हाउस ऑफ कॉमन्स में बजट प्रस्तुत करने जा रहे थे उसके कुछ ही मिनट पहले उन्होंने बजट के कुछ हिस्से के सं ध में एक प्रेस रि ेजेन्टेटिव से बातचीत की। वह सवाल हाउस की प्रिविलेज का सवाल बन कर हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने आया और उस पर लीडर ऑफ दी हाउस का अंत में बयान रहा कि हालाँ कि ऐसा कार्य किसी बुरी नियत या बुरे इरादे से नहीं किया गया था और हालां कि उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ा क्योंकि चन्द मिनट का ही फर्क था लेकिन फिर भी हमको कुछ हाई स्टेन्डर्ड कायम रखना है इसलिये उन्होंने इस संबंध में कुछ आदेश दिये और चान्सलर ऑफ एक्सचेकर ने अपना अस्तीफा पेश किया। यह पहली घटना ई, बजट की इत्तला को सदन में बजट प्रस्तुत होने से पहले देने की।

दूसरी इसी प्रकार की घटना दिल्ली की लोक सभा के सिलसिले में हुई और जिसका ताल्लुक एक पूरे देश से है और जिस पर पी. सी. की रिपोर्ट आया हो चुकी है, जिसका नाम है श्री मुदगल केस। इसमें यह बात जरूर थी कि इतला देने के अलावा उन्होंने कुछ अनुचित लाभ भी उठाया, लेकिन जहां तक इस केस का संबंध है मैं इस हद तक रिलाई करता हूं कि आम तौर से यह माना गया है कि बजट सदन के सामने प्रस्तुत होने से पहले उसके किसी भी अंग की या उसके सं ध में किसी प्रकार की इतला किसी को नहीं दी जानी चाहिये थी।

इस केस में यह हुआ कि माननीय रेवेन्यु मं ी जी ने एक प्रेस के प्रतिनिधि को बयान दिया और वह बयान यह है कि आगामी वर्ष के बजट में हमने इतना मद, इतनी रकम : साढे सें ीस लाख रुपया रख दिया है। we have provided so much amount in the budget.

यह उदाहरण हैं दोनों ही जिन पर मैं खास जोर देना चाहता हूं। मेरी अर्ज यह है कि योजनाओं के बारे में बात करना दूसरी बात है। आप अपने ओबजेक्टिव्ज, टार्गेटस को, उद्देश्यों को बतायें कि हम अमुक अमुक कार्य करना चाहते हैं, इतना रुपया खर्च करना चाहते हैं, इस काम में इतना आगे बढ़ना चाहते हैं। वह एक जुदा बात है। वह होती आती है और सके होने में शायद कोई एतराज भी नहीं हो सकता। लेकिन मंत्रियों को या संबंधित अधिकारियों के अधिकार केवल इतने तक ही सीमित हैं कि वे उद्देश्यों को दर्शा सक, योजना के जो टार्गेट्स हैं उनकी ओर इशारा कर सकें। पर किसी भी मं ी को या किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह किसी फैसले को जिसे किसी केबिनेट ने या मंत्रियों ने कभी भी किया हो, उनके फेक्ट्स को डिस्क्लोज करें, अगर वह फैसला बजट के किसी मद से संबंध रखता हो, जो अभी तक सदन में पेश नहीं हुआ हो। जब तक वह बजट सदन के सामने पेश नहीं हो तब तक किसी मं ी या अधिकारी को

[श्री एच. के व्यास]
अधिकार नहीं है जिससे वह यह कहे कि हमने अमुक अमुक रकम बजट में प्रोवाइड करदी है, जब तक कि वह बजट सदन के सम्मुख पेश नहीं हुआ हो ।

इस माने में इस तरह के बयान देने से डिस्क्लोजर ऑफ फेक्ट्स हुआ है और सदन के प्रिविलेजज् को तोड़ा गया है, यही मुझे सदन के सामने कहना है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, जो प्रश्न माननीय श्री एच. के. व्यास ने उपस्थित किया है मैं समझता हूं कि जो उदाहरण इस सबंध में दिये गये, इस प्रश्न से बहुत भिन्न प्रकार के हैं। जो सूचना प्रेस को दी गई वह सूचना ऐसी कोई सिक्रेट चीज नहीं थी कि जिसके डिस्क्लोजर से कोई बुरा असर पड़ता हो या कोई सीरियस व्यू, सीरियस वातावरण पैदा हो जाता हो । बजट में जो आंकड़े हैं उनके बारे में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों से चर्चा करके कि क्या क्या खर्चा होगा, यह तय किया गया । इस संबंध में केबिनेट ने बहुत समय पहले फैसला दिया था और इसको कहने से कोई किसी प्रकार का एडवर्स वातावरण बन गया हो ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि आम तौर से लोगों के अन्दर जो एक कार की भ्रान्ति और बेचैनी हो सकती है, उसको दूर करने का ही लक्ष्य था । बजट में हर वर्ष स्कूलों, तालाबों, सड़कों और प्लानिंग के बारे में आंकड़े रखे जाते हैं, इन बातों की जानकारियां दी जाती हैं कि इस साल इतना हो रहा है और अगले साल इतना और दिया जायगा । जो खर्चा किया जाना है वह अक्टोबर के बाद तय किया जाता है और जून तक कंसोलिडेड स्टेटमेन्ट तैयार किये जाते हैं, इसके बारे में अलग अलग समय पर सूचनायें दी गई ।

जो चीज आज दिन तक सीक्रेट रखी गई हो और उसके बारे में सदन के सामने पेश होने से पहले ही सूचना दे दी गई हो तो उसके बारे में यह प्रश्न उठ सकता है । केवल रात-दिन चलने वाले कार्य के बारे में जानकारी देना मात्र तो सदन के प्रिविलेज का भंग करना नहीं होता जिसका कि और कोई दूसरा दृष्टिकोण न हो कर एक यही दृष्टिकोण हो कि जनता में फैली हुई भ्रान्तियों को दूर किया जाय । इसलिये f विलेज को भंग करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता । गवर्नमेन्ट एडवोकेट जो कि कानूनी जानकारी रखते हैं वे भी इस बारे म कानूनी जानकारी दे सकते हैं ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—The Advocate-General is shortly going to say something.

श्री किशनलाल शाह—अध्यक्ष महोदय, समाचारपत्रों में इसके सबंध में शब्दों को क्वोट करते हुए अमुक-अमुक बदों में इतना इतना रुपया आगामी वर्षों के लिये निश्चित कर दिया गया है; बजट के इन शब्दों को समाचार-पत्र को देने के संबंध में यह बताया गया है कि यह सदन के प्रिविलेजेज का ब्रीच है। इस प्रश्न को तय करते समय यह क्वेश्चन उठ खड़ा होता है कि is it a matter of secrecy.

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मान कर चलता हूं कि जिस इन्फोर्मेशन को बताने से, या जिस सूचना के लीक होने से पब्लिक पर इकोनोमिकल इफेक्ट पड़ता हो, उसके सर्क्युलेशन से ऐसा विषय बनता हो,

[श्री किशनलाल शाह]
ऐसा वातावरण पैदा होता हो जिसका असर सारे प्रान्त की इकोनोमी या इन्कम पर पड़ता हो; उदाहरण के तौर पर टेक्सेशन.....

श्री एच. के. व्यास—On a point of order, sir, you restricted me only to stick to the admissibility of the motion and not to its contents. But both the Members are going to its contents. I have no objection, but I should also get an opportunity to go into the question of the contents also. I confined myself to admissibility only because I was ordered so, but then my Hon'ble friends are going to the substance of the question. That is the point.

श्री अध्यक्ष—They should limit their arguments to admissibility.

श्री किशनलाल शाह—The question of admissibility depends upon relevancy. There are two kinds of relevancies, relevancy of logic and relevancy of fact. The question is whether there is any matter of secrecy which has been disclosed.

इसलिये जब तक यह प्रश्न तय नहीं हो जाय कि यह मेटर ऑफ सीक्रेसी है कि नहीं तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हाउस के प्रिविलेजेज् का ब्रीच किया गया है या नहीं। टेक्सेशन का मामला मेटर ऑफ सीक्रेसी हो सकता है पर गवर्नमेन्ट जनकल्या कारी कार्यों में रूपया खर्च करना चाहती है; यह कोई मेटर ऑफ सीक्रेसी नहीं है। जिससे वातावरण हेल्दी बनता हो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाता है। जब यह मेटर ऑफ सीक्रेसी नहीं है तो इसको डिस्क्लोज करने में कोई आपत्ति नहीं और ऐसी सूरत में यह क्वेश्चन बेकार हो जाता है।

श्री के. एस. हजेला (एडवोकेट जनरल)—Shall I express myself in English?

कुछ सदस्य—You may speak in Hindi.

श्री के. एस. हजेला (महाधिवक्ता)—English will be more convenient to me.

सदन की अनुमति हुई।

Mr. Speaker, Sir, I have given the utmost consideration to the matter before this House. So far as the question of privilege is concerned, you will realise that we cannot create any new privileges. If we create any new privileges it will mean license to create new privilege. The privileges are long standing and we have to consider whether by this disclosure, the Hon'ble Revenue Minister has committed a breach of privilege. We have just to consider the objections to privileges of this House and then only we can decide this issue.

[श्री के. एस. हजेला (महाधिवक्ता)]

An example or two quoted by my Hon'ble friend with regard to Dolton's case or with regard to Mudgal's case will not help us to come to a final decision in the matter, because so far as the facts of these cases are concerned they can be easily differentiated and I will try to differentiate them with this case before you.

So far as the privileges in the Parliament are concerned and of course following the practices in the House, Assemblies or Councils, the objections are generally three-fold :—

(i) to guard against the privileges of the Crown of the Sovereign Body, so far as the privileges of this House are concerned ;

(ii) to guard against the orders of the Court in respect of arrest, detention or taking of other legal proceedings, so far as they relate to creating obstruction in the matter of discharge of their duties with respect to the House, and

(iii) so far as the Parliament or the House of Commons is concerned, that there is another objection also, i.e., to guard against the inroads that may be made on the privileges of the House by the House of Lords.

The third question does not arise here. There are only two objections pertinent.

Apart from these privileges, there is another aspect of the matter also which although technically calling is a breach of privilege or is incorporated in privileges, but really speaking it consists of contempt of the House or contempt of privileges. That relates to a matter, for example, where disorderly behaviour is committed in the House or a slur in the House is caused or a reflection is made on the Speaker or the Chair. That would be considered as a breach of the privilege of the House also. Then again if these objections are not there, so far as the question of its secrecy is concerned, they are entirely of a different nature. There are two aspects of the matter: secrecy in respect of the House, i.e. secrecy which is due to the House, and secrecy which is due to the Cabinet. So far as the secrecy in respect of the House is concerned, there are special provisions and cases have been there. So far as Special Committees are concerned, which are held within closed doors, it is intended that the evidence taken there should not be disclosed. They have made rules where, in such cases, the evidence must not be disclosed until the Report of the Committee is published. In those cases, giving out the secret is a breach of the privilege of the House and

[श्री के. एस. हुजेला (महाधिवक्ता)]

can be claimed as such. In other cases, where the public are allowed access and absolutely no secrecy is maintained, no question of privilege in this connection in respect of the House is to be involved. Every matter which comes before the House or the Council or the Assembly cannot be said to be covered by the privileges of the House. For example, you take, when a Bill is moved by a private member with regard to a certain matter. Now, utmost publicity with regard to that Bill is required to be made, so that we might know the reaction of the people with regard to that matter. It is not necessary that it should be confined within the four-walls of the House and that its contents should not be given out. Absolutely no privilege or secrecy is involved in that case.

Similarly, there is another aspect of the matter. It is in relation to matters where the House is obstructed or impeded in the discharge of its duties, or an Hon'ble Member is objected or impeded in the discharge of his duties, certainly a violation of this will be regarded as a breach of the privilege of the House. Now let us analyse the case here.

So far as the two cases which my Hon'ble friend has quoted are concerned, I have studied these cases and I will name a third case which is perhaps not in the knowledge of my Hon'ble friend. It concerned the Government of India and Sir Thomas Allen, Member of the Commerce, was entrusted with a thing. What happened is that he leaked out a certain secret. The question of privilege was not relevant. It was, I mean to say, a breach of the confidence, of the secret which was reposed in him as a Member of the Cabinet. He was responsible to the Leader of the House and then to the Government of India and to the House itself.

So far as the Dalton's case is concerned, if my memory does not fail me, I may tell my friend that it is not exactly of the type to which the case before the House belongs. It was a question of certain taxation, a question of imposition of certain taxation, and what happened was that although the leakage was only a couple of minutes earlier, yet the people in England are so conscentious, that even in a two minutes time it was likely that the Government had to suffer a loss of lacs and lacs of sterlings. But it was not regarded as a breach of privileges of the House of Commons. The Member concerned tendered his resignation of his own free will, of his own accord, and there was absolutely no breach of the privilege of the House. The question was that so far as he was concerned, did he conduct himself with that propriety with which a Member of the Cabinet ought to conduct himself.

[श्री के. एस. हुजेला (महाधिवक्ता)]

Similarly Mudgal's case in an entirely different matter. Mudgal, of course, ommitted a breach of the privilege of the House, in as much as he entered into certain negotiations on behalf of certain private parties and was making benefit out of it. It was a corrupt practice and as a member of the Parliament, according to the rules of the House, he could not do so, and we consider him to have violated the privileges of the House, with the position he held as a Member of the House.

I ask you, Sir, from where do we get all these things after all? We do get these things from the traditions in England, from the practices followed in the Parliament. From the moment that I was given to know of this case, there is nothing which has not been considered by me and all that I have been able to find with regard to this matter is only this much that if there is any matter which is particularly to be kept as secrect, so far the Committees of the Parliament is concerned, it should not be published beforehand.

I will put another thing. If there is anything already obvious, then can it be said to be a breach of the privilege of the House, I ask you, Sir? I have been a lawyer thrity or thirty-five years of my life and I can say on the basis of the analogies before me that there was nothing to prevent Government from disclosing it. I would request you to consider section 124 of the Evidence Act. So far as this is concerned, it is open to the Government party to produce a certain document before the Court or claim privilege on the ground that it is a State secret. The Court has no right to go into the merits of the case and see whether you ar claiming privilege bonafide or it is merely with a view to find certain shelter behind the provisions of section 124 of the Evidence Act that certain privilege is being claimed. If the Government finds it to be a matter which has already been seen by somebody else, however secret certain document may be, if it has already been published, I can cite a case before you where it will not be supposed as top secret and where Government could not claim privilege with regard to it. If it has already been exposed it cannot be claimed as a secret document.

I submit, Sir, that so far as this matter is concerned, we find that recurring contributions are made in the Budget every year and so far as the amounts in this respect are concerned, I may tell my learned friend that it is a matter which goes from year to year. The only question is what amounts exactly have been allocated to it? On the other hand, will it be treated as a State secret ? It is not. It is a matter in which disclosure ought to be a rule and secrecy an exception, in as much as We have to do all these things with a view to allay public anxiety

[श्री के. एस. हाजेला (महाधिवक्ता)]

and anything which is meant for removing public anxiety cannot be held as secret. In doing so, the Hon'ble Revenue Minister had no sense of violating the privileges of this House. He gave out the figures bonafide.

So far as the technicality of this case is concerned, I would submit, Sir, that I have tried to find everything about it. So far as May's Parliamentary Practice and other literature is concerned, I do not find even one incident where they might have said that anything which is not necessarily to be kept as secret should be kept as secret. It is a matter of understanding. It cannot be kept as a secret from year in and year out. Sometimes we have to make a provision of 30 lacs, sometimes we have to make a provision of 32 lacs, and it makes absolutely no difference if the Minister was responsible for disclosing the figures, particularly if it was meant for allaying public anxiety.

My learned friend has said that his objection is on the words "that has been provided for" ; provided, subject to sanction of the legislature. "provided" does not mean that he has allowed it. It has not the sanction of the House. It is a question absolutely of an understanding with regard to that.

Now remains the question as to whether you are obstructed or imeded in the discharge of your duties as a Member of the House. If you are able to establish your objection that by this disclosure you are obstructed or impeded in the discharge of your functions, it is simply a question of fact and can be decided easily either way. It is not a question of opinion. It is a question of going through the annals of the legislature which, of course, is wedded in all sanity. We are all before a House which we consider to be able to appreciate these things. These things have got to be done. We should all know the facts. If a man is more enthusiastic, if he condiders it desirable and opportune and particularly necessary and a particular occasion to give out rather than keep a thing secret, then, Sir, my submission is that he has done his duty which he ought to have done as Minister in charge of his office.

So far as the technicality of this is concerned, as I have already submitted, the privileges are generally three, *viz.*, privileges against the Crown, privileges against the Court and so far as the House of Commons is concerned privileges against the House of Lords itself. We have not got any of these privileges so far as this matter is concerned which is not exactly of this type. I, therefore, consider that in this case there is absolutely no breach of privilege. That is my reading of it and my idea is that the motion should not be allowed.

श्री जसवन्तसिंह—I would seek a clarification by the Advocate-General. I hope the Advocate Goneral listens to me.

श्री अध्यक्ष—If you want he can come to your side.

श्री जसवन्तसिंह—I think he is welcomed on the other side.

श्री जसवन्तसिंह—There are two questions for clarification by the Advocate-General. One is this. Would he kindly throw light on Sir Shanmukhan Chetty's case which took place about three years ago in the house of people, and (2) I would like him to say whether the Budget is a secret document or a public document and can be seen by anybody at any stage ; and if it is not a secret document, and when it is under the process of being printed in the press, can the Superintendent, Press, tell the general public, anybody who comes to the Press, that under such and such head such and such amount of money has been provided, and whether he can be dealt with for divulging the information, or whether it is an information which can be given to the public to relieve their anxiety.

श्री एच. के. व्यास—I may tell the House that this is not the question. This will only confuse its scope. I have no intention of posing any question to my learned friend the Hon'ble Advocate-General. I want a decision on the specific question which I have raised.

श्री जसवन्तसिंह—What about my points, Sir ?

श्री अध्यक्ष—Your view-point is clear. If you want to say any other thing, you can say ; otherwise it is quite clear.

श्री एच. के. व्यास—Yes, Sir, I am only referring to the cases which he has cited. The rest is for you to decide. You give me five minutes only. I do not want to discuss the cases which have already been reported. I will speak on a new point.

We are not discussing whether the Budget is a secret document or not. That we would discuss and all of us have plenty to say in the matter. Here we are concerned only with finding out whether there is a *Prima facie* case for a mature consideration. My claim is, Sir, that the Budget is on all hands being treated as a secret document. Whether there is any justification for this consideration or not, I will disclaim to say anything more over this. It is conceded that a disclosure took place. It will be too much for this House to presume that on all sides of this case any multitudinous ruling has been left to be given

[श्री एच. के. व्यास]

by the Hon'ble Speaker. It is the privilege of the Members of the House to decide.

Well, a *Prima facie* case has been made and I think a ruling on this question should be left to be given by the Committee of Privileges which may be referred to on this question and I may be permitted to make the motion.

श्री जसवन्त सिह्—My objections are not on the items which my friend has raised.

श्री एच. के. व्यास—On a point of order, Sir, I am not discussing that. I think I would be permitted to discuss the arguments that my friend has said.

श्री अध्यक्ष—But the Leader of the Opposition wants some information.

श्री एच. के. व्यास—Information is different. But I think I must get an opportunity to discuss the arguments that have been raised and to reply to them.

श्री अध्यक्ष—Yes. Have you to say something with regard to this matter which has been raised whether the Budget is a secret document.

श्री के. एस. हुजेला (महाधिवक्ता)—So far as the Budget is concerned it is not to be take nup in the sense that all items are to be considered as secret. That is my idea. I respectfully submit, Sir, and you may cons ider it that there are recurring items which form the budget year in and yearout which come up to everybody and there are no specific provisions of law in this respect. The matter here relates only to a specific item of money which has been provided. If you consider that giving figures of that specific amount outcomes to a disclosure, I cannot exactly find any parellel anywhere where such thing has happened and we can go only on parallels. I have given very careful consideration to it and my conclusion is that except for specific items, everything that has been recorded in respect of a recurring Grant cannot be said to be a secret matter. My idea is that the Budget as a whole is not a secret document. But if the matter is one which concerns certain taxa- tion it is certainly secret.

There is another thing. If you have to decide whether the Budget is a secret document or not, you have to consider the process through which it is prepared. If it is prepared from Department to Department, viz., e.g., Education Department, Charity Department, etc., and if it goes through hundred hands,

[श्री के. एस. हूजेला (महाधिवक्ता)]

there is no secrecy about it, and generally any proposal which passes through this process is not secret. I respectfully submit, Sir, that you cannot consider it top secret or a secret which goes from year in and year out. There may be a certain proposal for taxation and giving out information in respect of that matter may affect the economy of the State and a disclosure of it will affect the whole State, then that is certainly a secret document. But the whole budget, I respectfully submit, cannot be considered as secret, considering the process in which it is prepared. You will find that it is prepared from Department to Department and no secrecy is maintained. I, therefore, consider that the who le Budget is not secret.

श्री जसवन्तसिंह्—What about the question of Shri Sanmukhan Chetty's case, Sir ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Shall I say something about it, Sir ?

I think my Hon'ble friend is confusing the matter by referring to instances in this House. Sanmukhan Chetty never divulged any information. His case was a case of difference of opinion between him and the Government in regard to the procedure about certain income-tax cases. Since the Government or the Leader of the Government and Sanmukhan could not agree, he had to resign. Therefore the question does not arise here.

श्री अध्यक्ष--I think we have had enough of discussion. Ordinarily speaking, budget papers are confidential. But we have to see the nature of secrecy. The proposals in the Budget of the various Departments emanate from the lowest Department. In some cases they come from Tehsildars and reach the highest authority in the Government. If we say that the proposals of the Budget in that way are secret, I am afraid I cannot accept it, because so many officials of the Government and members of the public know what the contents of the Budget are.

Then I come to matters which are top secret in contrast to that. We can call bottom secret papers. In such bottom secret matters the proposal emanates from the lowest official and these papers cannot be said to be secret. Bottom secret proposals are never secret. Then what is the nature of the secrecy in top secret matters ? In such matters the proposals, e.g., for taxation and such things, emanate from top. It is the policy of the Government and if we divulge those secrets, grave reversals might take place and public economy may be affected. So, in that way, if the proposals for taxation emanate from the top and if any

Page No.47

अ—अनुदान संख्या ६० (सामुदायिक विकास योजना)

[श्री अध्यक्ष]

leakage takes place in these proposals then there can be a great public scandal about that. Reference was made to Dalton's case and others. They are of that nature.

Then we come to the present case. We see that these proposals emanate from the lowest authority of the Government and come through various Heads of Departments and the Government makes a proposal to allot a sum for relief works in consultation with its officials. As has been observed, condition of acute famine might affect a large number of people in the State and they might create a confusion in the minds of the people, so a disclosure has been made by the Minister concerned by a statement to the press. It does not in any way contravene any secrecy of the budget. I think there is no breach of any privileges and I see no reason to accord sanction to this motion.

(विराम)

We come to next item. Supplementary Grants.

श्री भैरूं सिंह (दांतारामगढ)—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक Adjournment मोशन था ।

श्री अध्यक्ष—That has been ruled out. Please see the Secretary in this connection

(विराम)

अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगें ।

अ—अनुदान मांग संख्या ६० (सामुदायिक विकास योजना)

श्री टीकाराम पालीवाल—Mr. Speaker, Sir, I move,

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 13,04,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charge which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. LX, Major Head 63B-Community Development Projects."

श्री अध्यक्ष—Motion moved. Shri H. K. Vyas to move his cut-motion.

श्री एच. के. व्यास—Mr. Speaker, Sir, I move, "that the demand for supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 13,04,000/-in respect of 63 B-Community Development Projects be reduced by Rs. 100/- (to discuss the futility of these expenses.)

माननीय अध्यक्ष, जो मंजूरी के लिये मांग माननीय मंत्रीजी ने सदन के सामने पेश की है वह क्यों कम की जानी चाहिये इसके मैं तीन मुख्य कारण बतलाना चाहता हूं :—

[श्री एच. के. व्यास]

पहला कारण तो यह है कि मैं समझता हूं कि कॉम्युनिटी डेवलप्मेन्ट प्रोजेक्ट के नाम से जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह एक तरह की दिखावे की फिजूलखर्ची है । इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा फर्टीलाइजिंग के मेथड्स किसानों को सिखाने का इरादा है । इसमें एक नया देहाती हिन्दुस्तान बनाने का नाम लिया जाता है । लेकिन मैं यह कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है । सिर्फ राजस्थान में ही नहीं वरन् हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में कुछ नहीं हो रहा है । राजस्थान में तो कुछ भी नहीं हो रहा है ।

अब मैं आपको चन्द मिसालें बताऊंगा जिससे यह साफ हो जावेगा कि कॉम्युनिटी डेवलप्मेन्ट प्रोजेक्ट के नाम पर जो रकम खर्च की जा रही है वह दिखाने के लिये ज्यादा है, अखबारों में लम्बी चौड़ी रिपोर्ट शाया हो सके इसके लिये ज्यादा है, पर देहात के लोगों के लिये, उनको सहूलियतें पहुंचे इसके लिय खर्च नहीं हो रही है ।

अभी भारत के धान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू की सालगिरह के उपलक्ष में ११६ स्कूलें खोलने के लिये राजस्थान को रुपया डोनेट किया गया, ऐसा समाचारपत्रों में पढ़ने को मिला । मैंने पता लगाने की कोशिश की कि इतनी स्कूलों की जो स्वीकृति हुई वह कैसे हुई ? पता लगा कि किसी गांव में किसी एक का सज्जन मकान अधूरा पड़ा था, सालों से टूट रहा था, उसकी छत भी नहीं थी; उसकी छत लगाने का काम विभाग ने कर दिया । उन सज्जन ने इसको स्कूल के लिये दे दिया । कुछ दिनों तक इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की । कुछ जगह तो ऐसा भी हुआ कि रावले होते हैं ठाकुरों के रहने के लिये उनके सामने बड़े बड़े दरवाजे होते हैं । इन दरवाजों के पास कुछ खाली सी जगह रहती है वहीं आस पास की जगह काम में लेने की इजाजत उन्होंने दे दी और पंडित नेहरू की सालगिराह के उपलक्ष में स्कूल को डोनेशन मिल गया । हकीकत तो यह है कि इतनी स्कूलों के जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें सब में मास्टरों, स्लेटों फर्नीचर आदि ऐसी ही चीजों के लिये और कहीं तो बिल्डिंगों में रिपेयर करने के लिये सरकार द्वारा खर्च किया गया है और जब यह हालत है तो फिर शिक्षा विभाग के काम में और कॉम्युनिटी डेवेलप्मेन्ट के काम में कौन बड़ा भारी बुनयादी अन्तर हुआ जिसके लिये बड़े भारी भारी ऑफिसर रक्खे गये और न जाने कितना खर्च बढाया गया । आप इसकी जांच करें और अगर गलत कोई पाइन्ट हो तो आप हमें बतायें । यही नहीं इस फिजूल खर्चे का एक नमूना देखिये । इसके लिये अलग अलग ब्लॉक्स के अफसर मुकर्रर किये गये हैं और वे महीने में एक बार और भी कभी तो महीने में तीन तीन और चार चार बार केवल अपनी योजनायें डिस्कस करने मात्र के लिये डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में आते हैं या महीने में एक दो बार या दो-दो महिने से जयपुर आते हैं और मजे से अपने अपने भत्ते बनाते हैं और इस तरह से इस काम के लिये दिया गया रुपया यों ही योजनाएं बनाने और भत्ते में ही खर्च हो जाता है । करना-धरना तो एक दिखावा मात्र है ।

मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और हमारे भारतवर्ष के जिम्मेवार अखबार हैं जिनका नाम तो नहीं बताउंगा, जिनमें से क ऐसे हैं जिनका किसी भी राजनैतिक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है ।

[श्री एच. के. व्यास]

ऐसे अखबारों में जो खबरें छपी हैं अलग अलग ब्लॉकों के बारे में उन्हें आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से यह नतीजा निकलता हुआ दिखाई देगा कि किसी भी हिस्से के बारे में यह कहा जाय कि ठीक काम हो रहा है, वह ठीक नहीं।

दूसरा कारण जिसकी वजह से इस मांग की मन्जूरी का विरोध करना चाहता हूं वह यह है कि इस टिम-टाम और ढकोसले के नीचे असलियत यह है कि कोई शिक्षा देने का काम वहां नहीं होता, नई चीजें सिखाने का काम नहीं होता। जो होता है उसकी एक मिसाल लीजिये। भारत सरकार के एक अफसर, कोटा के अन्दर जो स्कूल खोला गया है उसका निरीक्षण करने गये। इस स्कूल के विद्यार्थियों ने काफी मेहनत करके काम किया। इस कार की रिपोर्ट उनके सामने जब आई तो उन्होंने देखा कि जो फावड़े जमीन खोदने के लिये लिये गये थे उन पर उनकी नजर गई और पता चला कि उन फावड़ों की धार जो है वह इतनी चमकती हुई है कि जिससे साफ जाहिर है कि यह फावड़े कल या परसों खरीद कर रखे गये हैं। उन्होंने उस रिपोर्ट में नोट कर दिया। दूसरी मिसाल मैं और दूं। राजस्थान के सम्बन्धित अधिकारी निरीक्षण करने के लिये आये तो बहुत से लेबर वॉलेन्टियर वहां मौजूद थे जो करीब डेढ़ सौ की तादाद में थे। वहां श्रम का काम करने वाले मौजूद थे। जो किसान थे उनके लिये सम्बन्धित अधिकारियों ने पूछा कि यह मौका तो फसल का है तो फिर ये वालेन्टियर्स आपको कैसे मिल गये। इस पर वहां के अफसरों ने जवाब दिया कि ये लोग स्वयं काम करने के लिये आये हैं हमारे यहां, इसके लिये इनमें बहुत ज्यादा जोश है। मालूम हुआ कि उनको पैसा दिया गया, तनख्वाह दी जा रही है चाहे वह तनख्वाह सरकार की तरफ से न हो; फिर भी शहर की कमेटियां बना कर सेठों से पैसा दिलवाया जा रहा है। रिपोर्ट शाया होती है कि वॉलेन्टियर्स मौजूद हैं, श्रम का काम करने वाले मौजूद हैं। असलियत यह है कि किसानों को राहत पहुंचाना तो दूर रहा उल्टा किसानों को अपने काम से बरबाद किया जाता है कोई फायदा योजना के मुताबिक उन्हें होने वाला नहीं है।

तीसरा कारण जो है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं कि यह किसानों के फायदे के लिये नहीं बल्कि बेकार का खर्चा है। इसके अलावा इस योजना के मातहत हम अपने देश को गिरवी रख चुके हैं। इस कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के लिये, डेवलपमेन्ट के काम की देखभाल करने के लिये जो एक अमेरिकन एडवाइजर को मुकर्रर किया गया है उसको इतने अधिकार दिये गये हैं कि चाहे जैसी योजना को इधर से उधर वे तबदील कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि यह भी अधिकार दिये गये हैं कि सारे भारत की अर्थ व्यवस्था जो कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट से मेल नहीं खाती हो उसको तब्दील कर सकता है, सुझाव दे सकता है। क्या हो रहा है कि खर्चा बेकार हो रहा है और राहत नहीं मिल रही है। इस प्रकार नतीजा यह निकलता है कि अमेरिका का एक अफसर यहां इसलिये रखा गया है कि जो आपकी सारी योजना को जो उसके प्वॉइन्ट ऑफ व्यू से मेल नहीं खाती हो, उसे बदल दे।

श्री टीकाराम पालीवाल—On a point of Order, Sir I do'nt think in this case it is proper to criticise our relations with the foreign country. It is entirely a matter for the Central Legislature and the Central Government itself.

श्री एच. के. व्यास—My submisstion is, Sir, that we are sanctioning grants for a particular work. I claim that this amount should not be sanctioned because...........

श्री टीकाराम पालीवाल—This is alright. But it does not behove a certain Member to say something which may be prejudiced by any irrelevant remarks in the matter.

श्री अध्यक्ष—Keep yourself to the point.

श्री एच.के. व्यास—What I was submitting was the agreement under which this amount was being spent. That agreement was such that there is no justification. I am not just saying as to what should be the agreement. But it is my right to say that the agreement under which the amount has been spent is a worthless document. And I have right to say so and therefore this sum should not be granted.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—I beg to move—

"That the demand for the supplementary Grant in respect of 63 B—Community Development Projects, be reduced by Re. 1/- (to discuss the favouritism of Government in selection of the Centres of the projects and wrong procedure of taking the work from the villages)".

माननीय अध्यक्ष, यह कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट, जैसा कि हमारे राजस्थान में लागू किया गया है इसके अन्दर जो सेन्टर्स सरकार ने सिलेक्ट किये हैं वे राजस्थान में जिन जगहों पर किये गये हैं या करने चाहिये वहां के लोगों से पूछताछ तक नहीं की है और न उन्होंने इसकी जरूरत भी महसूस की है। दफ्तर में बैठ कर सामने नक्शा रख कर मरजी के मुवाफिक यह तय कर दिया गया। राजस्थान में कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के जो सेन्टर रखे हैं उन सबसे तो मैं वाकफियत नहीं रखता इसलिये उन सब के लिये तो मैं कुछ नहीं कह सकता किन्तु जोधपुर डिविजन में जो सेन्टर मुकर्रर किये हैं मसलन कि जो सुमेरपुर में किया गया है उसके लिये में अर्ज करना चाहता हूं कि वह ऐसी जगह है जहां जवाई का बान्ध है, वहां से नहरें निकलती हैं, उस जगह की भूमि सरसब्ज है। वहां के लोग पहले से ही खुशहाल हैं और थे। वहां पर कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के सेन्टर की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी सिलेक्शन के करने की गरज यह मालूम देती है कि वहां पैसे नाम मांड दिये जायेंगे। खर्च कम होगा, काम दूसरों को देखने में ज्यादा दिखाई दे सकता है इसलिये वह सेन्टर मुकर्रर किया गया है। होना तो यह चाहिये था कि कोईभी सेन्टर जोधपुर डिविजन में हो; उसके हिस्से जैसलमेर, बाडमेर, शेरगढ़, जोधपुर का नॉर्थ और साउथ और बिलाड़ा ये ऐसी जगह हैं जहां का सिलेक्शन होना चाहिये था। सेन्टर कायम करते वक्त वहां के निवासियों व वहां के प्रमुख आदमियों से पूछना चाहिये था और कि किस तरह से पैसा खर्च किया जा सकता है, क्या सहूलियत वहां की जनता को मिल सकती है; इस प्रकार से यदि सेन्टर कायम किये जाते तो ठीक था।

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

माननीय अध्यक्ष मैं बताना चाहता हूं कि बाबिलाडा परगने की जमीन जो जोधपुर डिवीजन में है सुमेरपुर की जमीन और सिचुएशन से बहुत कम है। और उस जगह अगर गवर्नमेन्ट एक कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का सेन्टर कायम करती तो वहां के लोगों को राहत भी मिलती और वहां कुछ काम भी नजर आता। यह तो इस तरहसे काम हुआ जैसा कि कुछ साल पहले हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने वाटर की स्कीम खोली थी। पानी महाराज आये और उन्होंने क्या किया ? सेन्टर की आंखों में मिर्च डाल कर पानी के अन्दर से पानी निकालने की कोशिश की। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां बाणगंगा बहती है, कहीं ऊपर और कहीं नीचे उस जगह पानी महाराज ने पानी निकालने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि पानी की जरूरत नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, पानी की जरूरत पोकरण और बिलाडा के डिस्ट्रिक्ट में है।.....

(डा. श्री मंगलसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—पानी महाराज यहां कहां से आगये ?

श्री संतोषसिंह (अपना भाषण जारी रखते हुए)—जैसा सिलेक्शन उन्होंने (सरकार) किया, सेन्टरों का, वैसा ही पानी महाराज ने पानी में पानी निकालने का काम किया था। इसलिये यह दृष्टान्त दिया कि यह जो सिलेक्शन हुआ वह उसी बेसिस पर हुआ है और यही समझ कर हुआ। पानी महाराज ने जैसलमेर, बाड़मेर और शेरगढ़ में पानी नहीं निकाला ; जहां कि पानी की काफी जरूरत है, लेकिन पानी वहां निकाला जहां कि पानी की नदी बहती है। इसी तरह हमारी सरकार ने जोधपुर में जो सेन्टर कायम किया है वह सुमेरपुर में ; जहां कि उसकी बहुत कम जरूरत है।

इन सेन्टर्स में विलेजर्स जिस तरह काम करते हैं उसका नमूना यह है सड़क बनानी है तो गांव के आदमियों से कहा जाता है कि यह तगारी और कुदाली लो और रेत डालो, धूल डालो और यह करो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन भूखे पेट वालों से जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, खानेको रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं उनसे यह कहा जाय कि तुम्हारे लिये सड़क बनेगी। तो वह उनके किस काम की? वास्तव में यह होता है और उन लोगों से इस तरह मुफ्त में काम करवाया जाता है और अखबारों में कई मन्त्री लोगों की तस्वीरें यह बतलाने के लिये खिचवाई जाती हैं। उसका एक नमूना देता हूं कि मैंने एक अखबार में एक तस्वीर देखी कि अमेरिका के एक एम्बेसेडर हैं वे कुदाली से धूल डाल रहे हैं। मगर उनका चपरासी उनकी पीठ के पीछे हाथ देकर खड़ा हुआ हंस रहा है। क्या ऐसे ढंग से लोगों पर प्रभाव पड़ता है? हम लोगों ने एक तस्वीर देखी जिसमें जवाहरलालजी कुदाली से खोद रहे हैं बाकी के लोग हाथ पीछे देकर खड़े हैं। वास्तव में हमारे मारवाड़ में कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के अनुसार हमारे यहां सदियों से काम हो रहा है। हमारे गांव में जब किसी के यहां ज्यादा काम पड़ता है तो गांव के सब आदमी उसका काम करते हैं, लेकिन जो काम कराता है वह उनको सुबह और शाम की रोटी देता है। उस आधार पर कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट चले आ रहे हैं। हमारे जोधपुर में जो बड़े बड़े

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

महल बने हैं वे भी कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट से बने हैं। वे इस तरह से कि सरकार प्रतापसिंहजी जाते थे तो वे अपने हाथ से खोदते थे और पत्थर डालते थे तो उनके साथ जो मुसद्दी वगैरह होते थे तो वे भी सब काम करते थे। उसका नाम है कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट; यह नहीं कि जवाहर लाल जी तो कुदाली से खोद रहे हैं और अफसर यह देख कर हंस रहे हैं। यह कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट नहीं है। यह सारी दिखावे की बात है। जितना यह धन कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट पर लिया जा रहा है यह सारा बेकायदा खर्च किया जाता है। यह किसानों के उपयोग में, खेती-बाड़ी के धन्धे में खर्च किया जाय तो उसका जल्दी और ज्यादा फायदा हो (समय समाप्ति सूचक घंटी)। इसलिये माननीय सभापति महोदय मेरा यह कहना है कि यह ग्रान्ट मन्जूर नहीं की जाय।

श्री खेतसिंह—माननीय चेयरमेन साहिब, मेरा कट मोशन इस प्रकार से है।

"That the Demand for supplementary Grant, in respect of 63 B—Community Development Projects, be reduced by Rs. 100/- (to discuss the wrong selection of blocks under this scheme)".

चेयरमेन साहब, मैं यह समझ रहा था कि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के जो ब्लॉक्स, याने जो क्षेत्र चुने जाते हैं वे अक्सर इस बिनाय पर चुने जाते हैं कि वहां लेबर कितना मिल सकता है अथवा वहां पर डेवलेपमेन्ट होने का स्कोप होता है या नहीं या मैं समझ रहा था कि यह इलाके कितने पिछड़े हुए हैं; यह सब बातें देख कर वह ब्लॉक्स चुने जाते हैं। लेकिन जो ब्लॉक्स हमारे यहां चुने गये हैं उनको देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें यह बात नहीं है। लेकिन कुछ और बातों से यह सिलेक्शन हुआ है; जैसा कि जोधपुर में सुमेरपुर का ब्लॉक चुना गया है। सुमेरपुर के ब्लॉक में पहले ही से पानी काफी है, वहां के लोगों को लेबर पहले से मिला हुआ है और वहां पर डेवलपमेन्ट होने की कोई खास गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। वहां के लोगों के पास कम भूमि है और जिन पर वहां बेरे हैं जिससे कि वे अपनी काश्त अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह डेवलपमेन्ट वहां होना चाहिये जहां कि आज पिछड़ी हुई जातियां रहती हों और पिछड़े हुए लोग। जैसा कि डूंगरपुर में पिछड़ी हुई जातियां होने की वजह से वह ब्लॉक वहां रखा गया है तो वह बहुत अच्छा है। इसी प्रकार पिछड़े हुए इलाकों में, जैसे कि जैसलमेर, बाडमेर और शेरगढ़ के किसी इलाके को लिया होता तो वहां पर ज्यादा डेवलपमेन्ट हो सकता था। वहां जमीन भी काफी है, लेबर बहुत ज्यादा मिल सकता है। पानी के लिये वहां कुए खोदे जांय तो वहां पर काफी अच्छा डेवलपमेन्ट हो सकता है। मेरा ख्याल है कि मन्त्री महोदय ने उधर का दौरा नहीं किया वरना उन्हें मालूम हो जाय कि शेरगढ़ के अन्दर काफी इलाका नखलिस्तान का इलाका है। यदि उस नखलिस्तान के इलाके का डेवलपमेन्ट किया जाय, व बेरे खोदे जांय तो वहां सिंचाई अच्छी हो सकती है। वहां डेवलपमेन्ट इतना अच्छा हो सकता है कि जिससे काफी लोगों को राहत मिल सकती है। इसके लिये मैं आपको कॉन्क्रीट एक्जाम्पल भी देने को तैयार हूं कि वहां पर एक बन्ध बांधा जाय जैसा कि वस्तवे का गाला। यदि उस गाले पर बन्ध बान्धा जाय तो कम से कम २५ गांव ऐसे हैं जहां कि सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध किया जा सकता है। इससे जोधपुर तहसील के कुछ गांव भी फायदा उठा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्लॉक्स का जो सिलेक्शन हुआ है उसका सिलेक्शन करने में मन्त्री महोदय को खास

[श्री खेतसिंह]
तौर से ध्यान रखना चाहिये और उन इलाकों को प्रिफेरेन्स देना चाहिये जो बहुत पिछड़े हुए हों और जहां पर अच्छा स्कोप हो, अच्छा डेवलेपमेन्ट हो सकता हो। मैंने सुना है कि जो रकम ग्रान्ट इस बजट में की जायगी उससे बिलाड़ा का ब्लॉक जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में रखा जा रहा है वह न रखा जाय क्योंकि उस बिलाड़े में काफी बेरे हैं। बिलाड़ा इतना सरसब्ज है कि वहां कोई खास डेवलपमेन्ट गुंजाइश नजर नहीं आती। अगर बाडमेर को लिया जाय तो कोई ऐतराज नहीं लेकिन अच्छा तो यह हो कि शेरगढ के इलाके को लिया जाय जहां कि अच्छा डेवलपमेन्ट हो सकता है।

श्री **मानसिंह (जमुआ रामगढ़)**—कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के बारे में ... .

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—चेयरमेन साहब, जिनके कट मोशन आ चुके हैं उनको बोलने दिया जाय। दूसरे साहबान जनरल डिस्कशन में भाग लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एक डिमान्ड पर बोलते रहेंगे तो बजट का डिस्कशन भी पूरा हो जायगा।

श्री **मानसिंह (जमुआ रामगढ़)**— अध्यक्ष महोदय ....

श्री **चेयरमेन (डा. मंगलसिंह)**—कट मोशन को पहले तय कर लिया जाय और उसके बाद जब डिमान्ड आयेगी तब फिर बाद में विचार होगा, यह तो कटौती का प्रस्ताव है।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—(श्री पालीवाल की ओर संकेत करते हुए) इन्हें जवाब देने का मौका मिल जाय।

श्री **टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)**—अध्यक्ष महोदय, ...

श्री **मानसिंह (जमुआ रामगढ)**—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, तो क्या फिर दुबारा डिस्कशन होकर दुबारा जवाब देंगे।

श्री **चेयरमेन (डा. मंगलसिंह)**—अब कट मोशन का जवाब देंगे।

श्री **टीकाराम पालीवाल**—इस सप्लीमेन्टरी डिमान्ड के बारे में ऐसा सोचता था कि कोई दो राय नहीं होगी और इस पर कोई कट मोशन नहीं आवेगा लेकिन कट मोशन लाने का रवैया सा बन गया है। पहले कट मोशन के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि प्रायः अध्यक्ष महोदय, सदन जानता है कि किस उद्देश्य, किस दृष्टि से माननीय सदस्यों ने कट मोशन पेश किये हैं। कोई भी भला काम हो, कितना भी निर्दोष हो, कितना भी उपयोगी हो, कितना भी आवश्यक हो लेकिन अमुक महोदय उसका विरोध करेंगे ही। यह एक मानी हुई सी बात है और जो भूलें उन्होंने बताई हैं वे सब उसी एक रीति-नीति का भाग है जो शुरू से उन्होंने अपनाई है और ऐसा मेरा अनुमान है कि वे उसे अपनाते रहेंगे। यहां तक वे लोग कई एक बातों के तथ्यों को तोड मरोड कर कह देते हैं। उन्होंने कहा कि कोटा की स्कूल का निरीक्षण करने के लिये सेन्टर के एक अधिकारी आये और वहां पर

Page No.54

[श्री टीकाराम पालीवाल]
फावड़े आदि जो उस समय लाये गये वे बिलकुल नये थे। उसके सबूत में यह कहा जाता है कि उनकी धारें तेज थीं, चमक रही थीं और बिलकुल नई दिखाई दे रही थीं।

श्री **एच. के. व्यास**—यह बात जो मैंने कही है वह उसी अधिकारी ने कही और उसके शब्द मैंने नोट किये हैं।

श्री **टीकाराम पालीवाल**—मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कभी गांव में फावड़ों से काम करते देखा नहीं है। फावड़ों की धारें तभी तेज होती हैं और चमकती हैं जब उनसे बहुत काम लिया जाए। पड़े हुए फावड़ों की धारें चमक नहीं सकतीं। फावड़ों की धारें चमक रही थीं तो वे खुद इस बात को बहुत अच्छी तरह से प्रकट करती हैं कि वे अच्छी तरह से काम में लाई जा रही थीं।

साधारणतः कोई भी ग्रामीण इस बात को बता सकता है कि फावड़ा काम में ज्यादा आने से ही उसकी धार तेज होती है। फिर मैं यह नहीं समझता कि इस प्रकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से हाउस के सामने रखने से उनका क्या मतलब है? इसके अलावा अमेरिका से टेक्निकल एड का एग्रीमेंट की बात कह कर वे अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर चले गये। मैं यह समझता हूं कि उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना ठीक नहीं। यह एग्रीमेन्ट हिन्दुस्तान के हित के लिये गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने किया है और वह भी बिना किसी कंडीशन के। मैं समझता हूं कि भारत सरकार और भारत की कोई भी प्रान्तीय सरकार इस बात को कभी पसन्द नहीं करती और न करेगी कि सार्वभौम सत्ता किसी दूसरे के हाथ में दे दी जाय। ऐसी चीज न तो हुई है और न होगी। माननीय सदस्य का इस प्रकार कहना एक कल्पना मात्र है।

श्री **खेतसिंह**—माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस प्रकार का एग्रीमेन्ट मॉस्को से किया जाये तो अच्छा है।

श्री **एच. के. व्यास**—मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का एग्रीमेन्ट किसी भी फारिन कन्ट्री से नहीं किया जाए।

श्री **टीकाराम पालीवाल**—इस पर दूसरा कट मोशन और है, मगर दोनों कट मोशन्स का करीब करीब उद्देश्य एक सा ही है। इनमें माननीय सदस्यों का यह कहना है कि जो क्षेत्र सरकार की तरफ से इस कार्य के लिये चुने गये हैं वे सही नहीं चुने गये हैं। उनमें काम अधिक नहीं होगा और जनता का फायदा भी नहीं होगा। मुझे, माननीय सदस्य के भाषण में से ऐसा लगता है कि उन्हें सरकार की इमानदारी पर कुछ भ्रम हो रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि वे इस योजना को समझने में कुछ गलती कर रहे हैं क्योंकि जहां तक मैं समझ सका हूं, दोनों माननीय सदस्यों के कहने का तथ्य यह है कि जो क्षेत्र चुने गये हैं उन क्षेत्रों में तो पहले से ही कुछ सुविधाएं मौजूद हैं। उनके ख्याल से ऐसे क्षेत्र चुने जाने चाहिये थे जहां सुविधाएं नहीं हैं; जैसे जैसलमेर, शिव, शेरगढ़ आदि जहां कि चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। मगर मैं यह कहूंगा कि यदि माननीय सदस्य एक आध······

श्री खेतसिंह—एक आध नहीं २५-२६ गांव ऐसे हैं जहां कार्य किया जा सकता है।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं समझता हूं कि इस संबंध में माननीय सदस्य को इस विषय पर जानकारी नहीं है। इस योजना का क्या स्वरूप है उसे मैं थोड़ा माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं। इसके लिये ३०० गांवों का एक प्रोजेक्ट बनाया जाए और प्रोजेक्ट उस जगह रखा जावे जहां सब प्रकार की सुविधायें हों। जैसे यातायात की सुविधायें, सिंचाई की सुविधायें आदि, जिससे कार्य जल्दी और कम पैसे से हो सके और उसका परिणाम ज्यादा अच्छा निकले। इस दृष्टि से पूरी योजना में यह स्पष्ट बताया गया है कि ऐसे स्थान होने चाहियें जहां काफी आबादी हो। लेकिन आबादी ही मुख्य चीज नहीं है, जमीन भी उपजाऊ हो, यातायात के साधन भी हों, जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हों और नये साधन आसानी से उपलब्ध हो सकते हों। जहां यातायात के साधन ही नहीं होंगे वहां पर बहुत ज्यादा खर्च लगेगा। जहां यातायात के साधन पहले से हों, जहां सिंचाई आदि के साधन भी हों उन्हें ज्यादा आसानी से बढ़ाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां निश्चित कार्य थोड़े खर्च में हो और उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा निकले ऐसी जगह चुनी जावे। वैसे राजस्थान देखा जाए तो सेन्डी देश है जो बहुत लम्बी दूर तक सेन्डी है We can sink any amount of money in them. वर्षा हमारे यहां पूरी नहीं होती है। न हमारे पास इतना रुपया है कि खर्च किया जा सके। जो थोड़ा बहुत रुपया हमारे पास है उसे हमें ऐसी जगह खर्च करना चाहिये जहां खर्च करने से हमें अधिक से अधिक लाभ हो सके और आस पास के इलाकों को उससे प्रोत्साहन मिले। ऐसे मामलों में मेटिरियल गेन नहीं होता और न देखा जाता है; मगर ऐसे मामलों से लोगों के दिलों पर बहुत असर होता है और उन पर साइकोलोजिकल इफेक्ट होता है, साइकोलोजिकल गेन मिल सकता है। लोग यह समझते हैं कि सरकार हमें कुछ मदद दे रही है, हमें भी सरकार को कुछ मदद देनी चाहिये और मैं समझता हूं कि इसका इतना अच्छा परिणाम निकलेगा।

हमें इस योजना के दूसरे भाग को नहीं भूलना चाहिये। इस योजना के अनुसार तीन साल तक कार्य होगा और तीन वर्षों में जो उन्नति की जावेगी; जैसे होस्पिटल, स्कूलें रोड्स आदि बनाई जावेंगी उस हरएक काम के लिये इस वर्तमान योजना के अनुसार तीन साल तक के लिये खर्च लगेगा। तीन, साल के बाद ऐसा माना जाता है कि इन इलाकों में जो प्रवृतियां खड़ी की जावेंगी; जैसे स्कूलें, होस्पिटल्स डिस्पेन्सरीज, औषधालय और दूसरी चीजें; उन सबको उन इलाकों के लोग ही संभालेंगे। उनका सरकार पर कोई बोझा नहीं रहेगा और कम से कम बाहर से जो सहायता मिल रही है वह मिलती रहेगी। इसलिये निश्चित रूप से इस योजना के अनुसार क्षेत्र कायम करने का आधार सरकार का यह है कि वहां की जमीन कितनी उपजाऊ है, सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, यातायात के साधनों का उपयोग किया जा सकता है या नहीं? कहने का मतलब यह है कि जो साधन उपलब्ध हैं उनको काम में लेकर नये साधन थोड़े से थोड़े खर्च से ज्यादा से ज्यादा काम पूरा किया जाए। यह सारी योजना का सार है। मैंने जैसा वर्णन किया एक प्रोजेक्ट ३०० गांवों का होता है, जो ३ ब्लॉकों में विभक्त होना चाहिये। लेकिन राजस्थान में इस दृष्टि से कि भिन्न भिन्न भागों में यह काम शुरू किया जा सके हमने एक एक प्रोजेक्ट को कई ब्लॉकों में बांटा है ताकि काम जल्दी हो और जनता को लाभ हो।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

खेद की बात है कि सब इलाकों में हम यह नहीं कर सकते थे और मुझे सहानुभूति है उन मित्रों से जिनके इलाकों में नहीं हुआ । मैं उनकी चिंताओं और भावनाओं को समझ सकता हूं। वे चाहते हैं कि उनके इलाकों में भी होना चाहिये, उनका यह चाहना कोई गलत चीज नहीं है । मैं उनसे यह आशा करता हूं कि इन चीजों को थोड़ी देर के लिये भुला दिया जायगा और आगे और उन्नति के प्लान्स आयें तब उनके यहां भी इस तरह के कार्य किये जायेंगे। यह बात भी नहीं है कि उन इलाकों में कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो ही रहा है, शेरगढ़ में भी कुछ काम हो रहा है और जगह भी कुछ काम हो रहा है।

इसलिये म हाउस से निवेदन करूंगा कि इस डिमांड को पास करें।

श्री **दिलीपसिंह**--क्या आयन्दा जहां इस तरह के कार्य शुरू किये जायेंगे उनके बाबत हाउस की राय ली जायगी ?

श्री **टीकाराम पालीवाल**--इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हैं उनकी जिम्मेदारी डिपार्टमेन्ट पर ही रहती है। इन मामलों के बारे में हाउस की राय लेने का कोई फल नहीं होगा क्योंकि वह राय सर्वसम्मति से तो होती नहीं, व्यर्थ का वाद-विवाद बढ़ेगा । ये सब एग्जिक्युटिव बातें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन पर ही छोड़ी जाती हैं, सारा काम हाउस नहीं करता।

श्री **दिलीपसिंह**--आप किसी भी आधार पर सेन्टर कायम कर दीजिए ।

श्री **चेयरमेन** (डॉ० मंगलसिंह)--यह सब बातें क्वेश्चन आवर में पूछने की ह। अब यह जो डिमाण्ड है उसके बारे में पहला कटौती का प्रस्ताव श्री एच. के. व्यास का है कि १०० रुपये इस डिमान्ड म कम कर दिये जायें जो इसके पक्ष में हों......

श्री **टीकाराम पालीवाल**--I awaited for some time but because they are keeping silence I think they are not withdrawing. If they are, I can still give them chance to do so.

श्री **चेयरमेन** (डॉ० मंगलसिंह)--If they are not coming up.

श्री **खेतसिंह**--"दे आर" से क्या मतलब है पहला प्रस्ताव श्री एच. के. व्यास का है; "ही" कहिये।

श्री **एच. के. व्यास**--मैं अपने कट मोशन को विदड्रा करने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री **चेयरमेन** (डॉ० मंगलसिंह)--प्रश्न यह है कि श्री एच के व्यास को अपना प्रस्ताव विदड्रा करने की आज्ञा दी जावे ?

(स्वीकृत)

श्री एच. के. व्यास—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सन्तोषसिंह—मैं भी अपना कट मोशन वापिस लेने की हाउस से इजाजत चाहता हूं।

श्री चेयरमेन (डा. मंगलसिंह)—प्रश्न यह है कि श्री संतोषसिंह को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा दी जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान हुई।

श्री सन्तोषसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री खेतसिंह—मैं अपना कट मोशन वापिस लेने की हाउस से अनुमति चाहता हूं।

श्री चेयरमेन (डा. मंगलसिंह)—प्रश्न यह है कि श्री खेतसिंह को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा दी जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान हुई।

श्री खेतसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री चेयरमेन—Now the Question is "that the supplementary sum not exceeding Rs. 13,04,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in Course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of grant No. LX, Major Head 63—B-Community Development Projects."

(स्वीकृत)

यह मांग मंजूर हुई। नेक्स्ट। श्री मोहनलाल सुखाड़िया।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय राजस्व मंत्रीजी जरूरी काम होने से दौरे में चले गये हैं इसलिये यह डिमान्ड उनकी ओर से मैं प्रस्तुत करता हूं।

आ—अनुदान संख्या ५३ (कृषि)

40—*Agriculture.*

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,94,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in couse of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. LIII, Major Head 40—Agriculture."

श्री चेयरमेन (डा. मंगलसिंह)—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री एच. के. व्यास।

श्री एच॰ के॰ व्यास—Sir, I move that the demand for supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 5,94,000/- in respect of 40—Agriculture be reduced by Rs. 100/- (to discuss the ineffective administration of these Departments)."

माननीय चेयरमेन, आज से कुछ महीने पहले जब एक बार सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट मंजूर कराने का मौका आया था तकावी के बारे में, तब हमने और खास कर मैंने कट मोशन द्वारा तकावी के सिलसिले म देने-लेने में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने बताया था कि सब के सब पैसे दिये जाते हैं वह रेवेन्यु की तरफ से नहीं, कुछ मशीनें खरीदने के लिये एग्रीकल्चरल महकमें की तरफ से भी दिये जाते हैं, और इस तरह उन्होंने उस समय उस प्रश्न का उत्तर टाल दिया। उस समय मैंने जो मिसालें और नाम पेश किये उस पर कुछ भी कार्यवाही हो जाती है और इस संबंध में थोडा सा भी सुधार का अंश नजर आता तो यह कट मोशन पेश करने की नौबत ही नहीं आती। यह जुदा बात है कि माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अमुक सदस्य की तो आदत है विरोध करने की और कट मोशन पेश करने की; चाहे अच्छा काम हो तो भी विरोध करने की और कट मोशन पेश करने की।

बात यह है कि अच्छे-बुरे शब्द कहने की किसी को ज्यादा आदत होती है और किसी को कम आदत होती है।

श्री चेयरमेन—That chapter is closed now. You are speaking on another Cut-motion. That Chapter is now closed.

श्री एच॰ के॰ व्यास—I am opening another chapter, Sir. मैं यह कहता हूं कि किसी की विरोध करने की आदत होती हो या नहीं पर सरकारी विभागों की ऐसी आदत है कि बार बार दोहराये जाने के बावजूद भी कुछ सुधार करना तो दूर रहा, उसी प्रकार के बिगाड़ करते जाना उनकी आदत है। इस आदत के संबंध में मैं कॉंक्रीट दो मिसालें पेश करता हूं।

पाली के एक सज्जन की पिछले सेशन में मिसाल दी थी कि जिनके फूलों का बगीचा है, खेती नहीं करते। सदन के उस और बैठने वाले कई सज्जन वहां जाते हैं तो उनके वहां ठहरते हैं। उनको आज से कुछ महीने पहले मशीन खरीदने के लिये ८०००) रुपये तकावी के दिये गये थे; पर कोई मशीन नहीं खरीदी गई।

उनसे कहा गया कि जांच की जायगी। जांच हुई और नतीजा भी निकला और नतीजा यह निकला कि ८ हजार रुपये जो दिये थे उनको बढा कर ३० हजार कर दिये गये। यह जांच की गई और यह नतीजा निकाला गया। अब मैं आपको बताऊं कि उनका नाम है श्री गांधीजी, जिनके फूलों का बगीचा है और जो इतर बनाते हैं। मैं यह बताऊंगा कि इस विभाग के जो मंत्री हैं उनके खुद के संबंधियों को तो तकावी दी ही गई है उसके लिये मंत्रीजी जवाब दें, लेकिन एक गंभीर घटना और हुई है जो सीरियस है और जिसका ताल्लुक मेरी कांस्टीट्यूएन्सी से है। जोधपुर में उप-चुनाव होने वाले हैं।

[श्री एच. के. व्यास]

एक सज्जन को जिन्होंने कि एग्रीकल्चर का काम आज तक नहीं किया और जो हकीम हैं पर्चेज करने के लिये १० हजार रुपयों की तकावी दी गई। हकीम निसार अहमद को दस हजार रुपयों की तकावी देना कहां तक वाजिब है (शेम-शेम)। आप कहते हैं कि लोगों की आदत है फालतू बातें करने की। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो रकम तकावी में इस प्रकार दी जाती है वह बहुत ही बुरी चीज है। मैं इस कट मोशन को विद्ड्रा करने वाला नहीं हूं और इसका कारण बता देना चाहता हूं। जब पिछली बार सदन में हमने कट मोशन रखा था तो दूसरे दिन संबंधित मंत्रीजी ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें सदन के सदस्य और संबंधित अधिकारी बुलाये गये थे। वहां जो बातचीत होकर फैसला हुआ वह रेकॉर्ड पर है। यह तय हुआ कि कम से कम हर जिले में, हर तहसील में यह काम पब्लिक की कमेटियें करेंगी तो मुमकिन नहीं होगा लेकिन भारत सरकार जो पैसा मशीन तकावी के लिये देती है वह पैसा कमेटी की देख-रेख में दिया जायगा ताकि गडबड़ी हो तो तुरन्त रोका जा सके। जिन मंत्रीजी ने इसके लिये आश्वासन दिया था वह केवल कागज में ही रह गया। न तो कोई कमेटी ही बनी और न छानबीन हुई। जितने केसेज मैंने आपके सामने पेश किये हैं उनमें से एक भी केस कमेटी के सामने न तो आया और न उनकी छानबीन ही हुई।

माननीय चेयरमेन, मुझे बोलने के लिये जितना समय मिलता है उससे कहीं ज्यादा समय उत्तर देने वाले संबंधित मंत्री को मिलता है। यह सर्वथा अन्याय है।

श्री चेयरमेन (डा० मंगलसिंह)—आप अपनी बात कहें। बहस करने की जरूरत नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे २-३ मिनट लगेंगे।

श्री चेयरमेन (डा० मंगलसिंह)—Do not waste time.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अर्ज कर रहा था कि इस बारे में जांच करना तो दूर रहा हकीकत यह है कि और नये रुपये दिये गये। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय चेयरमन, कि जो खर्च किया गया है उसमें बड़ा जबर्दस्त स्केन्डल है, लाखों रुपये खर्च किये गये हैं। डिपार्टमेन्ट की तरफ से जो रुपये खर्च किये गये हैं वे जिस प्रकार से किये गये हैं मैं पूछना चाहता हूं मंत्रीजी से कि जो मशीनें मंगाई गई हैं उनके लिये क्या अलग अलग फर्म्स से टेन्डर इन्वाइट किये गये थे। यदि नहीं तो फिर किस आधार पर मशीनें खरीदी गई हैं। सभी काम arbitrary तरीके से किया गया है। इस विभाग का यह हाल है कि इसकी शिकायतें की गईं पर कोई जांच नहीं की गई। विभाग की गाडियों में पेट्रोल तो डाला जाता है ८ गेलन और लिखाया जाता है ४० गेलन। ये गाडियें फालतू में इधर-उधर फिरती रहती हैं। इनकी जांच करना तो दूर रहा, देखरेख रखनेवाला तक कोई नहीं है। वास्तव में एग्रीकल्चर का काम करने वालों को कोई तकावी नहीं दी गई पर उनको अवश्य दी गई जिन्होंने कभी एग्रीकल्चर का काम नहीं किया। आप इस तरह के गौटाले करते रहें और हमें कहें कि इनकी तो आलोचना करने की आदत है। जब तक आप गबन, घोटाला, जुल्म, स्केन्डल करना नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी विरोध करने की आदत भी नहीं छूटेगी।

Page No.60

एक सदस्य—यदि आपकी इजाजत हो तो तकावी के सिलसिले में मैं भी कुछ कहूं।

श्री चेयरमैन (डा० मंगलसिंह)—पहले वे ही बोलेंगे जिनका कट मोशन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास–ऐसा कोई रूल नहीं है कि कट मोशन मूव करने वालों के अलावा कोई नहीं बोले।

श्री मानसिंह (महार)—Under what rules you prevent us from speaking?

श्री चेयरमैन (डा० मंगलसिंह)—Only those persons who have tabled Cut-Motions will speak first, others will be given chance after that.

श्री मानसिंह—एग्रीकल्चर पर सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड

श्री चेयरमैन (डा० मंगलसिंह)—ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—एग्रीकल्चर पर कट मोशन,....

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—ऑर्डर,! ऑर्डर!! Sir, these are the orders (परिपाटियाँ) of the House and the House has any right to protest against them.

श्री खेतसिंह—मैं अपना कट मोशन मूव नहीं करना चाहता।

श्री मानसिंह (महार)—अध्यक्ष के अलावा दूसरे मेम्बर ऑर्डर ऑर्डर कहें, यह कहां तक वाजिब है ?

श्री जयनारायण व्यास—It is always the duty of the House and the Members of the House to say "Order Order" if the Chair is not respected. It is in order to draw the attention of the Member when the Member is misusing the liniency of the Chair.

श्री मानसिंह—May I also say something by way of Explanation.

श्री संतोषसिंह—मैं मेरा कट मोशन मूव नहीं करना चाहता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of Order, Sir, is it not be practice and convention to address the Hon'ble Members in third person. That the Hon'ble Member should do this—should do that and not directly saying—'sit down'.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—I said, "Order, Order".

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is always to address the Hon'ble Members in third person, "The Hon'ble Members should do this and that." Otherwise it becomes the breach of dignity of the House.

श्री चेयरमेन (डा० मंगलसिंह)—When certain member does not hear the Chair, the Chair has got right just to keep........

श्री जसवन्तसिंह—On a point of Order, Sir..............

श्री चेयरमेन—Just wait.

श्री एच. के. व्यास—Excuse me, Sir, I am afraid there is no precedent to this effect. If the Hon'ble Members disobey the Chair, the House has a right to ......

श्री टीकाराम पालीवाल—Not 'disobey' but 'obstruct' the work of the House.

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री एच के व्यास—Have I your permission to continue my submission. Whenever anybody addresses certain member—even the Chair, I respectfully submit, Sir, that the form of the speech should be in third person. It has been unfortunate that my friend, the Leader of the House, has mis-used his position and addressed us in first person. My humble submission is that to address the Hon'ble Members in third person is a very correct form of address, to address them in first person is not a correct form of address. And just we are expected to keep dignity of the House, we should respect other persons as well. On this account I submit that a convention should be established always to address the members in third person and not in the first person.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)--मैं इस पोइन्ट पर यह रूलिंग चाहता हूं कि इस सदन में यह हमेशा से होता आया है कि जो सप्लीमेन्टरी डिमान्डस होती हैं और उन पर जो कट मोशन रखते हैं वे बोलते हैं और उनको अधिक समय दिया जाता है और जिनके कट मोशन्स नहीं होते और अगर जो बोलना चाहते हैं तो उनको ऊपर से कुछ कम समय अवश्य दिया जाता है लेकिन इजाजत जरूर दी जाती है, इसलिये मुझे यह अर्ज करना है कि इस पोइन्ट पर माननीय उपाध्यक्षजी कोई क्लेरिफिकेशन फरमा दें, तो ठीक है। चूंकि मुझे इस पोइन्ट पर बोलना है और इसी बात को ध्यान में रख कर मैंने कोई कट मोशन नहीं दिया है क्योंकि इससे समय व्यर्थ जाता। ज्यादा कट मोशन्स आते तो उन पर हां, ना होता और उसमें सदन का समय काफी व्यर्थ जाता।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसके लिये मुझे कहना है कि सदन में जो कार्यवाही होती है उसमें सहूलियत करने के लिए कई दफा स्पीचेज (भाषणों) को नियमित करना पड़ता है, किन्तु प्रायः समय दिया जाता है। चूंकि इस समय बजट सामने आने वाला है और जिन सदस्यों को आलोचनायें करनी हैं उन्हें विस्तारपूर्वक थोड़े दिनों के बाद आलोचनाएं करने का मौका मिलेगा, और इसी खयाल से मैं मानता हूं कि रोकने की कार्यवाही की गई होगी। साधारण तौर पर तो समय दिया जाता है। अगर माननीय सदस्य विशेष रूप से कुछ कहना चाहेंगे तो उन्हें समय दिया जावेगा।

श्री सरदारसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तकावी के सीलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैं मेरी कान्सटियुएन्सी राजमहल में गया । वहां पर लोगबागों ने तकावी के सिलसिले में मुझसे बातें कीं। खैर, उन्होंने जबानी बातें की थी। जब मैंने उनको लिखित रूप में उनकी बातों को देने के लिये कहा तो एक शख्स ने लिखित रूप से भी दिया, जो मेरे पास है और अगर आप कहें, आज्ञा हो तो मैं उसको पढ कर सुनादूं। एक शख्स ने लिखा कि ७००) रुपया तकावी के लिए टोड़ी तहसीलदार के पास दरख्वास्त की तो तहसीलदार ने हुक्म दिया कि जमानत को कार्यवाही करो । जमानत की कार्यवाही भी की गई और तकावी की मंजूरी भी आ गई । फिर तहसीलदार ने कहा कि २००) रुपया ही दूंगा । मैंने कहा २००) रु० ही दें। उन्होंने कहा कि ठहर जाओ । मैं वहां एक रोज ठहरा रहा किन्तु बाद में मैं मकान पर आगया । उसके बाद एक परवाना तहसील में आया कि ७००) रुपये की तका ी तुमने ली है उसकी किश्त के पये तुम जमा कराओ। तो मैंने परवाने के ऊपर यह लिख दिया कि मैंने तकाबी नहीं ली है, मैं परेशान होकर अपने घर पर आ गया था; इसलिए जब मैंने तकावी नहीं ली तो मैं तकावी की किश्त किस तरह से जमा करा सकता हूं, किश्त देने के लिए मेरे पास कोई रुपया नहीं है। मैं गरीब हूं। इस पर गौर फरमाया जावे।

(विरोधी पक्ष की ओर से हंसी)

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के बारे में जो कटौती स्ताव इस समय सदन के सामने आया है वह राजस्थान की जनता के लिए एक बड़े अहमियत का प्रश्न है क्योंकि राजस्थान की ९० प्रतिशत जनता एग्रीकल्चर पर निर्भर है और इसीलिये एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को सुचारु रूप से चलाने का सरकार का परम कर्तव्य होता है। अगर इस डिपार्टमेन्ट में धांधली बाजी और कुनबा परस्ती होती है तो उसका राजस्थान की ९५ प्रतिशत जनता पर पूरा आघात पहुंचता है । इस, लिए इस कट मोशन को जितनी भी अहमियत दें और इसके सपोर्ट में जो कुछ कहें, मैं समझता हूं कि सदन का समय ही सिर्फ बर्बाद नहीं होता है बल्कि राजस्थान की ९५ प्रतिशत जनता के पेट की पूर्ति के लिये सपोर्ट करते हैं । मेरे मित्र श्री व्यासजी ने एग्रीकल्चर मशीनरी के सिलसिले में आंकड़े सदन के सामने रखे हैं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो कुछ मेरे मित्र ने जोधपुर के लिये कहा है वह राजस्थान के कौने कौने के लिये अक्षरशः सही है। हमारे पास इतने प्रमाण मौजूद हैं कि एग्रीकल्चर मशीनरी के लिये जो कुछ तकावी के रूप में दिया जाता है वह ऐसे आदमियों को दिया जाता है जो मशीन ी खरीदते ही नहीं हैं और जो कोई लोग ट्रेक्टर खरीदते हैं तो वे एक कस्बे से दूसरे कस्बे में बोझा ढोने के लिये। वे खेती के काम में नहीं लिए जाते हैं । इस प्रकार से एग्रीकल्चर मशीनरी के संबंध में तकावी का दुरुपयोग किया जा रहा है जो सर्वथा अन्यायपूर्ण है और इसको रोकना सरकार का परम कर्त्तव्य है। बड़े दुख की बात है कि हम यहां पर एक ऐसे अहम विषय पर कटौती प्रस्ताव को लेकर वाद विवाद कर रहे हैं किन्तु जिन मंत्रीजी के हाथ में यह पोर्टफोलियो है, जिनसे कि हमें सरकार की पालिसी के बारे में जवाब मिलता, वे इस समय सदन से गायब हो गये हैं। हम समझते हैं कि इसका जवाब कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में जो कुछ खर्चा किया जा रहा है वह बिल्कुल व्यर्थ है ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर . . . . .

अभी जो बहस चल रही है वह जनरल बजट पर नहीं चल रही है बल्कि सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स और उन पर जो कट मोशन्स हैं उन्हीं पर बहस की जानी चाहिये थी । इसलिये यहां पैसे का सवाल आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे अर्ज करूंगा कि बहस जनरल बजट पर न हो किन्तु सप्लीमेन्टरी डिमान्ड पर ही बहस महदूद रखी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री महार को संकेत करते हुए) आपको अगर इस बारे में कोई खास बात कहनी है तो कहियेगा । जनरल डिस्कशन इस समय कुछ नहीं जाना चाहिये । दूसरी बात जो मैं सदस्यों से कहना चाहता हूं वह यह है कि जो भी चेयर पर हों और कार्यवाही चलाएं उनके प्रति जो व्यवहार हो उसमें डीसेन्सी हो और यदि उच्च भावनाओं को नियमित रूप से प्रगट किया जायगा तो हमारे लिये अच्छे कन्वेन्शन्स कायम होंगे और हमारे लिये और उनके लिए सराहनीय बात होगी । किसी भी स्टेटमेन्ट में कोई बात जोड़ दी जाय या उस पर विशेष बहस की जाय यह उचित नहीं जंचता । इसलिये चूंकि यह सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट की बात है और यह बजट के जनरल डिस्कशन का मौका नहीं है इसलिए बहस को लम्बा करने की नीयत से बातें नहीं कहीं जायं । तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि स्पीकर को यदि महसूस हो कि कोई बात दोहराई जा रही है या देरी करने की नीयत से बहस की जा रही है तो वह बहस को कम कर सकता है और उसको नियमित कर सकता है । यह उसका फर्ज भी है । इसलिए सदस्यों को इस ओर ध्यान देना चाहिये और जो वास्तविक बात हो और जिनको कहने की जरूरत हो केवल वे ही बातें कहें ।

श्री मानसिंह महार--माननीय उपाध्यक्षजी, इस कटौती के प्रस्ताव के बारे में मुझे कहना तो बहुत कुछ था किन्तु आपने जिस सद्भावना के साथ कॉऑपरेशन का आदेश हमको दिया है उसको देखते हुए मैं ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि हमारे मित्र व्यासजी के इस कटौती के प्रस्ताव को हमें सर्व सम्मति से पास करके यह दिखा देना चाहिये कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट, जिस तरह से उसे कार्य करना चाहिये, उस तरह से काम नहीं कर रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--श्री खेतसिंह ।

श्री खेतसिंह--मुझे कहने को कुछ नहीं रह गया है । मैं अब इसको मूव करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं । अतः अपने इस कटौती प्रस्ताव को वापिस लेता हूं ।

श्री गोपाल यादव--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स के लिए हाउस में यह परम्परा कायम कर दी जानी चाहिये कि उन्हें बगैर डिस्कशन्स के ही पास कर दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा । अब बजट आने वाला है । इसमें तो जो चीज खर्च करने को हमें स्वीकृति देनी है वह खर्च हो चुकी है । अब उसको हम रोक नहीं सकते । गल्तियां जरूर पोइन्ट आउट करना है वह कल से हम बताना शुरू कर देंगे जब कि बजट पर वाद विवाद करेंगे । और हरएक डिपार्टमेन्ट वाइज ग्रान्ट्स आवेंगी तब सभी गल्तियां बतावेंगे । अभी तो टाइम सेव करना है और जो टाइम हम सेव करेंगे उसे बजट की बहस के समय लगा दिया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—यह उचित ही है और सदस्यों के विचार करने योग्य बात है ।

श्री खेतसिंह—श्री गोपीलालजी ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूं और अपने जितने भी कटौती प्रस्ताव हैं वे वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री संतोषसिंह ।

श्री संतोषसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी जो मेरे माननीय मित्र गोपीलालजी यादव ने अपना सुझाव सदन के सामने पेश किया है उसको उचित समझते हुए मैं भी अपने सब कट मोशन्स, सारे के सारे वापिस लेता हूं । इनको वापिस लेने को मुझे आज्ञा प्रदान की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—इन्हें आप मूव नहीं करेंगे तो अपने आप ड्राप्ड समझे जावेंगे और आप मूव नहीं कर रहे हैं तो इस लिये वापिस लेने का प्रश्न नहीं रहता ।

श्री खेतसिंह—हम अपने कट मोशन्स इस समय मूव नहीं कर रहे हैं । क्या हम आशा करें कि श्री एच. के. व्यास भी, कोऑपरेट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि जो कट मोशन श्री एच. के. व्यास ने उपस्थित किया है उसको स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, हालांकि मुझे अफसोस है कि मैंने देरी से आपका ध्यान आकर्षित करने के विषय में सोचा । माननीय मन्त्रीजी ने उत्तर तो दिया ही नहीं उसके पहिले ही मेरे मोशन पर वोटिंग जो हुआ ठीक नहीं हुआ । अब मैं सोचता हूं कि यह हुआ सो तो हुआ पर ओरिजनल डिमान्ड पर तो वोट लेने से पूर्व उत्तर देने को बाध्य किया जावे ।

श्री जयनारायण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, जितनी बार एतराज उठाये गये हैं वे सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट से कम सम्बन्ध रखते हैं; दूसरी चीजों से ज्यादा । तो जिस समय बजट पर विवाद होगा एक साथ उत्तर दे दिया जावेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, क्या मैं ऐसा समझूं जब कि इतने जिम्मेवार व्यक्ति यह कहें और हमारे ऐतराजों का जवाब देना तो दूर रहा उनको टालने की कोशिश करें ? वे जवाब देने को भी तैयार नहीं ! बाहर जवाब न दें पर यहां आकर भी आपके सामने हमें जवाब देने के लिए ये रजामन्द नहीं ।

श्री जयनारायण व्यास—जब कट मोशन ही गिर गया तो जवाब क्या दें ?

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि कट मोशन गिर गया ऐसी स्थिति में ग्रान्ट पर मन्त्री चाहते तो जवाब देते। उनका जो विचार था वह ग्रान्ट के रूप में हाउस के सामने रख दिया है। अब यह सदन का काम है कि उस पर अपनी सम्मति प्रदान करे। तो प्रश्न उपस्थित है कि प्रस्ताव—

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,94,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. LIII, Major Head 40—Agriculture".

स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

यह मांग स्वीकृत हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो यह रिकार्ड हो जावे कि इस पर सम्बन्धित मन्त्रीजी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था।

श्री नाथराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—सम्बन्धित मन्त्री इसके लिये तैयार थे, पर पहले ही कट मोशन वापिस ले लिये गये या गिर गये तो फिर अपनी ही ग्रान्ट पर बोलने का कोई प्रश्न नहीं रह गया।

इ-अनुदान संख्या ५० (सामान्य प्रशासन-अ)

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं नीचे लिखा प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :—"That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,50,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. L, Major Head 25—General Administration-A-Heads of State etc. Allowances to Rajpramukh etc."

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I move, "that the Demand for supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 5,50,000/- in respect of Demand No. L be reduced by Rs. 100/- (to discuss the need for absolute curtailment of this unnecessary expenditure).

पहले इसके कि मैं कट मोशन को प्रस्तावित करने के पक्ष म कुछ बात कहूं दो शब्द में यह कह देना चाहता हूं कि मैंने अपना कट मोशन वापिस क्यों नहीं लिया।

वह इसलिये नहीं लिया कि बजट तो आ रहा है, ठीक है और उस पर हम वाद-विवाद करेंगे यह भी ठीक है, पर बजट पेश होने के बाद भी, जैसा कि पहले पिछली बार भी बजट पेश हुआ था और फिर भी दो बार सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स मन्जूर करने का मौका आ गया तब फिर क्या गारन्टी है कि इस बार भी बजट पेश होने के बाद भी फिर वही सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट देने का मौका बाद में नहीं आवेगा। इसलिये

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हकीकत तो यह है कि हर चीज को तरफ जितनी जिम्मेदारी बरतने के सरकार के आज तरीके हैं उनको देखते हुए हमारा समाधान नहीं होता केवल बजट को ही पास करके छोड़ देने से, एक बात।

दूसरी बात इसको पेश करते हुए मैं और साफ कर दूं कि क्यों इसको पास कराना चाह रहे हैं। आज जो मन्जूरियां ली जा रही हैं इनको पहले तो चार्ज में रख दिया गया था, खर्च की तरफ डाल दिया गया था; बाद में किसी का पता चला कि यह चार्ज में नहीं रखी जातीं, वोट्स के लिये रखी जानी चाहिये थी, इसलिये अब इस पर वोट लिया जा रहा है। कोई कारण नहीं कि हम इसको पास करवाने में अपना वोट दें जब कि हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति संकटमय है, जहां पैसे की पहले ही कमी है, हर बार पैसे की कमी की वजह से, पैसे की कमी के नाम पर कई जन कल्याणकारी योजनाओं को रोका जाता है। तो लाखों रुपया प्रिवी पर्स और अलाउन्स के तौर पर क्यों खर्च किया जाय।

कट मोशन पेश करने का मेरा मतलब यह है कि यह बिलकुल बेकायदे का खर्चा है क्योंकि इस खर्चे का कोई आधार हो, इस खर्चे का कोई कारण हो, जिसमें जनता का लाखों रुपया खर्च हो, वह है नहीं। इसलिये हमारा मत है कि इस खर्चे को बन्द कर देना चाहिये। यह खर्चा हमारे वोट के खिलाफ है, बेकार का खर्चा है। यह खर्चा बजाय इन प्रिवी पर्स अलाउन्स में खर्च करके जन हितकारी योजनाओं पर खर्च किया जाय। इस खर्चों के कारण हमारे जन हितकारी कार्यों को करने में ठेस पहुंचती है, सामान्य आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में ठेस लगती है; इसलिये इस खर्चे को मन्जूर नहीं किया जाय। इसी आशय से मैंने अपना कटौती स्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इसी तरह का मेरा भी कट मोशन है मैं उसे वापिस लेता हूं।

श्री जयनारायण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, हम जो खर्च के लिये मांगें प्रस्तुत करते हैं उनका कुछ आधार होता है। वह आधार यह है कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिये या कोई पुराना कन्वेन्शन होना चाहिये, या जरूरत होनी चाहिये या कोई हमारा पुराना वादा होना चाहिये। यह जो रकम की मांग की गई है, अतिरिक्त रकम है, जो चार्ज में गई थी, महाराज प्रमुख का खर्चा इसमें शरीक है। चार्ज में होने से गलती यह हो जाती है कि राज प्रमुख के एलाउन्सेज़ हैं, दूसरे खर्च आदि हैं, वे तो कॉन्स्टिट्यूशन में मुकर्रर हैं लेकिन महाराज प्रमुख के जो एलाउन्सेज़ हैं वास्तव में जो अलाउन्सेज़ खर्च होते हैं वे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखे गये हैं लेकिन उसके लिये हमारा एक कोवेनेन्ट है जिसमें राजस्थान की तरफ से उनके साथ एक वादा किया गया है उस वादे को निभाना किसी सरकार का फर्ज है; जब तक वादे गैर वाजिब समझकर तोड़ नहीं दिये जाते। राजप्रमुख की संस्था है, महाराजप्रमुख की संस्था है, जो मानी हुई संस्थायें इस समय हैं और आगे रहेंगी तब तक उनको माना हुआ रहेगा। अगर हम इनको माने हुए नहीं रहें तो यह तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, कोवेनेन्ट को बदलना है, अपने किये हुए वादे को बदलना है; जो आज हम नहीं कर सकते। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को हम पसन्द नहीं करते किन्तु मानना पड़ता है। हमारे भाई

[श्री जयनारायण व्यास]

श्री एच.के.व्यास ने जो बातें कही हैं ऐसी और भी बातें कही जा सकती हैं, मकान आदि को बराबर बांट देना; इस प्रकार दूसरी बातें भी कही जा सकती हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास मकान नहीं, किसी कम्यु- निस्ट के पास मकान हैं तो वह कदापि उसको देने केलिये तैयार नहीं होगा। सरकारें इस आधार पर नहीं चला करतीं कि यह उचित है या अनुचित। सरकारें तो किसी विधान के अनुसार चला करती हैं, किसी व्यवस्था के आधार पर चला करती हैं। वादे और जो कॉवेनेन्ट हैं उनको छोड़ कर हम नहीं चल सकते। अलाउन्सेज वगैरह का जो खर्चा है वह खर्चा चार्ज में रखा जाता है, बिना सदन की इजाजत के खर्च नहीं कर सकते। हाउस का कर्तव्य है कि जो कुछ भी वादे हैं उनको निभाने की कोशिश करे और इस मांग को एकमत से स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष--सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री एच. के. व्यास का कटौती प्रस्ताव स्वीकार हो।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--सदन के सामने प्रश्न यह है कि--

"That a supplementary sum not exceeding Rs.5,50,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. L., Major Head 25—General Administration A-Heads of States etc. Allowances to Rajpramukh etc."

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट।

ई-अनुदान संख्या ५५ (उद्योग तथा रसद)

श्री रामकिशोर व्यास--I beg to move—

"That a supplementary sum not exceeding Rs, 2,00,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. LV, Major Head 43—Industries and Supplies."

श्री एच. के. व्यास--I forego my cut-motion on this particular demand.

श्री संतोषसिंह--मैं अपना कट मोशन इस आधार पर वापिस लेता हूं कि हमें बजट पर बोलने को ज्यादा समय मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष--सदन के सामने अब प्रश्न यह है :-

"That a supplementary sum not exceeding Rs, 2,00,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. LV, Major Head 43—Industries and Supplies."

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट।

ड-अनुदान संख्या ५७ (प्रिवी पर्स इत्यादि)

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I move "That a supplementary sum not exceeding Rs. 18,06,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. LVII, Major Head 54 B-Privy Purses and Allowances of Indian Rulers—a (2) Allowances of Rulers and their Relations and servants."

मैं दो शब्द कह दूं तो ज्यादा उचित होगा ताकि इसको समझने में मान्यवर महानुभावों को कोई दिक्कत नहीं हो। रूलर्स के लिये इसको प्रिवी पर्स में रखा है लेकिन खास तौर से उनके रिलेशन्स, उनकी माताओं, दादियां हैं और और कोई रिलेशन्स रह गये हैं उनके लिये यह रखने की जरूरत है, और यह कॉवेनेन्ट में मन्जूर शुदा हमारी जिम्मेवारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको एकमत से आप स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, I move: "that the Demand for supplementary Grant for a sum not exceeding Rs. 18,06,000/- in respect of 54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers etc. be reduced to Rs. 100/- (to discuss the absolutely unnecessary nature of the expenses.)"

मैंने इसके पहले जो एक कट मोशन प्रस्तावित किया था उस समय आधार बताया था कि किस आधार पर मैंने यह मोशन रखा है, और उस पर जवाब देते हुए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा कि "औचित्य और अनौचित्य के आधार पर सरकार नहीं चल सकती है। वह व्यवहारिक तरीके से चल सकती है।"

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था "औचित्य तो होता ही है लेकिन व्यवहारिकता भी होनी चाहिये"।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी अभी उन्होंने तरमीम की कि "औचित्य भी होना चाहिये और व्यवहारिकता भी होनी चाहिये" उस तरमीम के आधार पर मैं अर्ज करूं, मुझे एकदम थोड़ा सा माननीय मन्त्रीजी को पीछे ले जाना होगा। मुझे याद आने लगा कि पिछले अधिवेशन में जब राज मुख के भाषण की चर्चा चल रही थी और उसके उत्तर में उस समय के फाइनेन्स मिनिस्टर किन्तु वर्तमान एजूकेशन मिनिस्टर और उस समय भी एजुकेशन मिनिस्टर साहब जब बोल रहे थे तब बड़े जोर से उन्होंने कहा था, ऐसा मैंने सुना है, कि "फाइनेन्स कमीशन के मेमोरेन्डम के १८ पेज पर जो खर्चा लगा हुआ है, जो शायद किसी हिन्दुस्तान के राज्य में इतना नहीं होता है जितना कि राजस्थान में, इसको कम करने का कोई सुझाव लाते तो हम समझ सकते थे, ऐसा हो तो हम समझ सकते थे।" मैंने सोचा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि शायद माननीय सम्बन्धित मन्त्रीजी ने भूल से तो ऐसा नहीं कहा; इसलिये मैंने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव किया था वह मन्जूर नहीं हुआ; लेकिन कम से कम इस बात की मुझे तसल्ली हुई कि इच्छा तो सरकार की भी ऐसी ही है कि यह खर्चा कम किया जाय; लेकिन आज मालूम हुआ कि वे इच्छाएं केवल दिखावा और भुलावा लोगों में डालने को हैं हकीकत तो यह है। कि औचित्य, अनौचित्य, व्यवहारिकता अव्यवहारिकता की बात कुछ भी हो; लेकिन मामूली अक्ल के आदमी के समझने में आने के काबिल बात होती है वह यह है कि बड़े बड़े लोगों को और पैसा देने का पक्ष करना और जिनके पास में पैसा नहीं है उनसे कटौती करने के पक्ष में यह औचित्य-अनौचित्य का सवाल आता है। लेकिन १५-१५ व २०-२० साल से नौकरी करने वाले मुलाजिमों का जब सवाल आता है तो औचित्य-अनौचित्य का सवाल नहीं रहता है और कह दिया जाता है कि कर दो छंटनी क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। यहां पर छटनी क्यों नहीं करते हैं? और आप कहते हैं कि आपने समझौता किया तो आपने समझौते सब लोगों से किये हैं, और समझौते से बड़ी चीज आपने यह की कि आपने तसल्ली दी। आम लोगों को तसल्ली दी है तो जहां बेकार और गरीब लोगों के हितों का सवाल आता है वहां औचित्य या अनौचित्य, समझौता या गैर समझौता, एग्रीमेन्ट या डिसएग्रीमेन्ट, सब कुछ एक दम से गायब हो जाते हैं। उनका कोई प्रश्न नहीं उठता है और आप उनके हितों पर कुठाराघात कर देते हैं, और कुछ चन्द तबके के लिये समझौते की आड़ में लाखों रुपये खर्च करने को तैयार हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर राजस्थान और हिन्दुस्तान में फाईनेन्स का जो क्राइसिस आज है उसका एक बड़ा कारण ही यह आपकी नीति है। जिस नीति के आधार पर समझौते को लेकर आप बड़ों बड़ों को पैसा देते हैं और गरीब भूखे मरते हैं और चिल्लाते हैं। यह गलत सिद्धान्त है आपका। इसलिये मैं यह कट मोशन रखता हूं और उसे प्रेस करता हूं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय दोस्त ने अपनी गलेबाजी का नमूना बहुत अच्छा दिया। उसके लिये मैं उनको धन्यवाद दूंगा और शब्दों को तोड़ने और मरोड़ने की उनकी निपुणता के लिये मैं उनको बधाई दूंगा; लेकिन वे दरअसल में व्यवहारिकता की तरफ देख नहीं रहे हैं। गरीबों के लिये लबालब प्रेम और दया का उनमें जो उभार आया है इसलिये मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो बूढी माताएं हैं, बूढी दादियां हैं उनको हमने अमला नहीं दिया है मकान नहीं दिये हैं। उनके मकान या तो राजाओं के पास होंगे या उनके पास चले जायेंगे और ज्यादा-तर स्टेट ले लेगी। दूसरों के मकान हम नहीं छीन रहे हैं, उनके मकान भी हैं तो वे मकान बेच भी नहीं सकते हैं। उनका जरिया सिर्फ यही है कि उनको सिर्फ यही एलाउन्स दें। उसको कम करने की बात जो फाइनेन्स मिनिस्टर ने कही थी वह कम कुछ तो होगी ही। यह खर्चा धीरे धीरे कम होने वाला है। बहुत सी बूढियां ८० वर्ष, ७० वर्ष और ६५ वर्ष की हैं, वे एक एक करके मरेंगी ही; इसलिये वह कम होने वाला है। उनका सामान भी हमारे पास आने वाला है। इसके अलावा वह और भी तरीकों से खर्च किया जा रहा है। वह इस तरह से कम किया जा रहा है कि मानलें कि २ नौकर या २ पहरेदार ज्यादा हैं, उनको भी कम करना है। मैंने भी वायदा किया कि कम करूंगा और उचित मात्रा के अन्दर खर्च रखेंगे। यह कहना कि हम कम्युनिस्ट हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम कांग्रेसमैन हैं इसलिये हमको तो पूंजी भी रखना है, पेश भी करना है, कहीं गरीबों और अमीरों की बातें कर रहे हैं यह दरअसल ईमानदारी की

[श्री जयनारायण व्यास]

नीति नहीं दिखाई पड़ती है। वायदों की नीति ऐसी दिखाई पड़ती है। कई चीजों के वायदे दी जाते हैं उनको भी मानना पड़ता है क्योंकि एक आदमी होता है वह एक ऑनरेबल पोजीशन रखता है। ज्यादा भी वायदे करें तो ज्यादा वायदों को निबटाना है। इन रुपयों के लिये जो हमने वायदा किया है वह बहुत ही उचित वायदा है। इसको अनौचित्य की तरफ दायर नहीं कर सकते हैं। ये कुछ दिनों में मरने वाले हैं। और धीरे धीरे उनकी जमीन जायदाद हमारे यहां रहने वाले हैं; उनको कहीं गलियों में फेंक दें यह अच्छा साम्यवाद और गरीबों के प्रति दया और मदद करना है ? मैं समझता हूं कि उनको अपना कट मोशन खतम करके, वापिस लेकर इसको एक मत से पास करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री एच. के. व्यास ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब मूल प्रस्ताव लिया जाता है। प्रश्न यह है कि यह मांग स्वीकार की जावे--

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 18,06,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1953, in respect of Grant No. LVII, Major Head 54 B- Privy Purses and Allowances of Indian Rulers-a (2) Allowances of Rulers and their Relations and servants."

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री उपाध्यक्ष

ऊ-अनुदान संख्या ४६ (भू-राजस्व)

श्री नाथूराम मिर्धा--माननीय अध्यक्ष, श्री मोहनलाल सुखाड़िया बाहर चले गये हैं, अतः मैं यह डिमान्ड नम्बर XLVII पेश करता हूं:--

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 1, 19,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XLVI Major Head-7-Land Revenue.

श्री एच. के. व्यास--I move "that the Demand for supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,19,000/- in respect of 7- Land Revenue be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government in making proper realisations and the unnecessary expenditure.)

Page No.71

[श्री एच.के.व्यास]

माननीय उपाध्यक्ष, बजट में जो डिटेल्स दी गई हैं उनको यदि ध्यान से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि यह ज्यादा और नये रुपयों की मन्जूरी लेने की सरकार को आवश्यकता किसलिये पैदा हुई है? जहां तक मेरा खयाल है यह आवश्यकता इसलिये हुई है कि १,४६,०००) रुपया तो अधिक कलेक्शन पर खर्च हो गया और जागीर कमिश्नर और उसके दफ्तर के बढ़ाने में भी ३६ हजार रुपया खर्च हुआ है। इसी लिये यह आवश्यकता हुई क्योंकि खर्च बढ़ गया। खर्च किस लिये बढ़ा? खर्च जागीर कमीश्नर और उसके दफ्तर पर भी बढ़ा? मैं कहूंगा कि जागीर कमिश्नर के दफ्तर को व जागीर रिजम्पशन एक्ट को बने एक साल हुआ है मगर अभी तक कोई काम नहीं हुआ और न उसके जल्दी होने की सूरत ही नजर आती है। मगर खर्च तो हो ही रहा है। जागीर रिजम्पशन एक्ट को बने एक साल हुआ है मगर वह अभी तक हाई कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है और अमल में नहीं आया है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। अतः एक तरफ तो जागीर रिजम्पशन एक्ट सब जुडिस है और दूसरी तरफ जागीर कमिश्नर का दफ्तर चालू है और उस पर जो खर्चा किया जा रहा है वह अलग। पिछले अधिवेशन में भी सप्लीमेन्टरी ग्रान्टस मन्जूर करते वक्त जब इस प्रश्न पर बहस हुई थी उस समय मेरे कट मोशन का उत्तर देते हुए माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने बतलाया था कि सरकार का इरादा जल्दी से जल्दी जागीरें खत्म करने का है। मगर मुझे उस समय भी डाउट था कि जागीरें जल्दी से जल्दी कैसे समाप्त हो जायेंगी। उसके तुरन्त बाद मैंने अखबारों में पढ़ा और सुना कि यह मामला हाईकोर्ट में चला गया है और हाईकोर्ट ने इस सम्बन्ध में स्टे ऑर्डर्स (Stay orders) दे दिये हैं। एक तरफ तो इधर कमिश्नर और उसका दफ्तर काम कर रहा है और दूसरी तरफ कोर्ट में सरकारी वकीलों की तरफ से यह कहा जाता है कि केस को सुनने की मियाद आगे बढ़ादी जाए। जहां तक सरकार हाई कोर्ट की इज्जत करना चाहती है वहां तक तो मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि सरकार ऐसा नहीं करती। जब इनकम टैक्स का सवाल सरकार के सामने आया तब तो सरकार ने कह दिया कि हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर (Stay order) दे दिया है लेकिन जब जब अलवर के किसानों का सवाया लगान लिये जाने का तय किया और उन्होंने देने से इनकार किया व हाई कोर्ट में २५ आदमियों ने अर्जी दी तो हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर दिया। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की दुहाई देने वाली सरकार ने यह कह कर कि २५ आदमियों ने अर्जी दी है यह स्टे ऑर्डर उन्हीं के लिये लागू है, दूसरे किसानों से वसूली करनी शुरू करदी; जब कि इनकम टैक्स और जागीर के सिलसिले में ऐसा नहीं किया गया। जिस सरकार का स्टे ऑर्डर के बारे में जिस प्रकार का अलग अलग नजरिया है वह हमारी समझ में नहीं आता। मैं चीफ मिनिस्टर से, जिन्होंने कहा था कि लोग सरकार की बहुतसी बातें करते है, कहूंगा कि वे इस बात का जवाब दें कि सरकार का इस प्रकार का नजरिया क्यों है। इसके अलावा जब किसान सभा के प्रतिनिधि मन्त्री महोदय से मिलने के लिये गये और उन्होंने उनसे कहा कि जब आपने हमारा मामला हाई कोर्ट के सुपुर्द कर दिया है तो फिर हम लोगों से क्यों वसूली की जाती है जब हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्रीजी ने दूसरे दिन उत्तर देने का किसानों के प्रतिनिधियों से कहा। फिर न मालूम क्या हुआ कि दूसरे दिन साफ इनकार कर दिया कि हम वसूली नहीं रोकेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह खर्च जो बढ़ रहा है और बढ़ा है, वह विशेष गैर वाजिब दृष्टिकोण से बढ़ा है।

[श्री एच. के. व्यास]

इस सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट को मंजूर कराने का दूसरा कारण यह है कि सरकार को कुछ उम्मीद थी कि खर्च कम होगा और वसूली ज्यादा होगी। मगर ऐसा हुआ नहीं। न तो खर्च कम हुआ और न वसूली पूरी हुई। ८ लाख रुपयों की वसूली होनी थी मगर वह नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मैं यह कहूंगा कि वसूली इसलिये नहीं हुई कि जैसे ही हाईकोर्ट केसेज को आगे बढ़ाने को तैयार होती कि सरकारी वकील उनके लिये मोहलत ले लेता। इसलिये वसूली नहीं हो सकी और खर्चा होता रहा। लेन्ड रेवेन्यू और सेटलमेन्ट में भी सेविंग कम हुई। वह इसलिये हुई कि सरकार ने सेटलमेन्ट के कानूनों को ताक में रख कर काम किया और जो खर्च पहले सरकार को करने चाहिये थे, नहीं किये। सरकार का कोस्ट कटिंग एक्सपेरिमेन्ट करने चाहिये थे, वे नहीं किये। जब आप जरूरी काम, जो आपको करने चाहिये, नहीं करेंगे तो कमी होगी ही। यह कमी इसलिये की गई कि सरकार से ज्यादा मांग करने की आवश्यकता न पड़े। मगर जो कमी की गई वह, उनसे कई अर्से के लगान लेने बाकी हैं, सरकार का खर्चा भी ज्यादा लगा है, वाजिब नहीं था। इससे किसानों पर बोझ बढ़ा है। और सरकार की आमदनी भी कम हुई है और अपव्यय दूसरे कारणों की वजह से भी हुआ है। इन सब कारणों से मैं कट मोशन पेश करके निवेदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सम्बंधित मंत्री इस बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे।

श्री मानसिंह--I withdraw, my cut-motion, Sir.

श्री भैरूंसिंह (दा. रा.)--माननीय उपाध्यक्ष, इस डिमान्ड पर मेरा कट मोशन इस प्रकार है :--That the Demand for supplementary Grant in respect of 7- Land Revenue be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to materialise the anticipated savings and non-realise from Jagirdars the cost of survey works done in Jagir areas and increasing unnecessary expenditure on expansion of Jagir Commissioner's Office.

माननीय उपाध्यक्ष,, जिस समय भारत सरकार ने आम चुनावों की घोषणा की थी उस समय राजस्थान सरकार ने यह सोचा था कि आपस में दलबन्दी के कारण यह सरकार काफी मजबूत नहीं हुई है इसलिये सरकार ने अपनी पार्टी के सदस्यों को इलेक्शन में जिताने के लिये यह सोचा कि इलेक्शन शुरू होने से पहले जागीरदारी दल समाप्त किया जाए। इसलिये कांग्रेस ने सब से पहले जनता को जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने का आश्वासन दिया और अपने इस कार्यकाल में समाप्त करने में मजबूर रहे। उन्होंने यह सोचा कि जब तक इस प्रथा को समाप्त नहीं किया जावेगा तब तक जनता अपने आश्वासनों का कोई मूल्य नहीं समझेगी और यह समझेगी कि सरकार झूठे वादे करती है। इस आशय को लेकर उन्होंने जागीर एबोलिशन एण्ड लेंड रिजम्पशन एक्ट बनाया और यह एक्ट बनाया उस समय यही सोचा था कि जागीरी प्रथा जल्दी ही समाप्त हो जावेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान के जागीरदारों ने कानूनी माहिरों से सलाह मशविरा किया और चूंकि वह एक्ट जल्दी में बनाया था उसमें कानूनी त्रुटियां रह गई थीं, अतः जो जागीरदार इससे प्रभावित होने वाले थे उन्होंने हाई कोर्ट में इस कानून को चेलेंज किया।

Page No.73

[भैरूंसिंह(वां.रा.)]

हाईकोर्ट में उस ऑर्डर को चेलेन्ज करने के बाद हाईकोर्ट से उसके लिये स्टे ऑर्डर ओबटेन कर लिया और आज वह एक्ट योंही पड़ा हुआ है। जब सरकार ने यह देखा कि वह जागीरदारी था को कानून के जरिये से समाप्त नहीं कर सकती और हो सकता है कि हाईकोर्ट का फैसला भी इस ऑर्डर को अवैध करने का हो जाय इसलिये ऐसा ऑर्डर निकाला जाय कि जिससे जनता समझे कि जागीरदारी प्रथा समाप्त की जा रही है और उस ऑर्डर के जरिये यह जागीर कमिश्नर का महकमा खोला गया और एक नोटिस दिया गया, उसका असर जो छोटे छोटे भोमिये और गरीब राजपूत हैं, उन्हीं पर हुआ है। छोटे छोटे जागीरदारों से १/८ रेन्ट लिया जाने वाला है।

आज राजस्थान में शिक्षा की कमी के कारण राजपूत समाज में, जिसमें जागीरदारी प्रथा प्रचलित है उनके पास नोटिस गया तो उन्होंने देखा कि सरकार एक तरफ तो यह हुक्म देती है कि ५ हजार से नीचे की आमदनी वाली जागीरों को नहीं छेड़ेगी और दूसरी ओर यह नोटिस देती है कि १/८ रेन्ट लिया जायगा। तो इसको देखकर गरीब राजपूत, जो अनपढ़ हैं वकीलों के चुंगल में फंस गये हैं और किसी वकील को १००) रुपये किसी को १०) रुपये इस नोटिस की जानकारी के बारे में देते हैं। इस नोटिस से सरकार की पहली मंशा जागीरों को खत्म करने की थी वह तो पूरी नहीं हुई लेकिन सरकार की जो दूसरी मंशा भोमियों को परेशान करने की है वह पूरी हो रही है।

इस मद पर जो रुपया खर्च किया गया है वह फालतू है। इसलिये मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिमान्ड को पास नहीं किया जावे। सर्वे, सेटलमेन्ट के रेकार्ड को मैंने देखा है। मेरे गांव में पैमायश हुई है उसको मैंने देखा है, उसका मुझे तजुर्बा है। जिस प्रोसेस से सेटलमेन्ट और सर्वे होने चाहिये थे उस प्रोसेस से सेटलमेन्ट और सर्वे नहीं हो रहे हैं। तहसीलदार और एस. डी. एम. के पास जागीरदार जाते हैं और इस एक्ट के माफिक वे उनको कन्विन्स कर देते हैं कि जितनी कार्यवाहियें हुई हैं वे सब गैरकानूनी हैं, कानून के विरुद्ध हैं, और कन्विन्स्ड होकर तहसीलदार और एस. डी. एम. ने कलेक्टर वगैरह मान जाते हैं कि जो कुछ सेटलमेन्ट या सर्वे का काम हो रहा है वह अनुचित और कानून के विरुद्ध हो रहा है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जागीरदारों से जो खर्चा वसूल किया जाने को है वह बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सेटलमेन्ट की कार्यवाहियां गैर कानूनी हैं, अनुचित है। इसके बारे में कोई साहब अगर बातचीत करना चाहें तो मैं कन्विन्स करने को तैयार हूं कि यह रकम वसूल होने वाली नहीं है। यदि इसके लिये ज्यादा मजबूर किया गया तो हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल किया जायगा।

इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मेरे कट मोशन को मन्जूर किया जाय और इस डिमान्ड को मन्जूर नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष—The Question before the House is..........

श्री एम. के. व्यास—Reply, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—Sorry.

श्री नाथूराम मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, अभी जो जागीर कमिश्नर के दफ्तर के बारे में और सेटलमेन्ट के खर्चे के बारे में २ कटौती के प्रस्ताव दो सदस्यों ने रखे उनके संबंध में मैं जवाब देने से पहले सदन के सामने यह बताना चाहता हूं कि एक लाख १९०००) रु० की यह रकम मांगने की क्यों जरूरत पेश हुई। १०४ लाख करीब सेटलमेन्ट का कुल खर्चा इस साल हुआ और पहले वोटिंग हुआ तब इस डिमान्ड में ९८.३ लाख रुपया मंजूर हुआ है। उसमें कुछ रुपया हम बजट से उपलब्ध हो जायगा और सिर्फ १९०००) रुपये का ज्यादा खर्चा इस महकमें पर खर्च आयेगा, इसलिये यह डिमान्ड रखी है।

इस पर दो कटौती के प्रस्ताव दो सदस्यों ने रखे हैं और दोनों ने अलग अलग दृष्टिकोण रखे हैं एक सदस्य ने कहा है कि जितना जल्दी यह काम होना चाहिये था उतना जल्दी नहीं किया गया इसलिये यह डिमान्ड मंजूर नहीं की जानी चाहिये और दूसरे सदस्य का यह कहना है कि अभी इस काम को take up करने की जरूरत नहीं है, जागीर कमिश्नर का महकमा कायम करने की अभी कोई जरूरत ही नहीं है। एक दूसरे के दृष्टिकोण का जवाब उन दोनों ने आपस में ही दे दिया है।

सरकार को यह रास्ता निकालना है और यह सरकार की बिल्कुल घोषित नीति है कि ५ हजार से ऊपर की जागीरें हैं उनको जागीर रिजम्पशन कानून के माफिक लेना है और इसके लिये जितना दफ्तर और कार्यवाहियां चालू करना लाजमी है वह किया जायगा, इसलिये इस दफ्तर को चालू किया गया। इसके बाद यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसमें सरकार की ओर से देरी की जा रही है और पेशियां आगे ली जा रही हैं। मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की ओर से जान बूझ कर कोई देरी नहीं की जा रही है।

श्री एच. के. व्यास—On a point of information, Sir, in the month of January, the Rajasthan Government's Law advocates agreed to the adjournment of the case in Jodhpur.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—That was due to the fact that the Rajasthan Government agreed to a formal compromise if it was possible and they would try for it without spending a lot of public money in litigation.

श्री नाथूराम मिर्धा—इसलिये मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब इसमें सरकार किसी तरह से जान बूझ कर देरी करने की कोशिश नहीं करेगी और इस काम को जितना जल्दी हो सकेगा किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब तक जो देरी हुई उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—मैंने आपसे जैसा कि पहले कहा था, कि जानबूझ कर कोई देरी न पहले की गई थी और न आगे की जायगी। माननीय सदस्यों में से एक ने कहा कि सेटलमेन्ट के चार्जेज ज्यादा

Page No.75

[श्री नाथूराम मिर्धा]

है और दूसरे ने कहा कि ये जल्दी वसूल होने चाहिये। ये दोनों बातें एक दूसरे से विरोध करती हैं। कुछ भी हो सेटलमेन्ट चार्जेज वसूल जल्दी किये जायेंगे। जागीरदारों की ओर से कहा गया था कि २५०) रुपया प्रति वर्ग मील ज्यादा है। यह ज्यादा है या कम, यह सवाल सरकार के सामने विचाराधीन था लेकिन उस पर निर्णय किया जाकर वसूली जल्दी की जायगी। सरकार इस बारे में पूरी उत्सुक है यह बात सदन को शीघ्र ही मालूम हो जायगी। बजट के आंकड़ों में लेन्ड रेवेन्यु की ज्यादा आमदनी रखी गई है। इससे आपको मालूम होगा कि सरकार एरियर्स को जल्दी से जल्दी वसूल करने की फिक्र में है। सदन के सामने दो दृष्टिकोण आये हैं उनमें से जो सही दृष्टिकोण है उसी को लेकर सरकार आगे चलना चाहती है मैं आशा करता हूं कि सदन इस ग्रान्ट को मंजूर करेगा।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—ओन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, क्या यह सही है कि जोधपुर के जागीरदारों ने सेटलमेन्ट के न्यायोचित होने को चेलेन्ज किया है और उनको स्टे ऑर्डर मिल चुका है ?

श्री उपाध्यक्ष—You have already withdrawn your cut-motion.

श्री मानसिंह—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—Than table a question please.

(विराम)

The question is,

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,19,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XLVI, Major Head 7, Land Revenue" be accepted.

(स्वीकृत)

The demand is accepted. next

ए-अनुदान संख्या ४७ (वन)

श्री अमृतलाल यादव—I beg to move:—

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,95,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XLVII, Major Head 102 Forest".

श्री उपाध्यक्ष—There are two cut-motions by Shri Bhairon Singh and Shri Mansingh.

(विराम)

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—में अपना कट मोशन वापिस ले लेना चाहता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—में भी अपना कट मोशन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—The Question is that permission be given to Shri H. K. Vyas and Shri Bhairon Singh to withdraw their cut-motion.

(आज्ञा प्रदान हुई)

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—सदन की आज्ञा से में अपना कट मोशन वापिस लेता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सदन की आज्ञा से में भी अपना कट मोशन वापिस लेता हूं।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—में अपना कट मोशन मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—मेरा कट मोशन निम्नलिखित है:—

"That the Demand for supplementary Grant in respect of 7-Forest, be reduced by Rs. 1/- to discuss the mismanagement of forests in general and failure of the Government in particular to control on forest produce e.g. timber, grass, and other produce removed from the forest."

इस संबंध में सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, केवल दो चार बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा।

आज राजस्थान में यह टेन्डेन्सी बनी हुई है कि जंगलों को बुरी तरह से काटा जा रहा है, जंगल की लकड़ियों को काट काट कर बाहर भेजा जा रहा ह और कई लोग इससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जंगलों को काटने से रोकने के प्रति बिल्कुल उदासीन है। में जानता हूं कि उदयपुर डिविजन म इस उदासीनता का कारण क्या है? चुनाव के समय में हमारे मत्रीजी ने जो आश्वासन दिये थे उनको पूरा करना ही चाहिये। इसलिये वहां पर तो उदासीनता किसी हद तक पुराने प्रोमिसेज को फुलफिल करने के नाते हम मान सकते हैं कि उचित ही है। लेकिन इस बात को उदयपुर के अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा की ओर ले जाना खेद की बात है क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हर कार से लोगों को सहायता देकर पुराने प्रोमिसेज को पूरा किया जा रहा है। वहां भी जंगलों का काटा जाना जारी है। इसके अलावा में बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जगलों का होना एक बड़ी आवश्यक चीज है। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां पर जगलों को काट कर सफाया किया जायगा तो यहां पर कभी कहीं और कभी कहीं अकाल पड़ता है और फिर हर साल अधिकांश भाग में अकाल पड़गा और हमारे लिये बड़ी मुश्किल समस्या खड़ी हो जायगी। हमारी सरकार एक तरफ तो वन-महोत्सव मनाती है। कल एक प्रश्न पूछा गया था कि सरकार ने कितने पेड़ लगाये हैं तो इसका उत्तर

[श्री मानसिंह]
साफ तौर से नहीं दिया गया। तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार वन महोत्सव केवल पब्लीसिटी के लिये मनाती है, इसके अलावा उसका कोई खास मतलब नहीं है। आज तक राजस्थान सरकार ने कोई नया जंगल नहीं लगाया। राजस्थान सरकार यह नहीं बतला सकती कि हमने फलां जगह जंगल लगाये हैं या इतने पौधों की परवरिश हो रही है। राजस्थान में यदि जंगल बढ़ते तो वर्षा की संभावना भी अधिक बढ़ती। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल विपरीत चल रही है। यू. पी. की सरकार ने राजस्थान की सरहद पर जंगल लगाये हैं ताकि राजस्थान के टीले उड़कर यू. पी. में न आजावें और यू. पी. को राजस्थान की तरह रेगिस्तान न बनादें। लेकिन राजस्थान की सरकार जंगलों को कटवा कर राजस्थान को और अधिक रेगिस्तान बनाना चाहती है। इसलिये इस कटौती प्रस्ताव द्वारा मैं यह अपील कर रहा हूं कि सरकार अपनी इस नीति को बदले। क्योंकि चुनावों को भी एक वर्ष हो गया है और सारे वायदे अब पूरे हो गये हैं, इसलिये नये व र्ष से इस चीज को ध्यान में रख कर हमारी सरकार उचित कार्यवाही करे, यही मेरा निवेदन है।

श्री नाथूराम मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ १ लाख ९५ हजार रुपयों की मांग रखी गई है। कई कठिनाइयों के कारण ये करीब दो लाख रुपयों की अधिक मांग फॉरेस्ट के हेड में रखी गई है। फोरेस्ट का नाम सुनते ही माननीय सदस्य जंगल में भटकने लग गये और उन्होंने बहुत सी बातें कह डाली जिनका संबंध चुनावों से था। ऐसा मालूम होता है कि चुनाव की बातों का उनके दिमाग में भूत बैठ गया है। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी नीति साफ है। हमारे यहां के जंगल काफी ठीक ढंग से रखे गये हैं। इसमें दो राय हो नहीं सकती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जंगलों को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे मामले सरकार के सामने आते हैं उनकी छानबीन करके जैसा एक्शन लिया जाना चाहिये लिया जाता है।

तो इसके लिए कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जंगल नहीं बढ़ाये जाय या जंगल अनुचित तरीके से काटे जायं। इसलिये मैं इस बहस को इतनी ही बात कह कर समाप्त करता हूं और सदन से आशा करता हूं कि वह इसको पास करेगा।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—मैंने स्पेसिफिक पॉइन्ट यह पूछा था कि सरकार ने कितने नये जंगल लगाये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—यह तो बजट डिस्कशन की बात है। अगर कोई इर्रिलेवेन्ट प्रश्न खड़ा कर दिया जाय और उसका सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया जाय तो अफसोस नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Should I put it to vote ?

श्री मानसिंह—I withdraw it.

Page No.78

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Mahar to withdraw his cut-motion ?

(आज्ञा प्रयान की गई)

श्री मानसिंह—I withdraw it.

श्री अध्यक्ष—The question is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,95,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XLVII, Major Head 10-Forest" be granted,

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(विराम)

ऐ-अनुदान संख्या ४८ (अन्य कर तथा चुंगियें)

श्री भोलानाथ—13—Other Taxes and Duties.

श्री भोलानाथ—Sir, I move, "that a supplementary sum not exceeding Rs. 1,25,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XLVIII, Major Head, 13-Other Taxes and Duties.

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved. Shri H. K. Vyas to move his cut-motion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, I move "that the demand for supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,25,000/- in respect of 13-Other Taxes and Duties be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government in having incurred avoidable expenditure and for unauthorised expenses in connection with sales tax etc."

अध्यक्ष महोदय, स विषय में में आज यह कट मोशन प्रस्तावित करते समय कुछ नहीं कहना चाहता था किन्तु एक नई बात कह कर मैं इसको प्रस्तुत करूंगा। वह बात यह है कि सरकार द्वारा एक गलत तरीके पर, एक गलत सिद्धान्त का जो कार्य हो रहा है, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज से कुछ साल पहले भारत सरकार द्वारा एक कमेटी मुकर्रर की गई थी जिसका नाम था कृष्णमाचारी कमेटी। उस कमेटी ने यह साफ सिफारिश की थी कि इन्टर स्टेट ड्यूटीज, जिसको हम कस्टम कहा करते हैं, में धीरे धीरे कमी कर दी जाय और उस सिफारिश का एक अंग अग यह था कि जिस प्रकार धीरे २ इन्टर स्टेट ड्यूटीज को कम किया जाय उसी प्रकार धीरे २ प्रोपोर्शनल टैक्सेज लागू किए जायं और जो कमी हो उसको पूरा किया जाय। किन्तु आज हो यह रहा है कि इन्टर स्टेट ड्युटीज को तो कम नहीं किया जा रहा है और सेल्स टैक्स आदि लगाने के लिए सरकार उतारू बैठी ही नहीं ह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बल्कि एसेम्बली में यह प्रश्न आने से पहले ही सरकार ने सेल्स टैक्स अफसर नियुक्त कर दिया है और पब्लिक से पैसा मांगा जा रहा है। इसके लिए कन्टिन्जेन्सी से ३६ हजार रुपये देदिये गए हैं और अब रुपया मांगा जा रहा है। इन्टर स्टेट ड्यूटीज को कम करने के पहले सेल्स टैक्स आदि लगाना एक गलत तरीका है। सदन में इस संबंध में तय होने के पहले ही उस टैक्स के बारे में स्टाफ वगैरह मुकर्रर कर देना, यह भी एक गलत तरीका है और इन दोनों गलत तरीकों को सदन के सामने लाने के लिये ही मैंने यह कट मोशन प्रस्तुत किया है।

श्री उपाध्यक्ष--श्री मानसिंह और भैरूंसिंह।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)--क्या हम साथ ही खड़े हों ?

श्री उपाध्यक्ष--You may decide yourself.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)--उपाध्यक्ष महोदय, इस आइटम में मेरा कट मोशन इस प्रकार है:--

"That the demand for supplementary Grant in respect of 13-other Taxes and Duties be reduced by Rs. 100/- (to discuss the unwarranted expenditure on travelling allowances and payment of House rent allowances."

जो स्टेटमेन्ट इस सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के बारे में दिया गया है वह इस प्रकार है:--

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,25,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XLVIII, Major Head, 13-other Taxes and Duties.

अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स के स्टेटमेन्ट की कॉपी के मिलने के बाद मैं इत्तिफाक से राजस्थान आई. जी. पी. के हेडक्वार्टर्स पर पहुचा मैंने वहां जाकर देखा कि एक बड़े चौगान में, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तीस तीस लोरियों की बाडीज पड़ी हुई थीं। उनके टायर ट्यूब गल चुके थे, बोडीज उनकी खराब हो चुकी थीं और वे धूप और बरसात में पड़ी हुई राजस्थान के दिवाले को चुनौती दे रही थीं। जब मैंने ग्रान्ट्स को देखा तो मालूम हुआ कि एन्टीस्मगलिंग के लिए सरकार के कोष का काफी खर्चा हुआ है और उस खर्चे के लिए असेम्बली से मांग की गई है और यह डिमान्ड रखी गई है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो पुलिस लाइन्स में गाड़ियां पड़ी सड़ रही है, उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, उनकी बाडी बनाने के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है, वे गाड़ियां आज पहले जिस कीमत में खरीदी गई थीं, आधी कीमत की भी नहीं रही हैं और यदि उनको काम में नहीं लाया गया, तो जो आज आधी कीमत उनकी रह गई है वह फिर एक चौथाई रह जायगी और एक दिन वह आ जायगा जब कि उनको ऑक्शन करना पड़ेगा। तो अर्ज करने का मेरा मतलब यह है कि सरकार इस प्रकार पैसे का दुरुपयोग करती है। दूसरी तरफ सामान के अन्दर व टर्वलिंग और डेली अलाउन्स

[श्री भैरोंसिंह (दां०रा०)]

से राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा न कह कर यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार सारी चीजों को सरकार ने ध्यान में नहीं रखा और ये डिमान्ड मंजूर करने काबिल नहीं है। जिन शख्सों ने गलती की है वे ही इसको बर्दाश्त करें और वे आयन्दा इस प्रकार गलती करने का साहस भी नहीं करें। इतना ही कह कर मैं अर्ज करूंगा कि इस डिमान्ड को मंजूर नहीं किया जाय।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—जो कुछ इस विषय में मैं कहना चाहता था वह मेरे मित्र ने कह दिया है इसलिए मैं इस (कट मोशन) को वापिस लेना चाहता हूं। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मुझे मेरे कट मोशन को वापिस लेने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष– The Question before the House is that permission be given to Shri Mansingh to withdraw his cut-motion.

(आज्ञा प्रदान हुई)

(श्री भैरूंसिंह को संकेत करते हुए)–What do you say.

श्री भैरूंसिंह—माननीय मंत्रीजी को मेरी बातों का जवाब देही देना चाहिये।

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) यह जो मांग पेश की गई है वह नाकेदारों के एकीकरण के सबन्ध में है। नाकेदारों का जगह २ जाकर निरीक्षण किया गया क्योंकि उनकी सर्विसेज को इन्टीग्रेट करने का सवाल था। उन्हें जयपुर में भी बुलाया जा सकता था किन्तु छोटी २ जगह से नाकेदारों के आने में काफी दिक्कत होती और उनको काफी कष्ट भी होता।

दूसरी बात जो एन्टी स्मगलिंग फोर्सेज् के लिए कही गई है उसके बारे में भी मैं कह दूं कि हमने उससे भी काफी काम लिया है। कुछ जागीरदारों को अभी तक इस प्रकार की रियायत थी कि वे शराब बनावें और उसे बेचें और स्वयं के इस्तेमाल में लावें। उस रियायत को वापिस ले लिया गया है और इस कार्य में एन्टी स्मगलिंग फोर्स से सहायता ली गई है भोमट और उदयपुरवाटी के इलाके में यह रियायत वापिस ली गई है इसके लिये जीपों आदि का उपयोग किया गया और इस तरह से जितना बजट था उससे अधिक रुपया खर्च हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस लाइन में जो बसेज रक्खी हुई हैं उनसे काम लिया जाय। बस का काम दूसरा है जीप का काम दूसरा है। जहां छोटो गाड़ी को लेकर जाने में जो खर्च होता है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि ज्यादा खर्च हो रहा है तो उन बड़ी गाड़ियों को लेकर जाने में तो और भी अधिक खर्चा होता और फिर काम में सहूलियत नहीं रहती जीप से यह फायदा है कि जब जिस समय चाहा छोटे-मोटे काम के लिये ले गये और उस पर बड़ी गाड़ी के मुकाबले में कम खर्च होता है। अब कभी २ रिपोर्ट आती है कि फलां जगह नाजायज शराब बन रही है या बिक रही है या फलां जगह चोरी हो रही है उस समय वहां जीप को लेकर भागें या बड़ी गाड़ी लेकर दौड़ें ? जब छोटे से और एसे आवश्यक खर्चे के लिये भी आप इस तरह की आलोचना करते हैं तो फिर बड़ी गाड़ियों के खर्च के लिए तो आप और भी आलोचना करेंगे।

Page No.81

[श्री भोलानाथ]

सेल टैक्स का जो सवाल है उसके लिए कोशिश जारी है ।

एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स बिल भी आपके सामने मौजूद है । पिछली दफा बजट जब पेश किया गया था उस समय हाउस ने एक तरह से कमिटमेन्ट कर लिया था । उस सिलसिले में अफसर वगैरह नियुक्त किये गये थे पर सिलेक्ट कमेटी में ज्यादा देर लग रही है । ऐसी स्थिति में स्टॉफ नियुक्त कर दिया गया है । उसे तो खर्चा देना ही है । इसलिए इस खर्च की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ गई । मैं समझता हूं इससे सदस्यों को सन्तोष होगा और अपने कट मोशन को वे वापिस ले लेंगे ।

श्री एच० के० व्यास—What about the Sales tax staff.

श्री भोलानाथ--एक ही कमिश्नर दोनों के लिये काम कर रहा है । अभी जब तक पूरे पूरे नियम नहीं बन जाते तब तक कोई अलग प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं । नियमों के अभाव में कई तरह के ऐतराज हो सकते हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--Now if the House Grant me permission I can withdraw my cut motion.

श्री भैरूं सिंह (१६)—मैं भी अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं । आशा है इसके लिए सदन की इजाजत होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—The Question is that permission may be given to Shri H.K. Vyas and Shri Bhairon singh to withdraw their cut motions

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री हरिकृष्ण व्यास—सदन की आज्ञा से मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री भैरूं सिंह—मैं भी अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—Now the Question is that Grant No. XLVIII, Major Head 13- Other Taxes and Duties, be accepted.

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष—The Grant is accepted.

(विराम)

विरोधी पक्ष—Now Demand No. 49.

श्री भोगीलाल पंड्या--अब इस मांग को आवश्यकता नहीं होने से इसको उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं समझता ।

एक सदस्य--सुनाई नहीं दिया साहब ।

श्री उपाध्यक्ष—He is not moving that now.

(करतल ध्वनि)

Then we come to Demand No. 51.

(विराम)

Shri Ram Kishore Vyas.

ओ-अनुदान संख्या ५१ (संसद् तथा राज्य विधान-मण्डल)

श्री रामकिशोर व्यास—I move, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,02,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1953, in respect of Grant No. LI-Major Head B-Parliament and State Legislatures."

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved. श्री एच. के. व्यास अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मेरा कट मोशन इस प्रकार है—"That the demand for supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 2,02,000/- in respect of B—Parliament & State Legislature be reduced by Rs. 66,000/- (to discuss the irregular and unjustified expenditure for microphones and need for reducing expenses on T.A. and D.A.)".

यह कट मोशन जो मैंने रक्खा है उसकी मंशा बिलकुल साफ है और वह यह कि एक चीज का मैंने जिक्र किया था; राजप्रमुख के पिछले भाषण के वक्त और जिसका मुझे उत्तर नहीं मिला। फिर एक प्रश्न मैंने रखा है उसका उत्तर भी अभी आने को है।

लेकिन इस मौके का भी मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। कितनी गपड़चौथ होती है खर्चे के सिलसिले में, इसकी एक जबर्दस्त मिसाल है और जिसका सीधा सम्बन्ध इस सदन से है।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह "गपड़चौथ" शब्द क्या अनपार्लियामेन्टरी नहीं है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने "गपड़चौथ" शब्द इस्तैमाल किया है which means grave irregularity.

श्री कंवरलाल जेलिया—अगर यह भी सही मानें तो क्या यह शब्द हिन्दी साहित्य में है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह राजस्थानी साहित्य में है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या आप यहां राजस्थानी बोल सकते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं राजस्थानी में भी बोलने का अधिकार रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष, असल बात तो दूसरी है। यहां माइक्रोफोन लगाने का आॅर्डर दिया गया। यहां का और ऊपर की सीलिंग का दोनों जगह का खर्चा मिला कर; यह बड़े खर्चे की मद थी। जब

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सरकार का क़ायदा मौजूद है कि पांच हजार से ऊपर का कोई मामला हो तो टेन्डर इन्वाइट किये जाने चाहियें; पर इस मामले में टेन्डर नहीं इन्वाइट किये गये। यह खर्चा बिना टेन्डर के किया गया। इतना ही नहीं पर ऐसे अजीब तरीके से खर्च किया गया कि जिसमें माइक्रोफोन इस्तेमाल करने का तो जिक्र किया गया किन्तु आॅर्डर देते समय माइक्रोफोन के स्पेसिफिकेशन्स नहीं दिये गये। लाउड स्पीकर्स के आॅर्डर दिये गये पर उसके भी स्पेसिफिकेशन्स मौजूद नहीं हैं आॅर्डर में। नतीजा यह हुआ कि भद्दे से भद्दे तरीके का मेटीरियल इस्तैमाल किया गया। इसके सुबूत के लिये लम्बे-चौड़े तर्क व दलीलों की आवश्यकता नहीं है। कई बार प्रश्नों के उत्तर देने की जरूरत होती है और सदस्यों को शिकायत ही बनी रहती है तथा नोट आॅडिबल (not audible) की आवाजें आती रहती हैं। यहां जो माइक्रोफोन इस्तैमाल किये गये हैं, मैं कहता हूं मन्त्री जी खूब सोच विचार कर इसका जवाब दें, वर्स्ट क्वालिटी (worst quality) का माइक्रोफोन है, इससे बुरा माइक्रोफोन और नहीं होता। This is worst available stuff in the market.

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस पर न सिर्फ इस तरह से इर्रेगुलर (अनियमित) खर्च ही किया गया वरन् आंखें मींच कर खर्च किया गया है। और वह इस तरह से साबित है कि जो सामान यहां इस्तैमाल किया गया है उस सामान का, कम्पनी के जो रेट्स हैं, जो उनके रेटों का शिड्यूल उसके हिसाब से आप टोटल लगा लीजिये तो भी पांच गुना कम से कम फर्क रहेगा। यह बिलकुल समझ में आने वाली चीज नहीं है कि इतना डिफरेन्स कैसे है? यहां जो इन्जीनियर हैं, सरकारी इन्जीनियर इस मामले को समझने वाले हैं उनसे जांच कराइये। मैं बार बार कहता हूं कि इसके लिये आप जाँच कीजिये। पूरी पूरी जांच कीजिये। पर इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। माननीय मन्त्री जी ने राजप्रमुख के भाषण के समय जहां और बातों का, काफी तफसील में, कोई उत्तर नहीं दिया, और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की इसका भी आज तक कोई उत्तर नहीं है सरकार के पास। ऐसे जबरदस्त इर्रेगुलर एक्सपेन्डिचर का यह नमूना है, जिसमें स्पेसिफिकेशन्स नहीं, कैसे लगावें, किस कम्पनी का हो, कौनसा मोडल हो, कैसी टाईप का हो; यह सब कुछ नहीं। मेरी अर्ज है कि जो माइक्रोफोन अध्यक्ष जी के सामने लगा है उस किस्म का भी लगा देते तो काफी फर्क हो जाता और वह रीजनेबल भी कहा जाता। पर जब आॅर्डर में ही इस तरह के स्पेसिफिकेशन्स नहीं तो फिर लगाने वाला तो कैसा भी लगा सकता है।

यह तो खर्चा करने का तरीका निकाला गया है। फिर ताज्जुब यह है कि न इसकी जांच ही की जा रही है, न तसल्ली दी जा रही है कि इसकी जांच की जावेगी और जिसका कसूर होगा सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह ६६ हजार का खर्चा बिलकुल गलत है। इसके लिये मन्जूरी नहीं दी जानी चाहिये, इसी आशय का मेरा यह कट मोशन है।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, इस डिमान्ड पर मेरा भी एक कटौती का प्रस्ताव है जो इस प्रकार है—'That the demand for a supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 2,02,000 in respect of B-Parliament andatSet

[श्री मानसिंह महार]

Legislature be reduced by Re. 1/- (to discuss the Costly purchase of Assembly equipments, in such a manner which caused unnecessary increase in the expenditure and increase of T. A. and D. A. to Members)". इसमें मैंने खास कर तीन मुद्दों पर खर्च का आक्षेप किया है । एक मुद्दा तो वह है जिस पर मेरे पूर्व वक्ता ने सदन के सामने रोशनी डाल दी है । दूसरी चीज है मेम्बर्स के एलाउन्सेज और सैलेरीज के बारे म। पहली चीज के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने राजस्थान विधान सभा में जसे माइक्रोफोन का इन्स्टालेशन कराया है उससे यह साफ जाहिर होता है कि जिस सरकार के कर्मचारी इस प्रकार की कार्यवाही कर सकते हैं वे अपने डिपार्टमेन्ट्स के खर्चों में यानि दफ्तरों आदि के खर्चों मे, जिनमें उनकी देख भाल रहती है वह कहां तक अवान्छनीय होते होंगे ; यह तो हमें इस बात से बहुत अच्छी तरह से पता लग सकता है । क्योंकि इस बात का सरकार और सरकार के कर्मचारियों को पता था कि इन माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करने वाले वे आदमी होंगे जो सरकार को यह बता सकेंगे कि यह कैसी चीज है, क्या है ; फिर भी इस सरकार के कर्मचारियों ने हम लोगों तक को नहीं छोड़ा । हमारे सदन में जो माइक्रोफोन्स लगाये गये हैं वे इस प्रकार से लगाये गये हैं कि जिसके लिये कहा जा सकता है कि सदस्यों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है । इसके अवाला अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्यों को जो तनख्वाह या एलाउन्सेज दिये जाते हैं वे सर्वथा अनुचित हैं । मेरा सुझाव है कि अगर सदस्यों को डी. ए. दिया जाता है तो उनको पे नहीं दी जानी चाहिये । इसी प्रकार का विरोध हमने पहले भी किया था, अब भी हम इस चीज को नहीं चाहते हैं कि इतनी भारी रकम हमारे सेंक्शन हो जाय । हम सरकार को इसकी सेंक्शन न दें क्योंकि यह अमूमन देखा जाता है कि इस सदन के जो सदस्य हैं वे लॉबी में बैठे रहते हैं और चले जाते हैं इसलिये वे अलाउन्सेज और पे का सदुपयोग नहीं करते । इसके अलावा राजस्थान जैसे डेफिसिट प्रान्त म एम. एल. ए. की जहां संख्या १६० है, दो दो सौ रुपया तनख्वाह देना और उसके ऊपर साढे बारह रुपये प्रतिदिन भत्त के रूप में देना बड़ी अनुचित चीज है । इसलिये मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को रखने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि इन खर्चों को रिड्यूस किया जाय । सरकार को इस बात में हमें सहयोग देना चाहिये और इस रिडक्शन को मन्जूर करना चाहिये । और इस तरह अगले बजट म इस प्रोविजिन को और रिड्यूस कर दिया जाना चाहिये । मैं सदन से यह कहूंगा कि जिस प्रकार माइक्रोफोन आदि में अनियमिततायें हुई हैं, जो एम. एल. ए. के अलाउन्सेज या सेलेरी हैं, वे टोप हेवी हैं । उनको रिड्यूस करने के लिये मेरे कटौती प्रस्ताव का जरूर समर्थन करें ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष,.....

श्री अध्यक्ष—आपके सहयोगी ने काफी बातें कह दी हैं । ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)–जो बातें उन्होंने कही हैं उनसे दूसरी बातें कहना चाहता हूं । दो मिनिट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री रामकिशोर व्यास--माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के बजट में असेम्बली के लिये ६ लाख ८५ हजार रुपये खर्च के लिये रखे गये थे। असेम्बली अपने प्रान्त में पहली दफा कायम हुई थी इसलिये हमें इसके खर्च का अन्दाजा नहीं था। एडहॉक बेसिस पर हमने उपरोक्त रकम मन्जूर की थी। परन्तु जब वाकई खर्च किया गया तो दो लाख रुपया खर्च ज्यादा होना चाहियें इसकी वजह से यह मांग रखी गई जिसके डिटेल्स इस प्रकार हैं :—

Inorease in T.A. & D.A.	4.3
Microphones	4.6
Typewriters and Duplicating Machines	0.8
Water arrangements	0.3

इस तरह से यह डिटेल २ लाख की आपके सामने मन्जूरी के लिये रखी गई है। इसके लिये दोएतराज उठाये गये हैं एक तो यह है कि मेम्बर्स को जो टी. ए. और डी. ए. जो दिया जाता है वह ज्यादा दिया जाता है; उसे कम कर दिया जाय। इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि हाउस ने जो रूल्स पास किये हैं उसी के अनुसार टी. ए. व डी. ए. दिये जाते हैं। हम तो उसमें किसी प्रकार कमी-बेशी नहीं कर सकते। जो यह चाहते हैं कि इसमें कमी की जाय वे अपने आप वॉलंटियरिली कट करवा सकते हैं, वे इस तरह से कर एक मिसाल रखेंगे तो मैं भी उनका बहुत आभारी हूंगा।

दूसरी बात जो यह कही गई है कि माइक्रोफोन्स जो लगाये गये है वे ठीक नहीं लगाये गये हैं, मेम्बर्स को धोखा दिया गया, खर्च ज्यादा किया गया, ऐसी बातें फरमाई गई हैं। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि मुझे कट मोशन का नोटिस आज ही मिला। इतने थोड़े समय में मैं इसकी पूरी जानकारी नहीं कर सका। विस्तृत जानकारी प्राप्त करके इसका उत्तर फिर दिया जा सकता है। इसके लिये अभी मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि जो माइक्रोफोन्स लगाये गये हैं उसके लगाने के लिये वक्त बहुत कम था। चीफ इन्जीनियर महोदय ने इसमें दिलचस्पी लेकर इस कार्य को जल्दी खत्म करवाया। हो सकता है इस जल्दी में माल भी खराब लगा हो और पैसे भी ज्यादा लगे हों। उस समय वक्त के पूर्व काम खत्म करने का ध्यान था।

श्री एच.के व्यास—हमने इस विषय की चर्चा बजट के डिस्कशन के वक्त भी की थी, राज प्रमुख के भाषण पर हुई बहस में भी इसका जिक्र किया था। किन्तु हमें इसका जवाब अब तक कुछ नहीं मिला। क्या इस बारे में ठेका नहीं दिया गया?

श्री रामकिशोर व्यास—यह मैं नहीं कह सकता कि ठेका दिया गया है या नहीं क्योंकि यह कार्य पी. डब्ल्यू. डी. के थ्रू (Through) हुआ है।

श्री एच० के० व्यास—क्या इस कार्य का ठेका नहीं दिया गया?

श्री रामकिशोर व्यास—असेम्बली डिपार्टमेन्ट के जरिये यह काम नहीं करवाया गया। यह काम पी. डब्ल्यू. डी. के थ्रू (Through) हुआ है।

श्री एच. के. व्यास—आखिर हमें कोई न कोई जवाब तो देगें ही इस बात का।

श्री रामकिशोर व्यास—हम आपके सामने जवाब पेश करेंगे, किन्तु समय की आवश्यकता है। इसलिये में निवेदन करता हूं आप यह सप्लीमेटरी ग्रान्ट पास कर दें और जो कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं वे वापिस ले लें।

श्री अध्यक्ष—I am not expected to take part in these discussions. But I would like to say that certain misunderstanding is prevailing regarding these microphones and complaints are lying with me also as if these microphones have been installed by my Secretariat. Now as the Members are very clear in their minds they should naturally expect a reply when a debate on the Budget is given.

With this I would like to know whether they would withdraw them or press them for voting.

श्री एच.के. व्यास—I see that the Hon'ble Minister is absolutely reluctant to make a reply to this point. So I would press it.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 2,02,000/- in respect of B-Parliament and State Legislature be reduced by Rs. 66,000/-

(अस्वीकृत)

The cut motion fails.

(विराम)

Now the Question is that the cut motion moved by Shri Man Singh Mahar be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut motion is lost.

(विराम)

So the question is, "that a supplementary sum not exceeding Rs. 2,02,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. LI, Major Head B—Parliament and State Legislature."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—मेरे कटमोशन के लिए आज्ञा चाहता हूं अगर आप फरमाव।

श्री अध्यक्ष—There is no cut motion of yours.

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ)—There was.

श्री अध्यक्ष—विचार-विमर्श के पश्चात् Yes, there is one. I am sorry. We can take it as withdrawn. The necessary insertion will be made.

(बड़े कोष्ट में ऊपर कमी पूरी की गई)

(इस समय १२-३० बजगए)

Demand No. LII. Does the House want to discuss this ? Then we will sit upto 1.00 P.M., and we will continue in the afternoon. Or if the Members want I may apply the guillotine.

श्री सदस्यगण—Apply the guillotine, Sir.

श्री एच. के. व्यास—How many cut motions are left now? Some Members have already withdrawn all their cut motions.

(सदन के नेता कटौती प्रस्ताव गिनते हैं)

श्री अध्यक्ष—No. The discussion can be more lively and there could be no repitition if we postpone it to the discussion on the Budget which begins from tomorrow.

श्री-अनुदान संख्या ५६ (विविध)

श्री एच. के. व्यास—Sir, if certain information can be given, I am prepared to withdraw. What exactly are the items covered by the item "Miscellaneous—Past liabilities-pre-1950......"

श्री अध्यक्ष—Which item are you referring to ? Which is the Demand ?

श्री एच. के. व्यास—Demand No. LIX under Head 57-Miscellaneous. I want to have a reference to the Budget in which these items have been taken. The explanatory note is" "Additional amounts which will be required to defray additional expenditure on past liabilities under pre-April, 1950." What is the meaning of this ? Under what head do these items occur ?

श्री अध्यक्ष—We will come to that. He wants explanation. We will apply the guillotine and pass all.

श्री-अनुदान संख्या ५६, (सचिवालय इत्यादि)

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री) Demand No. LII should be taken as passed.

श्री अध्यक्ष—It will have to be formally moved.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—That may be taken as moved.

अ-अनुदान संख्या ५२ (सचिवालय इत्यादि)

श्री अध्यक्ष—Then about this there is no cut motion. So it may be taken. The question is, "that a supplementary sum not exceeding Rs. 17,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. LII, Major Head D-Secretariat and Headquarters Establishment- C-Board of Revenue etc."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

(विराम)

आ-अनुदान संख्या ५४ (ग्राम विकास तथा समाज सेवा)

Demand No. LIV. We can take it as moved. Shri Khet Singh to move his cut-motion.

(श्री खेतसिंह ने अपना कटौती प्रस्ताव पेश नहीं किया)

Now the question is, that a supplementary sum not exceeding Rs. 1,00,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. LIV, Major Head 40-A-Rural Development and Social Services."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

(विराम)

क-अनुदान संख्या ५८ (लेखन सामग्री मुद्रण)

Demand No. LVIII, Motion moved. The question is, "that a supplementary sum not exceeding Rs. 11,60,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. LVIII, Major Head 56-Stationery and Printing."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

(विराम)

ख-अनुदान संख्या ५९ (विविध)

Now we come to Demand No. LIX-Miscellaneous Grant-Under Head 57 and we take it as moved. Shri H.K. Vyas wants some explanation about it ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—I can give all the details.

(भली प्रकार सुनाई नहीं दिया)

Normal heads are intended to cover normal expenditure. Additional expenditure pertaining to period subsequent to April to November 1951 with a view to facilitate proper comprison of normal expenditure incurred from year to year is recorded in this head. The following are some of the main items contributing to this head :—

Payment of construction charges.	
for the construction of roads in rural development centres	90,305/-
Contribution to Rural Uplift Centre	60,000/-
Purchase of equipment	15,842/-
Cash contribution	

श्री एच. के. व्यास—What was the purpose of this additional grant ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री) That was not for any specific purpose. This grant was for various purposes. Rather all the items under this head for pre-1950 have been put under this Head for facility of calculation.

(Continuing).

Cash contribution	1,00,000
Payment	3,50,000
Non-recurring charges to Rural Reconstruction Fund.	1,52,842
Contribution of an aggregate grant to....Udaipur ..	6,300
Payment of charges for special training	5,400

श्री एच० के० व्यास—Would they emanate as liabilities determined and fixed in any of the budgets subsequent to their being presented and approved ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—It is explained that before 1950 there was no legislature and they have therefore to be considered as pre-1950 liabilities and taken in the subsequent Budget.

श्री एच. के. व्यास—My point is different from this. It is explained that perhaps the Government is supposed to have incurred expenditure in the past but the liability for it has been taken over by the budget of the Current year.

My point is whether at any stage any of these liabilities have been fixed and determined and put in the budget as liabilities so that they do not go on inpreceptibly increasing every year.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--That has been done.

श्री एच. के. व्यास--I would like to have a reference to it. I have seen the last year's budget but I do not find any of these liabilities determined.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--I could not hear you.

श्री एच. के. व्यास--The Hon'ble Finance Minister said, "Yes, these items have been determined, fixed and accounted for as liabilities in the preceding budgets, but only payments have been made out of the current year's budget." I have seen the last year's budget as also this year's budget but find that there is no such item anywhere. I want the specific reference where they have been placed.

श्री अध्यक्ष--You want to be located to the specific items.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--That can be done without loss of time.

श्री एच. के. व्यास--A reference at least must be made. How can we sanction expenditure about which we are not clear ourselves ?

श्री अध्यक्ष (मुख्य मंत्री महोदय को सम्बोन्धित करते हुए)--He wants to be located to the particular items of the last year's budget which cover this expenditure.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--They were pre-April 1950 items. They were not determined at that time. So if he comes to me I will locate him to that, while I discuss the budget.

श्री एच. के. व्यास--Execuse me, Sir, I have not been given an answer to my point.

श्री अध्यक्ष--So I put the Demand to vote. The question is, "that a supplementary sum not exceeding Rs. 7,02,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year

[श्री अध्यक्ष]
ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. LIX, Major Head 57-Miscellaneous.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

श्री एच. के. व्यास—I take that my cut motion is moved.

श्री अध्यक्ष—You can take it as withdrawn.

श्री एच. के. व्यास—I can take it provided it should be put into record that the Hon'ble Minister agreed to locate the items for me.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Oh, yes.

श्री भोगीलाल पंड्या—Since now there is no need for Demand No. LXI I do not press it.

राजस्थान विनियोग विधेयक, १९५२

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the consolidated fund of the State for the service of the year ending the 31st day of March, 1953.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. Is it the leave of the House to allow sanction to the introduction of the Rajasthan Appropriation Bill, 1953 ?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I introduce the Bill.

श्री अध्यक्ष—Copies of the Appropriation Bill are available in the Notice office and the Hon'ble Members will kindly take them while going.

(विराम)

Page No.92

[श्री अध्यक्ष]

जन-लेखा समिति तथा आकलन समिति के मनोनीत सदस्य

Now I have to inform the Hon'ble Members that the following candidates have been duly nominated for elections to the Public Accounts Committee and the Estimates Committee:—

I. PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE.

	Names.	*Division Nos.*
1.	Shri Gurudayal Singh Sandhu	49
2.	Shri Khet Singh	77
3.	Shri Hari Krishna Vyas	160
4.	Kr. Shri Tej Singh	151
5.	Shri Man Singh	97
6.	Shri Damodar Lal Vyas	33
7.	Shri Kapil Deo Agrawal	71
8.	Shri Ramji Lal Yadav	124
9.	Shri Shri Das Goyal	142
10.	Shri Hazari Lal Sharma	59
11.	Shri Sampat Ram	133
12.	Shri Mohabbat Singh	100
13.	Shri Sajjan Singh	132
14.	Shri Jayendra Singh	68
15.	Shri Bhim Singh	17
16.	Shri Kesri Singh	75
17.	Shri Mangal Singh Kachawaha	93

II. ESTIMATES COMMITTEE.

	Names	*Division Nos.*
1.	Shri Gurudayal Singh Sandhu	49
2.	Shri Khet Singh	77
3.	Shri Hari Krishna Vyas	160
4.	Kr. Shri Jaswant Singh	66
5.	Kr. Shri Tej Singh	151
6.	Shri Man Singh	97
7.	Shri Kan Singh	69
8.	Shri Abani Kumar Mukherjee	1
9.	Shri Bhairon Singh	11
10.	Shri Jawan Singh	67
11.	Major Shri Apji Raghu Raj Singh	121
12.	Col. Shri Kesri Singh	73

Page No.93

13.	Shri Jayendra Singh	68
14.	Shri Bhim Singh	17
15.	Shri Moti Chand Khajanchi	105
16.	Shri Badri Prasad Gupta	6
17.	Shri Damodar Vyas	33
18.	Shri Gulab Chand Kasliwal	48
19.	Shri Moti Lal Chowdhri	106
20.	Shri Ram Chandra Chowdhri	122
21.	Shri Bishambhar Nath Joshi	21
22.	Shri Tej Mal Bapna	49
23.	Shri Vedpal Tyagi	157
24.	Shri Mathura Das Mathur	99
25.	Maharawal Shri Sangram Singh	135

As previously announced on the 17th March 1953, any candidate who wishes to withdraw his nomination may do so either by a statement made before the Assembly or by a notice in writing signed by the candidate, and addressed to the Secretary, Legislative Assemby, and must be delivered by 5.00 P.M. on the 20th March 1953, *i.e.* tomorrow, in the Notice Office.

We now adjourn for tomorrow at 8.00 A.M.

सदस्यगण—Why not 8.30, Sir?

श्री एच. के. व्यास—Let it be 8.15, Sir.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—A compromise.

श्री अध्यक्ष—Yes.

सदन की कार्यवाही १२.४८ मध्यान्ह को, दिनांक २०-३-५३ के ८.१५ प्रातः तक के लिये स्थगित हुई ।

सभा भवन, जयपुर
दिनांक १९ मार्च, १९५३

मनसाराम पुरोहित,
सचिव, राजस्थान विधान सभा ।

(वे प्रश्न तथा उत्तर जो प्रश्न कर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गए तथा जिन्हें मुद्रित कराने की सम्बन्धित मन्त्रियों की अनुमति प्राप्त है)

५२४. (६६/इ. एम.) श्री धर्मचन्द एम. एल. ए., डिविजन नं० ३६ —क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) बारां (डिविजन कोटा) में इस वर्ष मैट्रिक में कितने छात्र हैं ?

(आ) क्या सरकार छात्रों की संख्या को देखते हुए वहां पर इण्टर कॉलेज कायम करना उचित नहीं समझती ?

(इ) यदि (आ) का उत्तर हां में है तो कब तक वहां इण्टर कॉलेज स्थापित किया जावेगा ?

उत्तर—

(अ) बारां में इस वर्ष मैट्रिक में १८४ छात्र हैं ।

(आ) समझती है ।

(इ) राजस्थान सरकार की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टि कोण में रखते हुए तथा पर्याप्त धन प्राप्त होने पर इस विषय पर शीघ्र ही विचार किया जावेगा ।

५२८. (७१ इ. एम.) श्री धर्मचन्द, एम. एल. ए., डिवीजन नंबर ३६.—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) मंडरायल तथा सपोटरा कस्बे में क्या कन्या पाठशाला स्थापित होना मंजूर हो चुका है ?

(ख) यदि उत्तर 'हां' में है तो यह कब चालू होगी ?

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार इन दोनों मुख्य स्थानों पर कन्या पाठशालाएं कायम करना उचित नहीं समझती ?

उत्तर—

मंडरायल तथा सपोटरा में कन्या पाठशालाय स्थापित होना अभी स्वीकृत नहीं हुआ है ।

आगामी वर्ष का बजट प्राप्त होने पर तथा राजस्थान सरकार की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुए अन्य ऐसे मामलों के साथ इन पर भी विचार किया जावेगा ।

५३६. (७६/इ.एम.) श्री तेजपाल, एम. एल. ए., डिवीजन नं० १५२—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) भरतपुर के श्री महारानी जया कालेज में—

(अ) इस समय विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ? क्या उनके लिये लाइब्रेरी आदि की पूरी व्यवस्था है ?

(ब) कॉलेज खुलते समय भिन्न भिन्न कक्षाओं में कितनों ने प्रवेश प्राप्ति के लिये आवेदन किन किन विषयों के लिये दिये और उनमें से कितनों को उनमें स्वीकृति मिल सकी ?

(स) एफ. एस सी. फाइनल में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ? उनके बी. एस सी. में प्रवेश पाने की क्या व्यवस्था है ?

(२) अलवर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में एफ. एस सी. फाइनल में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ?

(३) क्या सरकार ने भरतपुर में आगामी वर्ष से बी. एस सी. की कक्षायें प्रारम्भ करने की व्यवस्था की है ?

उत्तर—

1. (*a*) There are 463 students in the day classes and 46 students in Evening Classes. There is a well equipped college Library for the students.

(*b*) Every practical facility is afforded to the students for reading.

Class.	*No. applied.*	*Admitted.*	*Reasons for rejecting.*
1st yr. Arts	88	65	23 applications were rejected as there is no such big room which may accommodate such a large number of students. The opening of two sections was also not possible because of the shortage of staff and rooms.
1st yr. Comm.	47 (29) Steno.	47 (28) Steno.	Due to the shortage of typewriters 9 applicants were not allowed steno-typing, and they had to take Banking.
1st yr. Sc.	42	28	14 applications were rejected as there exists facility for 20 students only in the Laboratories.
3rd yr. Arts.	41	41	
3rd yr. Comm.	33	33	

(c) There are 31 students studying in the II year Science class. Since there is no B.Sc., class in this College, some of the students after passing the I.Sc. Examination go out to other colleges for further studies in Science. Those whose parents are not in a position to afford the expenses take admission in the Arts side.

2. The number of students in F. Sc., final is as follows :—

	Number of students.
Raj Rishi College, Alwar	31
Dungar College, Bikaner	55
Jaswant College, Jodhpur	363

As for Udaipur the information has not yet been received.

3. No. But the question will be considered when the financial position is eased.

५४०. (८५/इ. एम.) श्री तेजपाल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १५२—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

भरतपुर हाई स्कूल में—

(अ) साइन्स और कॉमर्स में कितने विद्यार्थी हैं ?

(ब) क्या इन विद्यार्थियों के लिये प्रेक्टिकल की पूरी सुविधा है ?

(स) वर्ष के प्रारम्भ में कितने विद्यार्थियों ने विभिन्न कक्षाओं में उक्त विषयों के लिये आवेदन-पत्र दिये और उनमें से कितनों को स्थान प्राप्त हुआ ?

उत्तर—

(अ) भरतपुर हाई स्कूल में साइन्स में १०० और कामर्स में १०० विद्यार्थी हैं।

(ब) पूरी सुविधा तो नहीं है।

(स) वर्ष के आरंभ में नवीं कक्षा में साइन्स के लिये ८८ छात्रों ने प्रार्थना-पत्र दिये और उनमें से ३३ को स्थान प्राप्त हुआ। कॉमर्स के लिये ८२ छात्रों ने प्रार्थना-पत्र दिये और उनमें से ३३ को स्थान प्राप्त हुआ।

५४४. (८६/इ. एम.) श्री तेजपाल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १५२—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या हाई स्कूलों की भांति प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चों के टट्टी और पेशाब-घरों की सुविधा राज्य ने प्रदान की है ?

(आ) नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No.97

उत्तर—

प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की टट्टी और पेशाबघरों की आवश्यकता तो है और जहां जहां सरकारी इमारतें हैं या नई बनती हैं उनमें यथासम्भव इनकी सुविधा रखी जाती है किन्तु ऐसी पाठशालाएं अधिकतर गांवों में होती हैं और किराये की इमारतें होती हैं उनमें इनका प्रबन्ध करना सम्भव नहीं है। फिर भी मकान मालिकों से इनका प्रबन्ध करने के लिये कहा जाता है।

५४७. (८७/इ. एम.) श्री तेजपाल एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १५२—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान में इस समय कितने अध्यापक हरिजन और पिछड़ी जाति के हैं?

(आ) गत दो वर्षों में इनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

उत्तर—

(अ) राजस्थान में इस समय ४२ हरिजन और ३९३ पिछड़ी हुई जाति के अध्यापक हैं।

(आ) गत दो वर्षों में इनमें ९.२ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ५३२ का भाग अ देखिये)

LIST OF SCHOOLS OF CHITTORGARH DISTRICT.

High Schools.

1. Maharana High School, Chittorgarh.
2. Sardar High School, Nimbahera.
3. High School, Pratapgarh.
4. High School, Kapasin.
5. High School, Badi-Sadri.

Middle Schools.

1. Middle School, Gosunda.
2. -do- Bassi.
3. -do- Gangrar.
4. -do- Rashmi.
5. -do- Begun.
6. -do- Nandvai.
7. -do- Kansara.
8. -do- Chotti-sadri.
9. -do- Damotar.
10. -do- Arnod.
11. -do- Bansi.
12. -do- Dungla.
13. -do- Kannoj.
14. -do- Bhadesar.
15. -do- Bhadsoda (Now in 51-52).

Girls' Middle Schools.

1. Chittor.
2. Kapasan.
3. Chottisadri.
4. Pratapgarh.
5. Nimbahera.

Primary Schools.

1. Branch School, Chittor.
2. Fort Chittor.
3. Harijan Chittor.
4. Gatiavali.
5. Gilund.
6. Sahanva.
7. Sava.
8. Borda.
9. Ajdolya-ka-khera.
10. Vijaipur.
11. Pandoli.
12. Matrikundya.
13. Avalhera.
14. Arni.
15. Pahuna.
16. Siyana.
17. Revara.
18. Marmi.
19. Lasaria Khurd.
20. Barun.
21. Rud.
22. Bhimgarh.
23. Dindli.
24. Mahendragarh.
25. Jadana.
26. Kuvalian.
27. Nagri.
28. Soniana.
29. Naveriaya.
30. Burh.
31. Bavlas.
32. Parsoli.
33. Bhichor.
34. Kheri.
35. Mandana.
36. Thukaria.
37. Paiti.
38. Raiti.
39. Chechi.
40. Bhansrodgarh.
41. Borav.
42. Sukhpura.
43. Matasara
44. Kuvakhera.

Girls' Schools.

1. Fort Chittor.
2. Gosunda.
3. Gangrar.
4. Arni.
5. Begun.
6. Bhansrodgarh.

District Nimbahera.

1. Bracnh Nimbahera.
2. Mangrol.
3. Satkhanda.
4. Arnoda.
5. Kali.
6. Binota.
7. Badi.
8. Sudi.
9. Biloda.
10. Sagsera.
11. Chikarda.
12. Madpiya.
13. Harijan Kapasin.
14. Mungana.
15. Koloni Mevda.
16. Dhamna.
17. Hatiyana.
18. Roliya.
19. Singpur.
20. Chapari.
21. Mingoriya.
22. Langach.
23. Turkiakhurd.
24. Nimbahera.
25. Revelia.
26. Asavara.
27. Khodip.
28. Lasdavan.
29. Mangalwad.
30. Nagvali.
31. Bhaunja.
32. Bansen.
33. Badavali.
34. Mailana.
35. Boheda.
36. Nikum.

Girls' Schools.

1. Barisadri.
2. Kanera.
3. Kannoj.
4. Nikum.
5. Singpur.
6. Bhadasar.

Circle Pratapgarh.

1. Primary Pratapgarh.
2. Basad.
3. Varmandal.
4. Dabda.
5. Magroda.
6. Peelu.
7. Kanora.
8. Thada.
9. Rathanjana.
10. Panmodi.
11. Bori.
12. Dhamlia.
13. Amlavad.
14. Baraverda.
15. Deogarh.
16. Rampuriya.
17. Padlia.
18. Sohagpura.

19. Kuni.
20. Basera.
21. Avleshawar.
22. Bajranggarh.
23. Jasdi.
24. Bombori.
25. Jahazpur.
26. Gandher.
27. Kulthana.
28. Badema.
29. Reechapaduni.
30. Nogama.
31. Chupana.
32. Kotri.
33. Bordiva.
34. Ninor.
35. Dalot.
36. Sagthali.
37. Moheda.
38. Gomana.
39. Swaroopganj.
40. Kasunda.
41. Gothera.
42. Simarthali.
43. Baseda.
44. Karju.
45. Kheront.

Girls' Schools.

1. Arnod.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ५३८ का उत्तर देखिये)

Statement showing the names of subsidy-holders and the amount to be paid to them during the year 1952-53.

S.No. 1	*Name of the subsidy-holder.* 2	*Amount per annum.* 3
1.	Rajaji-ka-Khera (Vd. Laxmilalji)	200
2.	Thikana Aushdhalaya, Deograh	240
3.	Mahatma Aushdhalaya Charbhuja Road	300
4.	Mewar Rasayanshala, Udaipur	500
5.	Sewa Sang Begod	1200
6.	Chechat Aushdhalaya, Kotah	300
7.	Moni Dharmarth Aushdhalaya (Mewar)	300
8.	Berar Ayurvedic Aushdhalaya (Mewar)	300
9.	Vd. Keshar Singhji Beran (Mewar)	300
10.	Mohata Rasayanshala, Udaipur	500
11.	Bundi Bal Swastya Kendra, Bundi	1500
12.	Bhanwer Lalji Mahatma, Fateh Nagar (Mewar)	200
13.	Jain Aushdhalaya, Kotah	3000
14.	Marland Aushdhalaya, Kotah	900
15.	Kotri Govindpura, Kotah	900
16.	Sewa Bhawan, Kotah	600
17.	Mangrol Aushdhalaya, Kotah	480
18.	Degod, Kotah	360
19.	Sangod Kotah	360
20.	Chhipabarod, Kotah	600
21.	Gatoli Kotah	720
22.	Khanpur Kotah	360
23.	Gadwar Kotah	240
24.	Changi Mangi, Kotah	100
25.	Vaidya Shiv Prashad, Aklera, Kotah	100
26.	Vaidya Chunni Lal, Kotah	100
27.	Vd. Nawal Ramji, Kankroli, Mewar	150
28.	Kishangarh Hiteshi, Aushdhalaya	720
29.	Sitaramji Binjola.	150
30.	Gandhi Homeo Dispensary, Jhalawar	400

1	2	3
31.	Sardar Aushdhalaya, Jodhpur	2400
32.	Sri Nav Ratan Aushdhalaya, Jodhpur	1800
33.	Sri Anand Aushdhalaya, Jodhpur	900
34.	Shri Sardendu Metra Chikitsalaya, Jodhpur	1200
35.	Shri Maharaja Ayurvedic Pharmacy, Jodhpur	480
36.	Shri Krishna Aushdhalaya, Jodhpur	360
37.	Shri Mohan Ayurvedic Aushdhalaya, Jodhpur	600
38.	Shri Dhanwantri Aushdhalaya, Jodhpur	480
39.	Shri Mewar Ayurvedic Pharmacy, Jodhpur	300
40.	Shri Laxmi Vijay Aushdhalaya, Jodhpur	300
41.	Vaidya Suraj Prakash, Jodhpur	300
42.	Vaidya Shri Sajjan Pharmacy & Aushdhalaya	900
43.	Shri Ranga Ayurvedic Ashram, Jodhpur	300
44.	Shri Hakim Fakhr-e-Alam, Jodhpur	300
45.	Shri Hakim Abdul Qadeer, Jodhpur.	300
46.	Shri Hakim Fazar Hussain, Jodhpur	180
47.	Shri Madan Lal, Jodhpur	180
48.	Shri Vishwa Kalyan Ayurved Bhawan, Jodhpur	600
49.	Shri Lakshmi Narain Vassist, Jodhpur	180
50.	Shri M. P. Gupta, Jodhpur	480
51.	Vaidya Shri Chandji, Jodhpur	365
52.	Vaidya In-charge Gram Sewa Kendra, Boranda	900
53.	Kaviraj Vishnu Dutt, Jodhpur	600
54.	Vaidya Amba Dutta	600
55.	Vaidya Madho Prashad	600
56.	Vaidya Mitha Lal Sojat	900
57.	Vaidya Megh Raj Saraswat	600
58.	Vaidya Ashu Lal	600
59.	Vaidya Utsha Ramji, Jodhpur	480
60.	Ayurvedic Aushdhalaya, Loshal	1200
61.	Dhanwantri Aushdhayala, Jaipur	900
62.	Degamber Gain Aushdhayala, Jaipur	600
63.	Ayurvedic Aushdhalaya, Naichhawa.	600
64.	Ayurvedic Aushdhalaya, Ganeri	300
65.	Ayurvedic Aushdhalaya, Madha	240
66.	Ayurvedic Aushdhalaya, Peeproli	300
67.	Ayurvedic Aushdhalaya, Dhoondh	300
68.	Ayurvedic Aushdhalaya, Raghunathgarh	300
69.	Ayurvedic Aushdhalaya, Kishangarh	300

1	2	3
70.	Ayurvedic Aushdhalaya, Maverah	300
71.	Ayurvedic Aushdhalaya, Jairampura	300
72.	Ayurvedic Aushdhalaya, Malpura	·300
73.	Ayurvedic Aushdhalaya Brg.a	300
74.	Ayurvedic Aushdhalaya, Bharunda Khurd ..	300
75.	Ayurvedic Aushdhalaya, Jhag	300
76.	Ayurvedic Aushdhalaya, Pacher	300
77.	Ayurvedic Aushdhalaya, Bholi	300
78.	Ayurvedic Aushdhalaya, Mundbota	300
79.	Ayurvedic Aushdhalaya, Bhalad	300
80.	Ayurvedic Aushdhalaya, Hinglod	300
81.	Auyrvedic Aushdhalaya, Chhoru	447
82.	Ayurvedic Aushdhalaya, Mandha	191
83.	Ayurvedic Aushdhalaya, Jathwar	133
84.	Ayurvedic Aushdhalaya, Jarrdh-Goverdhan and Ahmed Hussain	765
85.	Dhanwantri Aushdhalaya, Jodhpur	5500
86.	Ramkrishna Aushdhalaya, Alwar	720
87.	Dhanwantri Aushdhalaya, Alwar	480
88.	Jai Aushdhalaya, Alwar	480
89.	Hakim Amar Nath Chaula, Alwar	480